



बिहार सरकार
वित्त विभाग

परिणाम बजट

2018-19

सुशील कुमार मोदी

उपमुख्य (वित्त) मंत्री

(मार्च, 2018)

विषय सूची

क्र.	पृष्ठ
1	प्राक्कथन 1
2	बिहार एवं भारत के लिये मुख्य विकास सूचकांक 2
3	कुल स्कीम मद में उद्ध्य की प्रवृत्तियाँ (स्कीम एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम) 3-4
4	राज्य स्कीम तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में प्रावधानित राशि 5-6
5	कृषि विभाग 7-14
6	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 15-21
7	भवन निर्माण विभाग 22-28
8	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 29-30
9	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 31-33
10	सहकारिता विभाग 34-35
11	उर्जा विभाग 36-38
12	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 39
13	वित्त विभाग 40
14	पंचायती राज विभाग 41-43
15	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 44
16	पर्यावरण एवं वन विभाग 45-46
17	स्वास्थ्य विभाग 47-50
18	शिक्षा विभाग 51-60
19	गृह विभाग 61-62
20	उद्योग विभाग 63-67
21	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 68
22	सूचना प्रावैधिकी विभाग 69
23	श्रम संसाधन विभाग 70-74
24	विधि विभाग 74
25	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 75-76
26	सामान्य प्रशासन विभाग 77

27	योजना एवं विकास विभाग	78-79
28	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	80-81
29	ग्रामीण कार्य विभाग	82-83
30	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	83
31	आपदा प्रबंधन विभाग	84-90
32	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	91-92
33	पथ निर्माण विभाग	93
34	ग्रामीण विकास विभाग	94-97
35	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	98
36	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	99-102
37	गन्ना उद्योग विभाग	103
38	पर्यटन विभाग	104-105
39	परिवहन विभाग	105
40	नगर विकास एवं आवास विभाग	106-111
41	जल संसाधन विभाग	112-113
42	लघु जल संसाधन विभाग	114
43	समाज कल्याण विभाग	115-120

प्राक्कथन

सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम दशनि वाली विवरणी “परिणाम बजट” की पहल 2006-07 में शुरू की गई थी । इसी परिपाटी के क्रम में वर्ष 2018-19 के लिए परिणाम बजट प्रस्तुत किया जा रहा है ।

2. परिणाम बजट एक ऐसा व्यय पूर्व माध्यम है जिससे व्यय के पश्चात् समीक्षा द्वारा व्यय की उपयोगिता का आकलन किया जा सकता है । परिणाम बजट के माध्यम से आम जनता को सम्भावित परिणामों की जानकारी मिलती है और सरकार की वित्तीय संव्यवहारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है । सरकार द्वारा जनता के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उनकी जानकारी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है ।

3. मैं सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि आम जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा सरकारी व्यय का परिणाम जानना आवश्यक है । वर्ष 2018-19 का परिणाम बजट भी व्यय की उपयोगिता समझने में मदद करेगी । इससे जन साधारण के लिए संभावित परिणामों से संबंधित महत्वपूर्ण आँकड़े तथा सूचना देकर नागरिकों के “सूचना का अधिकार” को अत्यधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा ।

4. मैं मानता हूँ कि लोक व्यय का अंतिम एवं मुख्य लक्ष्य बिहार जैसे राज्य में गरीबी कम करना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करना तथा जीवन स्तर के लिए आधारभूत सुविधायें जैसे- सड़क, बिजली, पानी आदि में सुधार लाना है । परिणाम बजट ऐसे सूचकों की समीक्षा करने में मददगार साबित होगा । राज्य सरकार बिहार राज्य को प्रगति एवं विकास के मार्ग पर लाने के लिए वचनबद्ध है । परिणाम बजट सरकार के इस जबाबदेही को भी सुनिश्चित करने में काफी मददगार साबित हुआ है ।

5. वर्ष 2018-19 के परिणाम बजट में स्कीम तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में महत्वपूर्ण योजनाओं में दर्शाये गये परिव्यय से अनुमानित भौतिक उपलब्धि को प्रस्तुत किया जा रहा है । परिणाम बजट को आम जनता के लिए उपयोगी बनाने में संबंधित लोगों की भागीदारी आवश्यक है ।

इसी आशा के साथ मैं वर्ष 2018-19 के लिए परिणाम बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ । मैं आश्वासन देता हूँ कि आगामी वर्षों में आप सभी के सहयोग एवं सुझावों से इस दस्तावेज को और बेहतर एवं आम लोगों के लिए और अधिक उपयोगी बनाया जा सकेगा ।

fcgkj ,o Hkkjr d fy, e[; fodkl lpdkd

00 10	fooj.k	v ru vdkMk		jk"Vh; vklr l
		jk"Vh; vklr	fcgkj	ifr'kr e
1	जनसंख्या (करोड़ में) (2011)	121.00	10.40	8.60
2	जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कि. मी. (2011)	382.00	1106.00	289.5
3	आर्थिक वृद्धि दर (प्रतिशत में) (2016-17)	7.10	10.30	145.1
4	प्रति व्यक्ति आय (रु० में) (2016-17)	82269.00	26693.00	32.40
5	गरीबी (प्रतिशत) बी. पी. एल. (2011-12)	21.90	33.70	153.90
6	सड़क की लंबाई प्रति वर्ग कि०मी० (2015)	139.10	218.80	157.30
7	कुल रेल रूट प्रति लाख जनसंख्या (2015)	7.60	4.90	64.50
8	वाहनों की संख्या प्रति 1000 व्यक्ति (2015)	173.50	45.90	26.50
9	दूरभाष घनत्व प्रति 1000 व्यक्ति (2017)	93.00	61.00	65.60
10	अशोधित जन्म दर प्रति हजार (2016)	20.40	26.80	131.40
11	अशोधित मृत्यु दर प्रति हजार (2016)	6.40	6.00	93.80
12	नवजात शिशु (स्त्री) मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म) (2016)	40.10	43.40	108.20
13	नवजात शिशु (पुरुष) मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म) (2016)	36.30	27.50	75.80
14	मातृत्व मृत्यु दर (2011-13)	167.00	208.00	124.60
15	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा-पुरुष के लिये (2011-15)	66.90	68.50	102.40
16	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा-महिलाओं के के लिये (2011-15)	70.00	68.30	97.60
17	लिंग अनुपात महिला प्रति हजार पुरुष (सभी आयु वर्ग) (2011)	943.00	918.00	97.30
18	शिशु लिंग अनुपात महिला प्रति हजार पुरुष (2011)	919.00	935.00	101.70
19	साक्षरता दर (2011)	72.90	61.80	84.80
20	पुरुष साक्षरता दर (2011)	80.90	71.20	88.00
21	महिला साक्षरता दर (2011)	64.60	51.50	79.70
22	सकल नामांकन दर 6-10 वर्ष (2015-16)	99.20	107.70	108.60
23	मानव विकास सूचकांक (2011)	0.50	0.45	88.70
24	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (इकाईयों में) (2016-17)	6123.00	272.00	4.40
25	साख जमा अनुपात (2015-16)	78.40	46.4	59.2
26	कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत (2011)	25.50	19.10	74.90

स्रोत :- क्र० सं० 1, 2, 17, 18, 19, 20, 21 एवं 26- जनगणना 2011 (भारत सरकार), 3 एवं 4 -केन्द्रीय सांख्यिकी संस्थान, 5-योजना आयोग 6 एवं 8-परिवहन मंत्रालय , भारत सरकार, 7-रेल मंत्रालय, भारत सरकार, 9-दूर संचार मंत्रालय, भारत सरकार, 10,11,12,13,14,15,एवं 16 -प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली, 22 -डाइस, 23-यू० एन० डी० पी०, 25 - भारतीय रिजर्व बैंक

दीर्घकालिक लक्ष्य 2018-19 के माध्यम से; धनोपार्जन; {= लक्ष्य लक्ष्य

(राशि करोड़ रुपये में)

मांग संख्या	मद	2018-19 का बजट अनुमान	कुल उद्ध्यय में अंश
	1	2	3
1	कृषि	2171.34	2.35
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन	436.22	0.47
3	भवन निर्माण	3164.49	3.43
4	मंत्रिमंडल सचिवालय	177.71	0.19
8	कला संस्कृति एवं युवा	44.40	0.05
9	सहकारिता	677.03	0.73
10	उर्जा	6185.63	6.70
11	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1508.09	1.63
12	वित्त	62.00	0.07
16	पंचायती राज	2431.00	2.63
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1304.79	1.41
19	पर्यावरण एवं वन	272.37	0.30
20	स्वास्थ्य	3722.57	4.03
21	शिक्षा विभाग	19107.03	20.70
22	गृह	429.87	0.47
23	उद्योग	535.00	0.58
24	सूचना एवं जन संपर्क	100.12	0.11
25	सूचना प्रावैधिकी	200.29	0.22
26	श्रम संसाधन	569.81	0.62
27	विधि	0.10	0.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण	406.00	0.44
33	सामान्य प्रशासन	69.33	0.08
35	योजना एवं विकास	1636.18	1.77

	1	2	3
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	2626.34	2.84
37	ग्रामीण कार्य विभाग	9495.97	10.29
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन	1.00	0.00
39	आपदा प्रबंधन	52.30	0.06
40	राजस्व एवं भूमि सुधार	165.04	0.18
41	पथ निर्माण	5904.56	6.40
42	ग्रामीण विकास	15117.07	16.38
43	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	135.50	0.15
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	1142.65	1.24
45	गन्ना उद्योग	101.84	0.11
46	पर्यटन	131.01	0.14
47	परिवहन	43.00	0.05
48	नगर विकास एवं आवास	2635.00	2.85
49	जल संसाधन	2513.98	2.72
50	लघु जल संसाधन	259.00	0.28
51	समाज कल्याण	6782.00	7.35
	महायोग	92317.63	100.00

forRrh; o" 2018&19 e okf"kd Ldhe %dUnh; {k= Ldhe lfgr½ rFkk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; e iko/kkfur jkf'k

(राशि करोड़ रुपये में)

मांग संख्या	मद	2018-19 का बजट अनुमान	कुल प्रावधान में अंश
	1	2	3
01	कृषि	2749.78	1.55
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन	718.51	0.40
03	भवन निर्माण	3960.61	2.23
04	मंत्रिमंडल सचिवालय	374.91	0.21
05	राज्यपाल सचिवालय	20.07	0.01
06	निर्वाचन	108.90	0.06
07	निगरानी	36.74	0.02
08	कला संस्कृति एवं युवा	139.12	0.08
09	सहकारिता	806.51	0.45
10	उर्जा	10257.66	5.78
11	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1524.51	0.86
12	वित्त	1090.07	0.61
13	सूद भुगतान	10763.50	6.06
14	ऋण अदायगियाँ	7326.41	4.13
15	पेंशन	15828.81	8.92
16	पंचायती राज	9955.40	5.61
17	वाणिज्य-कर	154.64	0.09
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	1387.38	0.78
19	पर्यावरण एवं वन	413.09	0.23
20	स्वास्थ्य	7793.82	4.39
21	शिक्षा	32125.64	18.10
22	गृह	8615.66	4.85
23	उद्योग	622.04	0.35
24	सूचना एवं जन संपर्क	235.09	0.13

	1	2	3
25	सूचना प्रावैधिकी	235.14	0.13
26	श्रम संसाधन	741.97	0.42
27	विधि	887.20	0.50
28	उच्च न्यायालय	155.27	0.09
29	खान एवं भूतत्व	51.44	0.03
30	अल्पसंख्यक कल्याण	437.76	0.25
31	संसदीय कार्य	1.93	0.00
32	विधान मण्डल	176.39	0.10
33	सामान्य प्रशासन	646.15	0.36
34	बिहार लोक सेवा आयोग	24.46	0.01
35	योजना एवं विकास	1819.69	1.02
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	3032.76	1.71
37	ग्रामीण कार्य विभाग	10508.54	5.92
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन	184.75	0.10
39	आपदा प्रबंधन	1220.15	0.69
40	राजस्व एवं भूमि सुधार	729.42	0.41
41	पथ निर्माण	6889.13	3.88
42	ग्रामीण विकास	15471.04	8.71
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	244.57	0.14
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	1386.44	0.78
45	गन्ना उद्योग	122.90	0.07
46	पर्यटन	153.46	0.09
47	परिवहन	122.69	0.07
48	नगर विकास एवं आवास	4413.58	2.49
49	जल संसाधन	3497.38	1.97
50	लघु जल संसाधन	530.39	0.30
51	समाज कल्याण	6839.82	3.85
	महायोग	177533.29	100.00

**परिणाम बजट
2018-2019**

कृषि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-2401000010214	राज्य स्कीम	नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान-कृषि	209.41	0.00	209.41	240100 कर्मचारियों/पदाधिकारियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण पर व्यय किया जाना है।
	1-2401000010314	राज्य स्कीम	नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान-कृषि	0.00	139.60	139.60	
	1-2401007890240	राज्य स्कीम	नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान - कृषि	40.37	0.00	40.37	
	1-2401007890340	राज्य स्कीम	नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान - कृषि	0.00	26.91	26.91	
	1-2401007960262	राज्य स्कीम	नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान - कृषि	2.52	0.00	2.52	
	1-2401007960362	राज्य स्कीम	नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान - कृषि	0.00	1.69	1.69	
2	1-2401001020201	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	6,598.58	0.00	6,598.58	सभी 38 जिलों में फसल विविधीकरण अन्तर्गत धान, गेहूँ, दलहन, जूट एवं गन्ना फसल का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने का कार्य किया जाना है।
	1-2401001020301	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	6,179.63	6,179.63	
	1-2401007890237	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1,272.02	0.00	1,272.02	
	1-2401007890323	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	1,191.25	1,191.25	
	1-2401007960259	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	79.50	0.00	79.50	
	1-2401007960359	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	74.45	74.45	
3	1-2401001030109	राज्य स्कीम	बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	0.00	11,454.00	11,454.00	227 कृषि प्रक्षेत्रों पर प्रमाणित बीजों का उत्पादन हरी खाद एवं गोबर गैस के उत्पादन का कार्य किया जाना है।
	1-2401007890117	राज्य स्कीम	बीज उत्पादन कार्यक्रम	0.00	2,208.00	2,208.00	
	1-2401007960140	राज्य स्कीम	बीज उत्पादन कार्यक्रम	0.00	138.00	138.00	

**परिणाम बजट
2018-2019**

कृषि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	1-2401001030218	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल	996.00	0.00	996.00	राज्य के विभिन्न जिलों में बीज ग्राम के चयनित किसानों को प्रमाणित बीज (धान, अरहर उड़द, गेहूँ, चना, मटर, सरसो, मूंग, ढैंचा) उपलब्ध कराया जाना है, बीज उत्पादन एवं किसानों को प्रशिक्षण हेतु ससमय अनुदान उपलब्ध कराया जाना है।
	1-2401001030318	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल	0.00	664.00	664.00	
	1-2401007890249	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल	192.00	0.00	192.00	
	1-2401007890349	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल	0.00	128.00	128.00	
	1-2401007960271	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल	12.00	0.00	12.00	
	1-2401007960371	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल	0.00	8.00	8.00	
5	1-2401001040106	राज्य स्कीम	कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	0.00	3,320.00	3,320.00	टेलिमेट्रिक प्रणाली से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाना है ।
	1-2401007890147	राज्य स्कीम	कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	0.00	640.00	640.00	
	1-2401007960169	राज्य स्कीम	कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	0.00	40.00	40.00	
6	1-2401001040205	राज्य स्कीम	परम्परागत कृषि विकास योजना	1,433.41	0.00	1,433.41	राज्य के विभिन्न जिलों में क्लस्टर स्थापित कर जैविक विधि से खेती एवं जैविक प्रमाणिकरण हेतु किसानों को प्रशिक्षण एवं अनुदान दिया जाना है ।
	1-2401001040305	राज्य स्कीम	परम्परागत कृषि विकास योजना	0.00	955.60	955.60	
	1-2401007890241	राज्य स्कीम	परम्परागत कृषि विकास योजना	276.32	0.00	276.32	
	1-2401007890341	राज्य स्कीम	परम्परागत कृषि विकास योजना	0.00	184.21	184.21	
	1-2401007960263	राज्य स्कीम	परम्परागत कृषि विकास योजना	17.27	0.00	17.27	
	1-2401007960363	राज्य स्कीम	परम्परागत कृषि विकास योजना	0.00	11.52	11.52	
7	1-2401001050106	राज्य स्कीम	जैविक खेती का उन्नयन	0.00	18,675.00	18,675.00	सभी जिलों में वर्मी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाना है।
	1-2401007890126	राज्य स्कीम	जैविक खेती का उन्नयन	0.00	3,600.00	3,600.00	
	1-2401007960148	राज्य स्कीम	जैविक खेती का उन्नयन	0.00	225.00	225.00	

परिणाम बजट
2018-2019

कृषि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	1-2401001050207	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	1,738.02	0.00	1,738.02	राज्य के सभी जिलों में ड्रीप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक को बढ़ावा देने हेतु कार्य किया जाना है।
	1-2401001050307	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	0.00	1,158.68	1,158.68	
	1-2401007890238	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	335.04	0.00	335.04	
	1-2401007890338	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	0.00	223.36	223.36	
	1-2401007960258	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	20.94	0.00	20.94	
	1-2401007960358	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	0.00	13.96	13.96	
9	1-2401001080220	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	171.69	0.00	171.69	सभी जिलों में तिलहन, दलहन, मक्का के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए समेकित योजना का कार्यान्वयन किया जाना है।
	1-2401001080320	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	197.46	197.46	
	1-2401007890234	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	33.10	0.00	33.10	
	1-2401007890334	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	38.06	38.06	
	1-2401007960256	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	2.06	0.00	2.06	
	1-2401007960356	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	2.38	2.38	
10	1-2401001090103	राज्य स्कीम	बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	0.00	6,225.00	6,225.00	राज्य के सभी सुखाड़ प्रभावित जिलों के किसानों को सिंचाई हेतु डीजल अनुदान एवं आकस्मिक फसल योजना का कार्यान्वयन किया जाना है।
	1-2401007890125	राज्य स्कीम	बाढ़ सुखाड़ की आपात कालीन योजना	0.00	1,200.00	1,200.00	
	1-2401007960147	राज्य स्कीम	बाढ़ सुखाड़ की आपात कालीन योजना	0.00	75.00	75.00	

परिणाम बजट
2018-2019

कृषि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	1-2401001090106	राज्य स्कीम	इनटेनसिफाईड फिल्ड डेवलपमेंट	0.00	18,426.00	18,426.00	कृषकों को आधुनिक तकनीक की जानकारी दिये जाने के साथ ही 7168 किसान सलाहकार को मानदेय का भुगतान एवं राज्य किसान आयोग के स्थापना व्यय तथा भाड़े की गाड़ी का भुगतान तथा दियारा विकास एवं टाल विकास, जिरो टिलेज गेहूँ प्रत्यक्षण पर व्यय किया जाना है।
	1-2401007890106	राज्य स्कीम	इनटेनसिफाईड फिल्ड डेवलपमेंट	0.00	3,552.00	3,552.00	
	1-2401007960134	राज्य स्कीम	इनटेनसिफाईड फिल्ड डेवलपमेंट	0.00	222.00	222.00	
12	1-2401001090216	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	11,620.00	0.00	11,620.00	खरीफ महाभियान के अंतर्गत 40605 एकड़ में श्री विधि से धान की खेती, 35900 एकड़ में प्रत्यक्षण के लिए किसानों को सहाय्य उपलब्ध कराना एवं 77880 एकड़ में जीरो टिलेज विधि से गेहूँ की खेती का प्रत्यक्षण आयोजित किया जाना है। धान रोपने के लिए पैडी ट्रांसप्लान्टर तथा ड्रम सीडर को बढ़ावा दिया जाना है।
	1-2401001090316	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	0.00	9,904.66	9,904.66	
	1-2401007890203	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	2,240.00	0.00	2,240.00	
	1-2401007890303	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	0.00	1,909.34	1,909.34	
	1-2401007960231	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	140.00	0.00	140.00	
	1-2401007960331	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	0.00	119.33	119.33	
13	1-2401001090217	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	3,985.93	0.00	3,985.93	राज्य के सभी जिलों में कृषि तकनीक का सघन प्रचार-प्रसार किया जाना है।
	1-2401001090317	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	0.00	9,546.28	9,546.28	
	1-2401007890236	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	768.37	0.00	768.37	
	1-2401007890336	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	0.00	1,840.25	1,840.25	
	1-2401007960260	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	48.02	0.00	48.02	
	1-2401007960360	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	0.00	115.02	115.02	

**परिणाम बजट
2018-2019**

कृषि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	1-2401001090218	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	3,984.00	0.00	3,984.00	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत जलछाजन विकास कार्य एवं जलछाजन कार्य तथा डीप एवं स्प्रिंकलर की स्थापना पर राशि का व्यय किया जाना है।
	1-2401001090318	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	2,656.00	2,656.00	
	1-2401007890239	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	768.00	0.00	768.00	
	1-2401007890339	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	512.00	512.00	
	1-2401007960261	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	48.00	0.00	48.00	
	1-2401007960361	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	32.00	32.00	
15	1-2401001130105	राज्य स्कीम	प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मेकानाइजेशन	0.00	13,280.00	13,280.00	कृषि यांत्रिकरण हेतु राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए व्यय किया जाना है।
	1-2401007890120	राज्य स्कीम	प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकानाइजेशन	0.00	2,560.00	2,560.00	
	1-2401007960143	राज्य स्कीम	प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकानाइजेशन	0.00	160.00	160.00	
16	1-2401001130217	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन	745.97	0.00	745.97	राज्य के चुने हुए जिलों में फार्म मशीनरी बैंक एवं गुणवत्तायुक्त आधुनिक कृषि यंत्र केन्द्र स्थापित कर गाँवों में कृषि यांत्रिकरण का प्रचार-प्रसार किया जायगा ।
	1-2401001130317	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन	0.00	497.31	497.31	
	1-2401007890245	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन	143.80	0.00	143.80	
	1-2401007890345	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन	0.00	95.87	95.87	
	1-2401007960267	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन	8.99	0.00	8.99	
	1-2401007960367	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन	0.00	5.99	5.99	

परिणाम बजट
2018-2019

कृषि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	1-2401001190101	राज्य स्कीम	उद्यान विकास योजना	0.00	9,556.77	9,556.77	बागवानी विकास अन्तर्गत 1094538 हेक्टेयर बागवानी क्षेत्र का विस्तार का कार्य किया जाना है। साथ ही बागवानी के विभिन्न अवयवों पर राशि व्यय किया जाना है।
	1-2401007890130	राज्य स्कीम	उद्यान विकास योजना	0.00	1,842.26	1,842.26	
	1-2401007960152	राज्य स्कीम	उद्यान विकास योजना	0.00	115.15	115.15	
18	1-2401001190224	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2,183.73	0.00	2,183.73	सभी जिलों में फसल विविधिकरण एवं उद्यान विकास कार्य किया जाना है।
	1-2401001190324	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	0.00	1,455.82	1,455.82	
	1-2401007890235	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	420.96	0.00	420.96	
	1-2401007890335	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	0.00	280.64	280.64	
	1-2401007960257	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	26.31	0.00	26.31	
	1-2401007960357	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	0.00	17.54	17.54	
19	1-2402001020112	राज्य स्कीम	भूमि संरक्षण कार्य	0.00	4,316.00	4,316.00	राज्य के 17 जिलों में वर्षा आश्रित क्षेत्रों में जलछाजन विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कार्य किया जाना है ।
	1-2402007890101	राज्य स्कीम	भूमि संरक्षण कार्य	0.00	832.00	832.00	
	1-2402007960108	राज्य स्कीम	भूमि संरक्षण कार्य	0.00	52.00	52.00	
20	1-2402001020213	राज्य स्कीम	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	3,984.00	0.00	3,984.00	राज्य के 14 जिलों में वर्षा आश्रित क्षेत्रों में जलछाजन विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कार्य एवं जल संचयन संरचना का निर्माण किया जाना है ।
	1-2402001020313	राज्य स्कीम	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	0.00	2,656.00	2,656.00	
	1-2402007890202	राज्य स्कीम	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लूएमपी)	768.00	0.00	768.00	
	1-2402007890302	राज्य स्कीम	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लूएमपी)	0.00	512.00	512.00	
	1-2402007960209	राज्य स्कीम	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लूएमपी)	48.00	0.00	48.00	
	1-2402007960309	राज्य स्कीम	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लूएमपी)	0.00	32.00	32.00	

**परिणाम बजट
2018-2019**

कृषि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	1-2415010040107	राज्य स्कीम	मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	0.00	664.00	664.00	राज्य के सभी जिलों में मिट्टी बीज एवं उर्वरक जाँच एवं मिट्टी जाँच प्रयोगशाला का सुदृढीकरण कार्य किया जाना है।
	1-2415017890107	राज्य स्कीम	मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	0.00	128.00	128.00	
	1-2415017960105	राज्य स्कीम	मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला	0.00	8.00	8.00	
22	1-2415012770101	राज्य स्कीम	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.00	174.30	174.30	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों के स्टाइपेन्ड हेतु सहायक अनुदान दिया जाना है।
	1-2415017890105	राज्य स्कीम	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.00	33.60	33.60	
	1-2415017960108	राज्य स्कीम	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.00	2.10	2.10	
23	1-2415012770108	राज्य स्कीम	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	0.00	13,935.70	13,935.70	बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर एवं इसके अधीन कृषि महाविद्यालयों के स्थापना व्यय एवं कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु सहायक अनुदान दिया जाना है।
	1-2415017890103	राज्य स्कीम	बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	0.00	2,686.40	2,686.40	
	1-2415017960104	राज्य स्कीम	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	0.00	167.90	167.90	
24	1-2415012770312	राज्य स्कीम	कौशल विकास मिशन	0.00	996.00	996.00	राज्य के विभिन्न जिलों में बेरोजगार व्यक्तियों को कृषि कार्य हेतु प्रशिक्षण दिया जाना है।
	1-2415017890308	राज्य स्कीम	कौशल विकास मिशन	0.00	192.00	192.00	
	1-2415017960309	राज्य स्कीम	कौशल विकास मिशन	0.00	12.00	12.00	
25	1-2435601010101	राज्य स्कीम	कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0.00	415.00	415.00	किसानों द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज की राशि पर अनुदान दिया जाना है।
	1-2435607890101	राज्य स्कीम	कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0.00	80.00	80.00	
	1-2435607960101	राज्य स्कीम	कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0.00	5.00	5.00	
26	1-3475001060101	राज्य स्कीम	माप एवं तौल का मानकीकरण	0.00	1,138.35	1,138.35	माप तौल के सुदृढीकरण योजना अंतर्गत उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण को प्रभावी बनाने हेतु कार्य किया जाना है।
	1-3475007890103	राज्य स्कीम	माप एवं तौल का मानकीकरण	0.00	219.44	219.44	
	1-3475007960103	राज्य स्कीम	माप एवं तौल का मानकीकरण	0.00	13.71	13.71	

परिणाम बजट
2018-2019

कृषि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	1-4401000510101	राज्य स्कीम	कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	0.00	3,984.00	3,984.00	कृषि कार्यालय भवन मीठापुर के निर्माण पर व्यय किया जाना है ।
	1-4401007890101	राज्य स्कीम	कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	0.00	768.00	768.00	
	1-4401007960101	राज्य स्कीम	कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	0.00	48.00	48.00	
योग				45,362.33	1,71,772.49	2,17,134.82	

परिणाम बजट
2018-2019

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2-2403001010003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	अस्पताल एवं औषधालय और अन्य स्थापना	0.00	11,453.19	11,453.19	36.46 लाख पशुओं का चिकित्सा, 1.57 लाख पशुओं का बधियाकरण एवं 508.61 लाख पशुओं का टीकाकरण का कार्य किया जाना है।
2	2-2403001020001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (पटना एवं डुमरांव)	0.00	262.07	262.07	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना में पशुओं की क्षमता-650, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमरांव में पशुओं की क्षमता-450, जिनसे उन्नत नस्ल के प्रजनन का कार्य किया जाना है।
3	2-2403001020007	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	मवेशी मेला एवं प्रदर्शनी और पशु-कल्याण	0.00	137.22	137.22	पशु प्रदर्शनी एवं स्टॉल की संख्या-03, पशुधन प्रतियोगिता का आयोजन-02, किसानों के साथ बैठक-20, स्लोगन प्लेट का निर्माण-10, विडियो फिल्म का निर्माण-06, खींचे गये फोटोग्राफ की संख्या-400, प्रसार कार्य हेतु फिल्म-05, पशुपालन साहित्य का वितरण-40,000 पर व्यय किया जाना है।
4	2-2403001070001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	चारा और खाद्य विकास	0.00	150.51	150.51	इस योजना के अन्तर्गत चारा एवं चारा बीजों का किसानों के बीच मुफ्त वितरण किया जाना है।
5	2-2403001090001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्रसार एवं प्रशिक्षण	0.00	45.81	45.81	100 पशुधन सहायक कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना है।
6	2-2403001010101	राज्य स्कीम	अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना	0.00	6,000.00	6,000.00	पशु चिकित्सालयों/औषधालयों का सुदृढ़ीकरण, संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सक के मानदेय का भुगतान/ 315 नये पशु चिकित्सालयों में संविदा पर नियुक्त एवं नियुक्त होने वाले 315 पशु चिकित्सकों, 315 पशु परिचर एवं 315 चौकीदार- सह - झाड़ूकश का मानदेय भुगतान, 589 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय भुगतान/एम्बुलेटरी भान को जी०पी०एस० सिस्टम से सुसज्जित करना एवं उनके लिये ईंधन, रख-रखाव एवं चालक का मानदेय का भुगतान किया जाना है। निःशुल्क प्राण रक्षक पशु दवा तथा मशीन एवं उपस्कर का क्रय। पशु चिकित्सकों को निजी मोटर साईकिल हेतु ईंधन एवं निजी मोबाईल हेतु रिचार्ज कूपन उपलब्ध कराना। टीका कर्मियों का मानदेय भुगतान। 08 एम्बुलट्री भान के साथ 02 लिफ्टिंग एवं कैरिंग (बीमार पशुओं के लिए) क्रय किया जाना है। एच०एस० एवं बी० क्यू० ब्रूसेलिस एण्ड पी० पी० टीकाकरण का कार्य किया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	2-2403001020101	राज्य स्कीम	फ़ोजन सीमेन बैंक	0.00	200.00	200.00	फ़ोजन सीमेन बैंक, पटना का सुदृढीकरण एवं बाह्य स्रोत से आवश्यकता अनुसार कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कराया जाना है।
8	2-2403001020110	राज्य स्कीम	गोशाला के विकास की योजना	0.00	200.00	200.00	राज्य में स्थापित गोशाला का विकास करते हुए उन्हें मॉडल गोशाला के रूप में विकसित करने हेतु प्रति गोशाला अधिकतम रुपये 20 लाख की दर से 10 गोशालाओं को अनुदान दिया जाना है।
9	2-2403001030106	राज्य स्कीम	मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और	0.00	870.39	870.39	लो-इनपुट प्रजाति के कुक्कुटों का उत्पादन एवं वितरण, राज्य के 5 कुक्कुट प्रक्षेत्र, यथा- पटना, भागलपुर, पूर्णियां, मुजफ्फरपुर एवं किशनगंज में उत्पादित चूजों को 4 सप्ताह तक मदर यूनिट में पाल कर बी०पी०एल० परिवारों को अनुदानित दर पर वितरण, लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना हेतु अनुदान की योजना, एवियन इन्फ्लुएंजा रोग का प्रभावी नियंत्रण हेतु सर्वेक्षण किया जाना है। वर्ष 2017-18 में अब तक 14,80,043 चूजों का वितरण 2681 मुर्गी पालक परिवारों के बीच किया गया है। 1000 क्षमता के 16 लेयर फार्मों की स्थापना की स्वीकृति दी गयी है। शेष प्रक्रियाधीन है।
10	2-2403001040102	राज्य स्कीम	अवि एवं आज्ञा का पोषण एवं विकास	0.00	300.00	300.00	बकरीपालन-सह-प्रजनन प्रक्षेत्रा, मरंगा, पूर्णियाँ के स्थापना, रख-रखाव एवं सुदृढीकरण की योजना पर व्यय किया जाना है। एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० कम्पोनेन्ट के तहत उन्नत नस्ल की तीन प्रजनन योग्य बकरियों का प्रति परिवार वितरण, स्थानीय बकरियों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के बकरों का निःशुल्क वितरण, निजी बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान दिया जाना है।
11	2-2403001050102	राज्य स्कीम	सूअरों का विकास	0.00	1.00	1.00	सुकर प्रजनन-सह- सुकर पालन प्रशिक्षण संस्थान योजनान्तर्गत राज्य में सुकर पालन का बढ़ावा देने हेतु नस्ल सुधार कार्य किया जाना है, तथा इस व्यवसाय से जुड़े बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाना है।

**परिणाम बजट
2018-2019**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	2-2403001060111	राज्य स्कीम	एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण परियोजना	0.00	70.00	70.00	50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित इस योजना के तहत ऋतुवार प्रमुख पशु उत्पादों के आँकड़ों का संकलन कर समेकित प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जाता है। ये आँकड़े विभागीय योजनाओं के सूत्रण का मुख्य आधार है।
13	2-2403001060210	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	3,947.05	0.00	3,947.05	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्काड योजना अन्तर्गत पशुओं को संक्रामक रोग से बचाव हेतु सघन टीकाकरण अभियान के तहत कृमिनाशक दवाओं का वितरण। कुक्कुटों में रानीखेत के विरुद्ध टीकाकरण कार्यक्रम। पशु पालकों, पशु चिकित्सकों एवं पारा-भेट को पशु चिकित्सा सेवा से संबंधित नवीनतम तकनीकी एवं पशु रोगों के बचाव से संबंधित जानकारी देने हेतु सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाना है।
	2-2403001060310	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	0.00	2,631.37	2,631.37	
14	2-2403001060212	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	1,664.53	0.00	1,664.53	नेशनल लाईवस्टॉक मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण बैक यार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट योजना के तहत लो इनपुट प्रजाति के चूजों को 4 सप्ताह तक मदर युनिट में पाल कर वितरण की योजना है। इसके अतिरिक्त पशुधन बीमा, दक्षता विकास की योजना एवं पशु मेला के आयोजन का कार्य किया जाना है।
	2-2403001060312	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	0.00	1,109.69	1,109.69	
15	2-2403001070103	राज्य स्कीम	चारा अधिकोष की स्थापना	0.00	50.00	50.00	10 एकड़ भूमि की घेराबंदी कर चारा उत्पादन तथा प्रत्यक्षण का कार्य किया जाना है।
16	2-2403007890101	राज्य स्कीम	बैक यार्ड बकरी पालन योजना	0.00	800.00	800.00	समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना अन्तर्गत उन्नत नस्ल के तीन प्रजनन योग्य बकरी (एक इकाई) का अनुसूचित जाति के परिवारों के बीच निःशुल्क वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निजी क्षेत्रों में बकरी फर्म की स्थापना पर अनुदान दिया जाना है।
17	2-2403007890102	राज्य स्कीम	बैक यार्ड मुर्गी पालन योजना	0.00	1,140.21	1,140.21	बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना अन्तर्गत एक दिवसीय लो इनपुट प्रजाति के चूजों का क्रय कर उन्हें चार सप्ताह तक मदर युनिट में पालकर ग्रामीण परिवारों के बीच निःशुल्क वितरण किया जाना है। लेयर फार्म की स्थापना पर अनुदान दिया जाना है।
	2-2403007960125	राज्य स्कीम	बैक यार्ड मुर्गी पालन योजना	0.00	145.11	145.11	

परिणाम बजट
2018-2019

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	2-2403007890108	राज्य स्कीम	बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	200.00	200.00	कौशल विकास मिशन योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार- युवक/युवतियों को स्व-रोजगार सृजन हेतु पशुपालन से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाना है।
	2-2403007960127	राज्य स्कीम	बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	20.00	20.00	
19	2-2403007890206	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	752.00	0.00	752.00	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों के पशुओं के टीकाकरण एवं कृमिनाशन का कार्य किया जाना है।
	2-2403007890306	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	0.00	501.33	501.33	
20	2-2403007890207	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	316.87	0.00	316.87	नेशनल लाईवस्टॉक मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण बैक यार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट योजना के तहत लो इनपुट प्रजाति के चूजों को चार सप्ताह तक मदर यूनिट में पालकर अनुसूचित जाति के परिवारों के बीच वितरण किया जाना है।
	2-2403007890307	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	0.00	211.25	211.25	
21	2-2403007960124	राज्य स्कीम	बैक यार्ड बकरी पालन योजना	0.00	80.00	80.00	समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना अन्तर्गत उन्नत नस्ल के तीन प्रजनन योग्य बकरी (एक इकाई) का अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बीच निःशुल्क वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निजी क्षेत्रों में बकरी फर्म की स्थापना पर अनुदान दिया जाना है।
22	2-2404001020103	राज्य स्कीम	प्रशिक्षण	0.00	400.00	400.00	रु० 400.00 लाख के व्यय पर एन०डी०आर०आई०, करनाल में 1140 कृषकों/ सदस्यों को स्वच्छ दूध उत्पादन संबंधित प्रशिक्षण, डी०एन० एस० पटना में 1140 महिला एवं 1140 पुरुष सदस्यों को पशु प्रबंधन एवं पोषण से संबंधित प्रशिक्षण, 930 महिला एवं 1140 पुरुष सदस्यों को हरा चारा, बाँयो गैस एवं वर्मी कम्पोस्ट से संबंधित प्रशिक्षण और एन०डी०डी०बी०, सिलीगुड़ी में 950 सदस्यों को हरा चारा उत्पादन, पशु प्रबंधन तथा वर्मी कम्पोस्ट से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

परिणाम बजट
2018-2019

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	2-2404001020115	राज्य स्कीम	गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएं	0.00	7,900.00	7,900.00	रु० 5373.60 लाख के व्यय पर 02 दूधारू मवेशी की 5999 डेरी इकाई तथा 04 दूधारू मवेशी की 1741 डेरी इकाई की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान राज्य अंतर्गत सभी जिलों में लाभुकों को प्रदान किया जायेगा। रु० 30.00 लाख के व्यय पर 582 दुग्ध सहकारी समितियों में दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायगा। रु० 320.40 लाख के व्यय पर पारिश्रमिक का भुगतान, रु० 76.00 लाख के व्यय पर राजगीर, सोनपुर एवं बाँसी में मेला प्रदर्शनी एवं योजनाओं का प्रचार-प्रसार तथा रु० 2100.00 लाख का व्यय कम्पेड के माध्यम से एन०डी०डी०सी० को सूद की राशि की प्रतिपूर्ति पर की जायेगी।
24	2-2404007890101	राज्य स्कीम	ग्रामीण डेरी रोजगार योजनाएँ	0.00	1,600.00	1,600.00	रु० 1525.00 लाख के व्यय पर 02 दूधारू मवेशी की 1200 डेरी इकाई तथा 04 दूधारू मवेशी की 403 डेरी इकाई की स्थापना हेतु 66.66 प्रतिशत अनुदान राज्य अंतर्गत सभी जिलों में लाभुकों को प्रदान किया जायेगा। रु० 75 लाख के व्यय पर डी०एन० एस० पटना में 750 पुरुष सदस्यों को पशु प्रबंधन एवं पोषण से संबंधित प्रशिक्षण द्वारा एन०डी०डी०बी०, सिलीगुड़ी में 500 सदस्यों को हरा चारा उत्पादन, पशु प्रबंधन तथा वर्मी कम्पोस्ट संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
25	2-2404007960101	राज्य स्कीम	प्रशिक्षण एवं विस्तार	0.00	100.00	100.00	रु० 85.00 लाख के व्यय पर 02 दूधारू मवेशी की 120 डेरी इकाई की स्थापना 66.66 प्रतिशत अनुदान राज्य अंतर्गत सभी जिलों में लाभुकों को प्रदान किया जायेगा एवं रु० 15 लाख के व्यय पर डी०एन० एस० पटना में 250 पुरुष सदस्यों को पशु प्रबंधन एवं पोषण से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
26	2-2405000010101	राज्य स्कीम	मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन	0.00	218.60	218.60	36.00 लाख रु० की लागत पर डाटाबेस-सह-सूचना केन्द्र के पदों का अवधि विस्तार की योजना। 60.00 लाख की लागत पर संविदा के आधार पर वाहन चालकों की सेवा प्राप्त करने की योजना। 22.60 लाख रु० की लागत सं०म०नि० (प्रशि० एवं प्र०) के सृजित पदों के अवधि विस्तार की योजना है।

परिणाम बजट
2018-2019

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	2-2405000010102	राज्य स्कीम	मत्स्य प्रसार	0.00	730.01	730.01	300.00 लाख रु० की लागत पर मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण । 20.00 लाख रु० की लागत पर कार्यशाला की योजना। 5.00 लाख रु० की लागत पर कम्प्यूटर सामग्री क्रय की योजना। 5.00 लाख रु० की लागत पर प्रशिक्षण केन्द्र के सामग्री क्रय की योजना है ।
28	2-2405001010102	राज्य स्कीम	मछुआ सहयोग समितियों के सदस्यों के सामूहिक जीवन	0.00	18.00	18.00	18.00 लाख की लागत पर 3 लाख मछुआरों के लिए प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा ।
29	2-2405001010103	राज्य स्कीम	मन मत्स्य का विकास	0.00	50.00	50.00	50.00 लाख रु० की लागत पर सृजित पदों के अवधि विस्तार योजना है।
30	2-2405001010104	राज्य स्कीम	तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार	0.00	4,044.58	4,044.58	4044.58 लाख रु० की लागत पर अनुदानित बीज वितरण, हैचरी, फिड मील, रियरिंग, आर्द्रभूमि विकास एवं अंगुलिकाओं की संचयन, ट्यूबवेल-पम्पसेट, मत्स्य आहार वितरण, उद्यमियों का प्रोत्साहन आदि मत्स्य विकास की योजनाएँ कार्यान्वित की जायेगी ।
31	2-2405001010107	राज्य स्कीम	मत्स्य अनुसंधान योजना	0.00	290.00	290.00	10.00 लाख रु० की लागत पर मत्स्य अनुसंधान की योजना। 280.00 लाख रु० की लागत पर अनुसंधान केन्द्र का सुदृढीकरण की योजना है
32	2-2405001010219	राज्य स्कीम	नीली क्रांति - समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन	500.00	0.00	500.00	833.31 लाख रु० की लागत पर अनुदानित दर पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना - नीली क्रांति समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन की योजनाएँ कार्यान्वित की जानी है।
	2-2405001010319	राज्य स्कीम	नीली क्रांति - समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन	0.00	333.33	333.33	
33	2-2405007890101	राज्य स्कीम	मछुआरों की सहायता	0.00	1,192.20	1,192.20	1266.71 लाख रु० की लागत से अनुदानित दर पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों के लिए मत्स्य विकास की योजनाओं पर राशि व्यय की जानी है।
	2-2405007960109	राज्य स्कीम	मछुआरों की सहायता	0.00	74.51	74.51	
34	2-2415032770101	राज्य स्कीम	बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0.00	2,800.00	2,800.00	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना से संबंधित आरंभिक कार्य हेतु अनुदान दिया जाना है। आवश्यक पदों की स्वीकृति दी जा चुकी है एवं आवश्यक निर्माण कार्य पर व्यय किया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	2-2403001060411	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण परियोजना	95.00	0.00	95.00	50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित इस योजना के तहत ऋतुवार प्रमुख पशु उत्पादों के आँकड़ों का संकलन कर समेकित प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जाता है। ये आँकड़े विभागीय योजनाओं के सूत्राण का मुख्य आधार है।
36	2-3454010010405	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	पशुधन गणना	2,065.17	0.00	2,065.17	शत प्रतिशत केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत संचालित इस योजना के द्वारा बिहार राज्य अन्तर्गत 20वीं पशुधन गणना एवं ब्रीड सर्वे का कार्य किया जाता है, जिसके आधार पर पशुपालन से संबंधित योजनाओं का सूत्रण किया जाता है। जिसके तहत वर्तमान में पशुगणना कार्य जारी है।
योग				9,340.62	46,330.38	55,671.00	

परिणाम बजट
2018-2019

भवन निर्माण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3-2059010530102	राज्य स्कीम	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जीर्णोद्धार	0.00	40.00	40.00	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का आधुनिकीकरण किया जाना है ।
2	3-2059010530103	राज्य स्कीम	गृह विभाग (कारा) के मुख्यालय का सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार	0.00	130.00	130.00	गृह विभाग (कारा) के कार्यालय का सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना है।
3	3-2059010530104	राज्य स्कीम	गृह विभाग (आरक्षी) के मुख्यालय का सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार	0.00	200.00	200.00	गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के कार्यालय का सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना है ।
4	3-2059010530105	राज्य स्कीम	गृह विभाग (विशेष शाखा) के मुख्यालय का सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार	0.00	200.00	200.00	गृह विभाग (विशेष शाखा) के कार्यालय का सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना है ।
5	3-2059010530118	राज्य स्कीम	वित्त विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	0.00	50.00	50.00	वित्त विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण किया जाना है ।
6	3-4047000510101	राज्य स्कीम	वाणिज्यकर विभाग के भवन	0.00	1,500.00	1,500.00	प्रमंडल/अंचल कार्यालयों को निर्माण एवं जीर्णोद्धार तथा चहारदीवारी से संबंधित कार्य कराया जाना है।
7	3-4047000510105	राज्य स्कीम	कोषागार कार्यालयों में अतिरिक्त संसाधन अधिष्ठापन	0.00	200.00	200.00	जिला कोषागार एवं अनुमंडलीय कोषागार का भवन निर्माण कराया जाना है एवं फर्नीचर की व्यवस्था कराया जाना है।
8	3-4055000510103	राज्य स्कीम	नया पुलिस मुख्यालय भवन का निर्माण- गृह (आरक्षी) विभाग	0.00	5,000.00	5,000.00	निर्माणाधीन नया पुलिस मुख्यालय के लिए राशि का व्यय किया जाना है ।
9	3-4059010510101	राज्य स्कीम	भवन	0.00	10,000.00	10,000.00	विधान मंडल एवं सचिवालय विस्तारीकरण कार्य के एवं सचिवालय ब्लॉक 2, 3, 4 का अवशेष कार्य कराया जाना है साथ ही विगत वर्षों की स्वीकृत योजनाओं को वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में पूर्ण किया जाना है ।
10	3-4059010510104	राज्य स्कीम	समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का	0.00	2,410.00	2,410.00	सामान्य प्रशासन विभाग के समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों के निर्माण पर व्यय किया जाना है।

**परिणाम बजट
2018-2019**

भवन निर्माण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	3-4059010510105	राज्य स्कीम	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	0.00	500.00	500.00	पशु एवं मत्स्य संसाधन (पशुपालन) विभाग के आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु पशु चिकित्सालयों/ औषधालयों का भवन निर्माण एवं चाहर दिवारी का निर्माण भवन निर्माण विभाग/ अन्य प्राधिकृत एजेंसी के माध्यम से कराना है।
12	3-4059010510107	राज्य स्कीम	वित्त विभाग के भवन	0.00	500.00	500.00	वित्त विभाग के निदेशालय हेतु संयुक्त भवन निर्माण का कार्य कराया जाना है।
13	3-4059010510110	राज्य स्कीम	निबंधन विभाग के भवन	0.00	400.00	400.00	जिला स्थित अवर निबंधन/निबंधन कार्यालयों के कार्यालय भवन एवं अभिलेखागार संबंधी कार्य एवं अन्य कार्य किया जाना है।
14	3-4059010510111	राज्य स्कीम	उत्पाद विभाग के भवन	0.00	500.00	500.00	जिला स्थित क्षेत्रीय उत्पाद कार्यालय भवन तथा बैरक हाजत, मालखाना एवं उत्पाद रसायन परिक्षक के लैब के नवनिर्माण एवं अन्य कार्य किया जाना है।
15	3-4059010510113	राज्य स्कीम	सहकारिता विभाग के भवन	0.00	1,967.50	1,967.50	14 जिलों में सहकार भवन के निर्माण किया जाना है।
16	3-4059010510116	राज्य स्कीम	संयुक्त श्रम भवन का निर्माण	0.00	2,500.00	2,500.00	राज्य के वैसे जिले जहाँ संयुक्त श्रम भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति देने के पश्चात् संयुक्त श्रम भवन निर्माण प्रक्रियाधीन है एवं उनपर वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि खर्च होने की संभावना है एवं शेष वैसे जिले जहाँ संयुक्त श्रम भवन निर्माण किया जाना है, पर व्यय किया जायेगा।
17	3-4059010510117	राज्य स्कीम	प्रखंड के भवन(ग्रामीण विकास विभाग)	0.00	9,400.00	9,400.00	राज्य के भवनहीन प्रखण्ड एवं जर्जर अवस्था वाले प्रखण्डों के नये प्रखण्ड कार्यालय सह आवासीय भवन के निर्माण पर व्यय किया जाना है।
18	3-4059010510118	राज्य स्कीम	पंचायती राज विभाग के भवनों का आधुनिकीकरण (पंचायती राज विभाग)	0.00	300.00	300.00	पंचायती राज विभाग, बिहार, का आधुनिकीकरण किया जाना है।
19	3-4059010510119	राज्य स्कीम	कृषि कार्यालय भवन	0.00	7,885.00	7,885.00	कृषि विभाग के पुराने भवनों का जिर्णोद्धार एवं कृषि बाजार प्रांगण के विकास एवं सुदृढीकरण का कार्य किया जाना है।
	3-4059017890102	राज्य स्कीम	कृषि कार्यालय भवन	0.00	1,520.00	1,520.00	
	3-4059017960105	राज्य स्कीम	कृषि कार्यालय भवन	0.00	95.00	95.00	
20	3-4059010510122	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय	0.00	200.00	200.00	निर्माणाधीन अल्पसंख्यक कार्यालय भवन के लिए राशि उपलब्ध कराया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

भवन निर्माण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	3-4059010510124	राज्य स्कीम	बिहार भूमि न्यायाधिकरण परिसर में न्यायालय एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु	0.00	1.00	1.00	बिहार भूमि न्यायाधीकरण परिसर में न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण किया जाना है ।
22	3-4059010510127	राज्य स्कीम	प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र का निर्माण (नाबार्ड सम्पोषित)	0.00	23,300.00	23,300.00	राज्य के 101 प्रखण्डों में प्रखंड आई टी सेंटर के निर्माण किया जाना है ।
23	3-4059017890101	राज्य स्कीम	अनुसूचित जाति के भवन	0.00	30,000.00	30,000.00	9 नया आवासीय विद्यालय, 5 नया छात्रावास भवनों का निर्माण तथा 15 आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का जीर्णोद्धार किया जाना है।
	3-4059017960104	राज्य स्कीम	अनुसूचित जनजाति के भवन	0.00	14,900.00	14,900.00	
24	3-4059600510101	राज्य स्कीम	सचिवालय स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण	0.00	50.00	50.00	सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब का जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण किया जाना है।
25	3-4059600510104	राज्य स्कीम	परिसदन का निर्माण एवं संधारण	0.00	500.01	500.01	परिसदन का निर्माण एवं संधारण पर व्यय किया जाना है।
26	3-4059600510105	राज्य स्कीम	केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण	0.00	2,000.00	2,000.00	मंडल कारा अरवल, उप कारा पालीगंज, शिविर मंडल कारा फुलवारीशरीफ, महिला कक्षपालों के लिए केन्द्रीय कारा में 50 क्षमता, मंडल कारा में 30 क्षमता एवं उप कारा में 20 क्षमता का बैरक का निर्माण किया जाना है ।
27	3-4059600510106	राज्य स्कीम	स्टेडियम एवं खेल संरचना	0.00	11,000.00	11,000.00	पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, कंकड़बाग का विकास, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत 38 जिलों के सभी प्रखण्डों में खेल संरचना का निर्माण एवं विकास तथा नालन्दा जिला अन्तर्गत राजगीर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स अकादमी का निर्माण तथा खेल भवन-सह-व्यायामशाला का निर्माण किया जाना है।
28	3-4059600510107	राज्य स्कीम	सांस्कृतिक संरचना	0.00	16,756.00	16,756.00	बिहार संग्रहालय का निर्माण, वैशाली में बुद्ध स्मयक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण, संग्रहालय भवन, प्रेक्षागृहों एवं अन्य सांस्कृतिक संरचना का निर्माण, पुनर्संयोजन, जीर्णोद्धार एवं विकास तथा पुरातात्विक स्थलों/स्मारकों का संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य किया जाना है।

**परिणाम बजट
2018-2019**

भवन निर्माण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	3-4059600510112	राज्य स्कीम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के	0.00	9,291.15	9,291.15	स्थापित औ० प्र० संस्थान एवं प्रस्तावित 16 नये औ० प्र० संस्थान/ 08 महिला औ० प्र० संस्थान के भवनों का निर्माण अर्थात् कुल 49 औ० प्र० संस्थानों के भवन निर्माण कार्य किया जाना है।
	3-4059607890106	राज्य स्कीम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण	0.00	697.70	697.70	
	3-4059607960103	राज्य स्कीम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण	0.00	250.00	250.00	
30	3-4059600510114	राज्य स्कीम	अंचल स्तर पर डाटा केन्द्र सह आधुनिक	0.00	319.99	319.99	कुल 534 अंचलों में अंचलों के लिए निर्मित भवन का फिनिसिंग का कार्य पूर्ण कराना है ।
31	3-4059600510116	राज्य स्कीम	जिला परिवहन कार्यालयों का निर्माण	0.00	687.17	687.17	निर्मित किये जा रहे जिला परिवहन कार्यालय के भवनों को पूर्ण करने के लिए राशि व्यय की जानी है ।
32	3-4059600510120	राज्य स्कीम	व्यवहार न्यायालय पटना में जी+7 कोर्ट भवन	0.00	10.00	10.00	पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में संयुक्त न्यायालय भवन (सेमी बेसमेन्ट एवं जी+7) कोर्ट रूम, चैम्बर, कार्यालय, रेकॉर्ड रूम तथा मिडियेशन सेन्टर का निर्माण किया जाना है ।
33	3-4059600510121	राज्य स्कीम	पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण	0.00	1,000.00	1,000.00	पटना, उच्च न्यायालय की विस्तारीकरण कार्य प्रगति हेतु राशि का व्यय की जानी है ।
34	3-4059600510123	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भवन	0.00	1,500.00	1,500.00	मुख्यमंत्री के निश्चय के अंतर्गत 20-25 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवकों को सहायता भत्ता दिया जाना है ।
35	3-4059600510124	राज्य स्कीम	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)	0.00	100.00	100.00	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) के निर्माण पर व्यय किया जाना है।
36	3-4059600510218	राज्य स्कीम	अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम	425.00	0.00	425.00	4 बालक छात्रावास का निर्माण किया जाना है
	3-4059600510318	राज्य स्कीम	अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम	0.00	425.00	425.00	
37	3-4059600510222	राज्य स्कीम	कौशल विकास योजना	1,125.00	0.00	1,125.00	कौशल विकास योजनान्तर्गत एल० डब्लू ई० के अंतर्गत 03 औ० प्र० संस्थान एवं औ० प्र० संस्थान मढौरा को मॉडल आई० टी० आई० के रूप में विकसित करने हेतु व्यय किया जाना है।
	3-4059600510322	राज्य स्कीम	कौशल विकास योजना	0.00	480.00	480.00	
	3-4059607890305	राज्य स्कीम	कौशल विकास योजना	0.00	90.00	90.00	
	3-4059607960302	राज्य स्कीम	कौशल विकास योजना	0.00	30.00	30.00	

परिणाम बजट
2018-2019

भवन निर्माण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
38	3-4059800510105	राज्य स्कीम	न्यायिक भवन हेतु	0.00	1,730.00	1,730.00	मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, दरभंगा, नवगछिया एवं सिवान में कोर्ट भवन का निर्माण कार्य प्रगति में है। बाँका में 4 कोर्ट भवन के ऊपर 6 कोर्ट भवन एवं रेकर्ड रूम एवं अरवल में परिवार न्यायालय सह मिडिएशन केन्द्र का निर्माण किया जाना है।
39	3-4059800510109	राज्य स्कीम	बिहार राज्य न्यायिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान हेतु छात्रा	0.00	150.00	150.00	बिहार न्यायिक अकादमी का संस्थान एवं छात्रावास में विविध कार्यकिया जाना है।
40	3-4059800510110	राज्य स्कीम	न्यायिक भवनों (भवन निर्माण विभाग)	0.00	100.00	100.00	माननीय उच्च न्यायालय में प्री फैब कार्यालय के निर्माणाधीन भवन एवं चाहरदिवारी कार्य हेतु राशि व्यय की जानी है ।
41	3-4059800510117	राज्य स्कीम	इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं	0.00	7,816.81	7,816.81	विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेक्निक संस्थानों के भवनों का जीर्णोद्धार एवं अतिरिक्त भवनों का निर्माण किया जाना है।
42	3-4059800510118	राज्य स्कीम	पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं	0.00	9,500.00	9,500.00	बालिका छात्रावास का निर्माण किया जाना है ।
43	3-4059800510119	राज्य स्कीम	सरकारी भूमि की घेराबंदी	0.00	40.00	40.00	सरकारी भूमि के लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने एवं उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सरकारी भूमि का संरक्षण कर भूमि सुरक्षित किये जाने हेतु सरकारी भूमि की घेराबंदी किया जाना है
44	3-4059800510122	राज्य स्कीम	आई०टी० भवन	0.00	2,000.00	2,000.00	राज्य सरकार के द्वारा आई०टी०आई० रोड मैप के तहत पटना में आई०टी०आई० टॉवर, बन्दर बागीचा में आई०टी०आई० पार्क के साथ-साथ मेगा आई०टी०आई० इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना है।
45	3-4059800510220	राज्य स्कीम	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	9,000.00	0.00	9,000.00	व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ, मुंगेर, नालंदा (बिहारशरीफ), लखीसराय, दानापुर, मसौढ़ी, हिलसा, मंझौल, अरवल छपरा, बगहा, बेतिया, गोपालगंज, सहरसा में कोर्ट भवन का निर्माण कार्य प्रगति में है तथा औरंगाबाद, कहलगाँव, पालीगंज में कोर्ट भवन का निर्माण। मुंगेर में परिवार न्यायालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है ।
	3-4059800510320	राज्य स्कीम	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	0.00	6,000.00	6,000.00	
46	3-4059800510221	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	3,100.00	0.00	3,100.00	अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाना है ।
	3-4059800510321	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	0.00	1,500.00	1,500.00	

परिणाम बजट
2018-2019

भवन निर्माण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
47	3-4059802010103	राज्य स्कीम	इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटी I	0.00	500.00	500.00	नालन्दा विश्वविद्यालय में आईटी0 सिटी का निर्माण किया जाना है।
48	3-4202021040108	राज्य स्कीम	पोलिटिकनीक भवन (निश्चय)	0.00	15,000.00	15,000.00	राज्य के सभी जिलों में नया पोलिटिकनीक के भवनों के निर्माण पर व्यय किया जाना है।
49	3-4202021050105	राज्य स्कीम	अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय)	0.00	47,500.00	47,500.00	राज्य में नया अभियंत्रण महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण पर व्यय किया जाना है।
50	3-4210011100116	राज्य स्कीम	शहरी अस्पतालों के भवनों का निर्माण	0.00	500.00	500.00	राज्य के सदर, अनुमंडलों में स्थित अस्पतालों के विभिन्न भवनों का जीर्णोद्धार किया जायेगा।
51	3-4210021100102	राज्य स्कीम	ग्रामीण अस्पतालों के भवनों का निर्माण	0.00	300.00	300.00	राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य उपकेन्द्र के विभिन्न भवनों का जीर्णोद्धार किया जायेगा।
52	3-4210031050114	राज्य स्कीम	इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना	0.00	1.00	1.00	इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना के जीर्णोद्धार संबंधी कार्य कराया जाएगा।
53	3-4210031050115	राज्य स्कीम	मेडिकल कॉलेज अस्पताल	0.00	300.00	300.00	राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल विभिन्न भवनों का जीर्णोद्धार किया जायेगा।
	3-4210031050116	राज्य स्कीम	मेडिकल कॉलेज	0.00	200.00	200.00	
54	3-4216010510102	राज्य स्कीम	आवासीय भवनों का निर्माण-सामान्य	0.00	2,910.00	2,910.00	सामान्य प्रशासन विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण पर व्यय किया जाना है।
55	3-4216017000101	राज्य स्कीम	अन्य आवास	0.00	19,800.00	19,800.00	माननीय विधान पार्षद के लिए आवास निर्माण कार्य प्रगति में है तथा माननीय विधान सभा सदस्यों के आवास निर्माण कार्य वर्ष 2017-18 में प्रारंभ किया गया है। मॉडल विधायक आवासन परियोजना के अंतर्गत 325 अर्द्ध डुपलेक्स बंगला, दो हॉस्टल एवं कम्युनिटी सुविधा के विकास से संबंधित कार्य के लिए राशि का व्यय किया जाना है।
56	3-4216017000102	राज्य स्कीम	न्यायिक आवासीय भवनों	0.00	100.00	100.00	आवास संख्या-16 हार्डिंग पटना में माननीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना के निर्माण आवासीय भवन के शेष कार्य के लिए राशि का व्यय किया जाना है।
57	3-4216017000105	राज्य स्कीम	न्यायाधीशों के आवास (विधि विभाग)	0.00	2,100.00	2,100.00	शेखपुरा, शिवहर, लखीसराय, बिहारशरीफ, उदाकिशुनगंज में पी0ओ0 आवास का निर्माण तथा मधेपुरा एवं मोतिहारी प्रधान न्यायाधीश के आवास एवं शिवहर में जिला सत्र न्यायाधीश का आवास एवं 'ए', 'बी' एवं 'सी' टाइप आवास निर्माण पर व्यय किया जाना है।

**परिणाम बजट
2018-2019**

भवन निर्माण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
58	3-4216017000206	राज्य स्कीम	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	6,000.00	0.00	6,000.00	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद के आवासीय भवन का निर्माण तथा व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, मंझौल, सिवान, अरवल, बेतिया, हिल्सा, नवगछिया, भागलपुर बेनीपटी, कहलगाँव, पालीगंज, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर एवं छज्जुबाग पटना में पी०ओ० आवास का निर्माण एवं अरवल में 'ए', 'बी' एवं 'सी' टाइप आवास निर्माण कार्य किया जाना है ।
	3-4216017000306	राज्य स्कीम	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	0.00	4,000.00	4,000.00	
59	3-4216800510103	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आवास	0.00	200.00	200.00	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आवास भवन का निर्माण पर व्यय किया जाना है ।
60	3-4225040510103	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय	0.00	500.00	500.00	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय की तर्ज पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण की योजना पर व्यय किया जाना है।
61	3-4225800510103	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	0.00	1,200.00	1,200.00	अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाना है ।
62	3-4225800510104	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक समुदाय के महानुभावों के नाम से भवन निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	0.00	200.00	200.00	मौलाना मजहरूल हक, अब्दुल क्यूम अंसारी एवं गुलाम सरवर के नाम पर विभिन्न स्मारक एवं ऑडोटेोरियम का अतिरिक्त कार्य एवं सुसज्जन का कार्य किया जाना है ।
63	3-4235020510104	राज्य स्कीम	समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न भवनों का निर्माण	0.00	200.00	200.00	गृहों के निर्माण पर व्यय किया जाना है ।
64	3-4235021040101	राज्य स्कीम	वृद्धाश्रम	0.00	100.00	100.00	राज्य में 03 वृद्धाश्रम का निर्माण किया जाना है ।
65	3-4408021010101	राज्य स्कीम	लक्षित जनवितरण प्रणाली के लिए	0.00	10,000.00	10,000.00	गोदाम निर्माण पर व्यय किया जाना है ।
66	3-4408021010102	राज्य स्कीम	खाद्यान्न भंडार गोदामों का निर्माण (नाबार्ड सम्पोषित)	0.00	3,466.00	3,466.00	गोदाम निर्माण हेतु व्यय किया जाना है ।
योग				19,650.00	2,96,799.33	3,16,449.33	

**परिणाम बजट
2018-2019**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4-2052000900101	राज्य स्कीम	राजभाषा	0.00	162.00	162.00	राजभाषा हिन्दी के उत्थान के निमित्त विभिन्न पुरस्कार/सेमिनार/संगोष्ठी/जन्म तिथि/पुण्य तिथि समारोह आदि का आयोजन के अतिरिक्त विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभागों से प्राप्त राजकीय साहित्य का हिन्दी अनुवाद, राष्ट्रभाषा हिन्दी को राज्य की जनता के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु विभागीय त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा' हिन्दी में प्रकाशित किया जाना है, हिन्दी पुरस्कार योजना, हिन्दी पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना तथा विशेष अंगीभूत योजना का कार्यान्वयन किया जाना है।
2	4-2052000900147	राज्य स्कीम	सचिवालय ग्रन्थागार का आधुनिकीकरण एवं पुस्तकों का	0.00	70.00	70.00	सचिवालय ग्रन्थागार का आधुनिकीकरण एवं पुस्तकों का क्रय तथा संरक्षण किया जाना है।
3	4-2052000920103	राज्य स्कीम	20सूत्री कार्यक्रम कार्यकारी उपाध्यक्ष राज्यस्तरीय	0.00	100.00	100.00	उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति एवं उनके निजी कर्मचारियों के लिए वेतन एवं अन्य भत्ते तथा आकस्मिक व्यय स्थापना मद में भुगतान किया जाना है।
4	4-2052000920123	राज्य स्कीम	उर्दू निदेशालय	0.00	162.00	162.00	द्वितीय राजभाषा उर्दू के उत्थान के निमित्त विभिन्न पुरस्कार/सेमिनार/संगोष्ठी/जन्म तिथि/पुण्य तिथि समारोह आदि का आयोजन के अतिरिक्त विभिन्न विभागों से प्राप्त राजकीय साहित्य का उर्दू अनुवाद किया जाना है, साथ ही उर्दू को राज्य की जनता के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु विभाग के अंतर्गत उर्दू निदेशालय द्वारा पुरस्कार योजना तथा पाण्डुलिपि प्रकाशन योजना का कार्य किया जाना है।
5	4-2053000930106	राज्य स्कीम	20 सूत्री कार्यक्रम हेतु जिला प्रशासन	0.00	200.00	200.00	20-सूत्री कार्यक्रम हेतु जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के मानदेय/कार्यालय व्यय/वाहन आदि में व्यय किया जाना है।
6	4-2070000010107	राज्य स्कीम	बिहार विकास मिशन	0.00	15,000.00	15,000.00	सरकार के सात निश्चयों, कार्यक्रमों एवं संकल्पों का मिशन मोड़ में क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं परामर्श सभी विभागों से लेकर प्रशासन के निम्नस्तर तक सुनिश्चित किया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	4-2205001040102	राज्य स्कीम	अभिलेखागार के संरक्षण एवं आधुनिकीकरण	0.00	69.00	69.00	अभिलेखों का डिजिटাইजेशन एवं लेमिनेशन, महात्मा गाँधी के चम्पारण यात्रा के शताब्दीवर्ष पर सेमिनार/संगोष्ठी का आयोजन, बिहार का गौरव श्रृंखला के लिए अभिलेख, पुस्तकों का प्रकाशन, पाण्डुलिपियों का संग्रहण, अभिलेखों के प्रबंधन एवं परिरक्षण पर व्यय किया जाना है।
	4-2205001040103	राज्य स्कीम	बिहार का गौरव श्रृंखला के प्रकाशनार्थ	0.00	35.00	35.00	
8	4-5053021020101	राज्य स्कीम	हवाई अड्डे	0.00	1,973.14	1,973.14	बिहार उड्डयन संस्थान के परिसर में सिविल विमानन निदेशालय हेतु प्रशासनिक भवन का निर्माण, पटना तथा बिहटा हवाई अड्डा में वी०आई०पी० लॉज, हैनार, बाउन्ड्रीवाल, कार पार्किंग आदि एवं राज्य के पुलिस लाईनों में स्थाई हेलीपैड का निर्माण कार्य किया जाना है। राजकीय विमान एवं हेलीकॉप्टर के ईंजन का क्रय किया जाना है।
योग				0.00	17,771.14	17,771.14	

**परिणाम बजट
2018-2019**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8-2204000010001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	युवक कल्याण निदेशालय	0.00	119.15	119.15	भारत स्काउट एण्ड गाईड को स्थापना मद में सहायक अनुदान दिया जाना है ।
2	8-2204001020001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राष्ट्रीय कैडेट कोर-प्रशासन	0.00	1,128.43	1,128.43	एन.सी.सी. कैडेटों का विभिन्न शिविर के आयोजन हेतु स्थापना मद में राशि दी जानी है ।
3	8-2204001040001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	खेलकूद	0.00	1,071.86	1,071.86	विद्यालय खेल प्रतियोगिता, खेलो इंडिया खेल प्रतियोगिता एवं राष्ट्रीय स्तर के सहभागिता पर तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को स्थापना व्यय हेतु सहायक अनुदान मद में राशि व्यय किया जाना है।
4	8-2205001010002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बिहार संगीत नाटक अकादमी-स० अ०	0.00	45.00	45.00	बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना को स्थापना व्यय हेतु अनुदान दिया जाना है ।
5	8-2205001010003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बिहार ललित कला अकादमी	0.00	55.00	55.00	बिहार ललित कला अकादमी, पटना को स्थापना व्यय हेतु अनुदान दिया जाना है ।
6	8-2205001010004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	भारतीय नृत्य कला मंदिर-स० अ०	0.00	35.00	35.00	भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना को स्थापना व्यय हेतु सहायक अनुदान दिया जाना है ।
7	8-2205001020001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कला और संस्कृति का संवर्धन	0.00	566.72	566.72	मिथिला चित्र कला संस्थान, अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर के संचालन एवं रख-रखाव के साथ ही राज्य के स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थानों को सहायक अनुदान हेतु एवं विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन हेतु राशि व्यय किया जाना है।
8	8-2205001030001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पुरातत्व निदेशालय	0.00	570.45	570.45	बिहार पुराविद परिषद्, पटना एवं बिहार विरासत विकास समिति के स्थापना हेतु एवं शैक्षणिक कार्यक्रम के आयोजन के निमित्त राशि का व्यय किया जाना है।
9	8-2205001070001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	संग्रहालय	0.00	2,345.48	2,345.48	बिहार संग्रहालय, पटना, गाँधी संग्रहालय, पटना, राजेन्द्र स्मृति संग्रहालय, पटना एवं गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय, भरतपुरा, पटना के स्थापना व्यय हेतु सहायक अनुदान एवं शैक्षणिक कार्यक्रम के आयोजन के निमित्त राशि का व्यय किया जाना है।
10	8-2205001900001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.00	25.00	25.00	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि०, पटना को फिल्म के विकास हेतु सहायक अनुदान दिया जाना है ।

**परिणाम बजट
2018-2019**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	8-2204001040102	राज्य स्कीम	खेलकूद	0.00	1,750.00	1,750.00	27 खेलकूद कार्यक्रमों का अयोजन/सहभागिता, 22 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से खेलकूद का प्रशिक्षण, लगभग 325 खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों को सम्मान/पुरस्कार, लगभग 150 खिलाड़ियों के कल्याणार्थ सहायता/15 प्रशिक्षण केन्द्रों को खेल एवं जिम उपकरण/खिलाड़ियों का कल्याण एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाना है।
12	8-2205001020101	राज्य स्कीम	कला और संस्कृति का संवर्धन	0.00	1,370.00	1,370.00	सांस्कृतिक वातावरण निर्माण के लिए राज्य के 38 जिलों में जिला स्थापना दिवस, बिहार दिवस एवं युवा उत्सव का आयोजन। हरिहर क्षेत्र महोत्सव, विद्यापति महोत्सव, दशरथ मांझी महोत्सव, वीर कुँवर सिंह महोत्सव, विश्वामित्र महोत्सव एवं अन्य महोत्सवों का आयोजन। शुक्रगुलजार, शनिबहार एवं कला मंगल प्रदर्शनी का आयोजन। उग्रवाद प्रभावित जिलों में आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कलाकारों को बिहार कला पुरस्कार से सम्मान तथा कलाकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता। डॉक्यूमेंटेशन एवं प्रकाशन के तहत पटना कलम पत्रिका एवं अन्य कला एवं संस्कृति से संबंधित पुस्तकों का मुद्रण तथा अन्य राज्यों से सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर व्यय किया जाना है।
13	8-2205001030101	राज्य स्कीम	पुरातत्व निदेशालय	0.00	265.00	265.00	02 पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन, 10 पुरातात्विक स्थलों का अन्वेषण एवं सर्वेक्षण, 06 पुरातात्विक स्थलों/स्मारकों का संरक्षण, संवर्धन, सौन्दर्यीकरण एवं विकास, 39 पुरातात्विक स्थलों/स्मारकों की सुरक्षा एवं पुरातत्व विषय पुस्तक को प्रकाशन पर व्यय किया जाना है।
14	8-2205001070101	राज्य स्कीम	संग्रहालय	0.00	905.00	905.00	पटना संग्रहालय सहित राज्य के कुल 23 राजकीय संग्रहालयों की सुरक्षा, संरक्षण, अनुरक्षण एवं सर्वांगीण विकास, संग्रहालयों का पुनर्संयोजन के साथ ही गैर सरकारी संग्रहालयों के विकासार्थ सहायक अनुदान मद में राशि का व्यय किया जाना है।

**परिणाम बजट
2018-2019**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	8-2205001900101	राज्य स्कीम	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.00	150.00	150.00	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि० के माध्यम से फिल्म निर्माण कार्य का कार्यान्वयन किया जाना है।
योग				0.00	10,402.09	10,402.09	

**परिणाम बजट
2018-2019**

सहकारिता विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9-2401001100101	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत	0.00	1.00	1.00	बीमा के इच्छुक अधिकतम किसानों के फसलों का बीमा किया जाना है।
	9-2401001100104	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अ	0.00	1.00	1.00	
	9-2401001100107	राज्य स्कीम	पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फसल	0.00	1.00	1.00	
	9-2401001100110	राज्य स्कीम	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	0.00	1.00	1.00	
	9-2401001100311	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम अनुदान	0.00	29,007.07	29,007.07	
	9-2401007890342	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम अनुदान	0.00	11,147.23	11,147.23	
	9-2401007960364	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम अनुदान	0.00	696.70	696.70	
2	9-2408021900101	राज्य स्कीम	बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	0.00	1.00	1.00	बिहार राज्य भंडार निगम अन्तर्गत उच्च क्षमता के गोदाम का निर्माण किया जाना है।
3	9-2425000010107	राज्य स्कीम	सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार	0.00	100.00	100.00	सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाना है।
4	9-2425000030102	राज्य स्कीम	विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्ष	0.00	100.00	100.00	विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है।
5	9-2425000030103	राज्य स्कीम	सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मत ए	0.00	100.00	100.00	सहकारी प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य किया जाना है।
6	9-2425001050101	राज्य स्कीम	सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय	0.00	51.00	51.00	सहकारिता से जुड़े कार्यों का प्रचार-प्रसार किया जाना है।
7	9-2425001070105	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना	0.00	527.00	527.00	राज्य एवं अनुमंडल स्तर के 205 अच्छे सहकारी समितियों को पुरस्कार दिया जाना है।
8	9-2425001070106	राज्य स्कीम	अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान	0.00	2,596.25	2,596.25	पैक्स, व्यापार मंडल, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक को अधिप्राप्ति कार्य हेतु अनुदान दिया जाना है।
9	9-2425001080107	राज्य स्कीम	समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकार	0.00	378.27	378.27	समेकित सहकारी विकास परियोजना से आच्छादित जिलों में सहकारी समितियों को ससमय अनुदान दिया जाना है।

**परिणाम बजट
2018-2019**

सहकारिता विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	9-2425001080114	राज्य स्कीम	गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान	0.00	8,390.42	8,390.42	1250 सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण किया जाना है ।
11	9-2425001080116	राज्य स्कीम	सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन	0.00	5,000.00	5,000.00	सब्जी आधारित सहकारी समितियों में सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन इकाई की स्थापना की जानी है ।
12	9-2425001080118	राज्य स्कीम	पैक्सों/व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु अनुदान	0.00	2,200.00	2,200.00	पैक्स एवं व्यापार मंडलों में 100 ड्रायर निर्माण किया जाना है ।
13	9-6425001070101	राज्य स्कीम	बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को कृषि साख स्थिरीकरण निधि के लिए ऋण	0.00	7,403.75	7,403.75	कृषि साख स्थिरीकरण निधि के लिए बिहार राज्य सहकारिता बैंक, पटना को ऋण दिया जाना है ।
योग				0.00	67,702.69	67,702.69	

**परिणाम बजट
2018-2019**

उर्जा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10-2801051900106	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री निश्चय विद्युत संबंध योजना	0.00	56,000.00	56,000.00	प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर-‘सौभाग्य’ योजना के तहत हर घर में विद्युत संबंध उपलब्ध कराया जाना है ।
2	10-2810606000101	राज्य स्कीम	अपरम्परागत उर्जा स्रोत	0.00	7,500.00	7,500.00	मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई हेतु सोलर वाहर पम्प, राज्य के शहरी एवं ग्रामीण आवासीय एवं व्यवसायिक परिसरों में 1 के०डब्ल्यू०पी० एवं 2के०डब्ल्यू०पी० के रुफटॉप सोलर पावर प्लान्ट अधिष्ठापन एवं राज्य के सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों के भवनों पर 1 से 500 किलोवाट पावर मेगावाट के रुफटॉप सोलर पावर प्लान्ट के अधिष्ठापन, सोलर लैनर्टन, सोलर होम लाईट तथा सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया ।
3	10-4801027960101	राज्य स्कीम	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	6,185.63	6,185.63	बी०टी०पी०एस० विस्तार परियोजना कार्य करने पर व्यय किया जाना है ।
4	10-4801051900105	राज्य स्कीम	बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	21,100.00	21,100.00	राघोपुर (सुपौल), (डेहरी) बिहटा, 14 राजस्व अवर प्रमंडलों एवं शेष बचे 17 राजस्व अवर प्रमंडलों में जी०एस०एस० तथा 40 के०बी० जी०आई०एस० सब स्टेशन, बख्तियारपुर के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021-22 के लिए संचरण प्रणाली के विद्युतीकरण, उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण करने का लक्ष्य है, जिससे संचरण प्रणाली सुदृढ़ होगा ।
5	10-4801051900106	राज्य स्कीम	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	30,000.00	30,000.00	वितरण ट्रांसफार्मर के क्षमता में वृद्धि तथा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन, नये शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण, पटना एवं गया जिला अन्तर्गत मरम्मत
	10-4801057890102	राज्य स्कीम	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	30,000.00	30,000.00	कर्मशाला (टी०आर०डब्ल्यू०) सुदृढ़ीकरण, वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उच्च विभव एवं निम्न विभव लाईन का जीर्णोद्धार, नई 33/11 के०वी० लाईन का निर्माण, मौजूदा शक्ति उपकेन्द्र में सुरक्षा, मापक एवं अन्य यंत्र पर व्यय किया जाना है ।

**परिणाम बजट
2018-2019**

उर्जा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	10-4801051900107	राज्य स्कीम	नॉथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	44,929.92	44,929.92	वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण मधेपुरा एवं सुपौल में चार शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण, डिविजनल ऑफिस/नियंत्रण कक्ष एवं चाहरदीवारी का निर्माण, डी०डी०जी० (ऑफ ग्रिड) योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण ट्रांसफार्मर मरम्मत कर्मशाला (टी०आर०डब्लू०), 10 नये शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण पर व्यय किया जाना है।
	10-4801057890103	राज्य स्कीम	नॉथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	40,070.08	40,070.08	
7	10-4801051900111	राज्य स्कीम	बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि०	0.00	1,39,914.37	1,39,914.37	बी०एस०पी०एच०सी०एल० एवं उसके अनुशंगी कम्पनियों के नये एवं पुराने योजनाओं का पूर्ण कर विद्युत प्रणाली को सुदृढीकरण किया जाना है।
8	10-4801051900208	राज्य स्कीम	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०)(राज्य घटक)-(बी०एस०पी०टी०सी०एल० के लिए)	20,000.00	0.00	20,000.00	उप संचरण प्रणाली फेज-2 (विस्तार) हेतु नये संचरण लाइन का निर्माण, पुराने तारों का बदलना, शक्ति परिणामित्र का क्षमता विस्तार एवं संचरण प्रणाली फेज-3 अंतर्गत किशनगंज में 220/132/33 केवी जी०एस०एस० का निर्माण एवं इससे संबंधित संचरण लाइन का निर्माण, एन-1 कम्पलाईस आदि से संचरण प्रणाली का विस्तार एवं सुदृढीकरण का लक्ष्य किया जाना है।
9	10-4801051900209	राज्य स्कीम	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०)(राज्य घटक)-(एस०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए)	90,600.00	0.00	90,600.00	नये शक्ति उपकेन्द्रों का निर्माण, नये 11के०वी० एवं 33के०वी० लाइनों का निर्माण एवं पुराने शक्ति उपकेन्द्रों का नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण के साथ क्षमता विस्तार किया जाना है। साथ ही पुराने एवं 11के०वी० लाइन एवं एल०टी० लाइन को एरियल बंचड केबल से बदलने का कार्य किया जाना है।
	10-4801051900210	राज्य स्कीम	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०)(राज्य घटक)-(एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए)	90,783.00	0.00	90,783.00	
10	10-4801057890101	राज्य स्कीम	बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	28,900.00	28,900.00	राघोपुर (सुपौल), (डेहरी) बिहटा, 14 राजस्व अवर प्रमंडलों एवं शेष बचे 17 राजस्व अवर प्रमंडलों में से जी०एस०एस० तथा 40 के०वी० जी०आई०एस० सब स्टेशन, बख्तियारपुर के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021-22 के लिए संचरण प्रणाली के विद्युतीकरण, उन्नयन एवं सुदृढीकरण करने का लक्ष्य से जिससे संचरण प्रणाली सुदृढ होगा।

परिणाम बजट
2018-2019

उर्जा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	10-6801001900508	राज्य स्कीम	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० की संचरण तथा वितरण परियोजना (वाह्य सम्पत्ति योजना)	0.00	10,000.00	10,000.00	राज्य के 7 शहरों का वितरण व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं चार जिलों संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण किया जाना है।
12	10-6801002010101	राज्य स्कीम	बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण	0.00	2,000.00	2,000.00	आर०आई०डी०एफ० के तहत स्वीकृत 12 निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कराया जाना है।
13	10-6801002010105	राज्य स्कीम	बिहार राज्य जल विद्युत	0.00	580.00	580.00	आर०आई०डी०एफ० के तहत स्वीकृत 12 निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है।
योग				2,01,383.00	4,17,180.00	6,18,563.00	

**परिणाम बजट
2018-2019**

पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-2225031970101	राज्य स्कीम	छात्रवृत्ति/वजीफा	0.00	10,395.00	10,395.00	866250 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है ।
2	11-2225031980101	राज्य स्कीम	छात्रवृत्ति/वजीफा	0.00	19,855.00	19,855.00	1654580 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जानी है ।
3	11-2225032770101	राज्य स्कीम	शिक्षा	0.00	1,08,802.66	1,08,802.66	585416 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है ।
4	11-2225032770212	राज्य स्कीम	अन्य पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	160.00	0.00	160.00	अनाधिसूचित, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जातियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसे कर्णाकित राशि से प्री-मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दिया जाना है ।
	11-2225032770312	राज्य स्कीम	अन्य पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	0.00	53.33	53.33	
5	11-2225032770214	राज्य स्कीम	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	1,250.00	0.00	1,250.00	104166 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है ।
6	11-2225032770215	राज्य स्कीम	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	7,792.65	0.00	7,792.65	56000 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है ।
7	11-2225032770314	राज्य स्कीम	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	1,250.00	1,250.00	10,41,66 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है ।
8	11-4225032770101	राज्य स्कीम	आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों	0.00	500.00	500.00	जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के संचालन में व्यय किया जाना है ।
9	11-4225032770202	राज्य स्कीम	अर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ०बी०सी० छात्रावास निर्माण हेतु)	600.00	0.00	600.00	एक बालक एवं एक बालिका छात्रावास का निर्माण किये जाने हेतु केन्द्रांश दिया जाना है।
10	11-4225032770302	राज्य स्कीम	अर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ०बी०सी० छात्रावास निर्माण हेतु)	0.00	150.00	150.00	एक बालक एवं एक बालिका छात्रावास का निर्माण किये जाने हेतु राज्यांश दिया जाना है ।
योग				9,802.65	1,41,005.99	1,50,808.64	

परिणाम बजट
2018-2019

वित्त विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12-2054000950102	राज्य स्कीम	भविष्य निधि लेखा का संधारण	0.00	50.00	50.00	भविष्य निधि निदेशालय एवं जिला भविष्य निधि कार्यालयों के आधुनिकीकरण पर व्यय किया जाना है ।
2	12-2054000950103	राज्य स्कीम	बिहार राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट	0.00	6,000.00	6,000.00	मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत वित्तीय कार्यकलापों से संबंधित सॉफ्टवेयर उन्नयन का कार्य एवं बजट, लेखा, पेंशन, प्राप्ति, निधि प्रबंधन, एच०आर०एम० एस०, ई-अंकेक्षण आदि मॉड्यूल तैयार किया जाना है ।
3	12-4058001030101	राज्य स्कीम	मशीनरी और उपस्कर-सरकारी प्रेस	0.00	100.00	100.00	गुलजारबाग प्रेस का आधुनिकीकरण कार्य किया जाना है ।
4	12-4058001030102	राज्य स्कीम	सरकारी प्रेस गया के आधुनिकीकरण की योजना	0.00	50.00	50.00	सरकारी प्रेस गया का आधुनिकीकरण किया जाना है ।
योग				0.00	6,200.00	6,200.00	

**परिणाम बजट
2018-2019**

पंचायती राज विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16-2515001960007	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के	0.00	57,535.52	57,535.52	पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों को सहायक अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जानी है। जिससे उनके सर्वांगीण विकास में सहायता मिलेगी।
	16-2515001970004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक प	0.00	22,148.19	22,148.19	
	16-2515001980009	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक	0.00	1,55,047.29	1,55,047.29	
	16-2515001980014	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम कचहरी को अंशदान	0.00	8,400.00	8,400.00	
2	16-2515001980001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पंचायत राज संस्थाओं को सहायता	0.00	4,72,938.00	4,72,938.00	चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बुनियादी अनुदान एवं कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध कराया जाना है, जिससे उनके सर्वांगीण विकास में सहायता मिलेगी।
3	16-2515001980010	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	0.00	10,000.00	10,000.00	ग्राम कचहरी के न्यायमित्र एवं सचिव के मानदेय/भत्ता का भुगतान हेतु राशि का व्यय किया जाना है।
4	16-2515000010101	राज्य स्कीम	मुख्यालय पंचायत स्थापना	0.00	200.01	200.01	पंचायत प्रतिनिधियों के प्राकृतिक आपदा/घटना/दुर्घटना के दौरान मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान दिया जाना है।
5	16-2515000010102	राज्य स्कीम	जिला पंचायत की स्थापना	0.00	1,650.00	1,650.00	संविदा के आधार पर प्रतिनियुक्त/नियुक्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय तथा प्रशिक्षण आदि हेतु राशि व्यय किया जाना है।
6	16-2515001010514	राज्य स्कीम	पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास (वाह्य सम्पोजित योजना)	0.00	4,000.00	4,000.00	राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का ग्राम पंचायतों से लेकर राज्य स्तर पर क्षमतावर्द्धन, सशक्तीकरण, शक्तियों के क्रमबद्ध विकेन्द्रीकरण किया जाना है, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही राज्य के 12 जिले में 330 पंचायत सरकार भवनों का भी निर्माण कराया जाना है।
	16-2515007890513	राज्य स्कीम	पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास (वाह्य सम्पोजित योजना)	0.00	2,000.00	2,000.00	
7	16-2515001960106	राज्य स्कीम	जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भ	0.00	543.00	543.00	राज्य के जिला परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता एवं अन्य भुगतान किया जाना है, जिससे उनके कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
	16-2515007890106	राज्य स्कीम	जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों	0.00	111.00	111.00	

परिणाम बजट
2018-2019

पंचायती राज विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	16-2515001970103	राज्य स्कीम	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भ	0.00	2,800.00	2,800.00	राज्य के पंचायत समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता एवं अन्य भुगतान किया जाना है, जिससे उनके कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
	16-2515007890105	राज्य स्कीम	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों	0.00	574.00	574.00	
9	16-2515001980105	राज्य स्कीम	ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का	0.00	12,853.00	12,853.00	राज्य के ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता एवं अन्य भुगतान किया जाना है, जिससे उनके कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
	16-2515007890103	राज्य स्कीम	ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	0.00	2,633.00	2,633.00	
10	16-2515001980106	राज्य स्कीम	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों	0.00	12,853.00	12,853.00	राज्य के ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता एवं अन्य भुगतान किया जाना है, जिससे उनके कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
	16-2515007890104	राज्य स्कीम	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों	0.00	2,633.00	2,633.00	
11	16-2515001980113	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री निश्चय योजना	0.00	1,53,293.00	1,53,293.00	सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि व्यय किया जाना है ।
	16-2515007890112	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री निश्चय योजना	0.00	36,433.00	36,433.00	
	16-2515007960119	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री निश्चय योजना	0.00	2,774.00	2,774.00	
12	16-2515001980312	राज्य स्कीम	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	0.00	1,000.00	1,000.00	इस योजना के द्वारा पंचायत स्तर तक कर्मियों की नियुक्ति, ब्लाक स्तर तक संसाधन केन्द्र की स्थापना, प्रशिक्षण आदि कार्य किये जाने है, जिससे पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में मदद मिलेगी।
13	16-2515001980315	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आरजीएसए)	0.00	500.00	500.00	इस राशि का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के क्षमतावर्द्धन (पंचायतों के आधारभूत संरचना सहित) एवं ई-पंचायत में मिशन मोड प्रोजेक्ट एवं ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु व्यय किया जाना है।
14	16-2515008000112	राज्य स्कीम	ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	0.00	1,000.00	1,000.00	ग्राम कचहरी को किराया, सहायता एवं प्रोत्साहन हेतु राशि का व्यय किया जाना है, जिससे इनके कार्यकलापों में गुणात्मक परिवर्तन होगी।
	16-2515008000114	राज्य स्कीम	ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु	0.00	5,149.99	5,149.99	
15	16-4515001010108	राज्य स्कीम	पंचायत सरकार भवन	0.00	100.00	100.00	पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण हेतु राशि का व्यय किया जाना है।

**परिणाम बजट
2018-2019**

पंचायती राज विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग				0.00	9,69,169.00	9,69,169.00	

परिणाम बजट
2018-2019

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	18-3456001020105	राज्य स्कीम	लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	0.00	9,306.87	9,306.87	लक्षित जन वितरण प्रणाली का इन्ड टू इन्ड कम्प्यूटराइजेशन करने के लिए व्यय हेतु प्रावधान किया गया है, ताकि खाद्यान्न का शत प्रतिशत वितरण उपभोक्ताओं को मिल सके एवं ऑन लाइन मोनेटरिंग किया जाना है।
2	18-3456001020306	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	53,852.83	53,852.83	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अनु० जाति परिवारों के लिए एफ०सी०आई से एस०एफ०सी० एवं एस०एफ०सी० से पी०डी०एस० दुकान तक खाद्यान्नों का हथालन, परिवहन, मार्जिन मनी, डीलर कमीशन, स्थापना एवं अन्य मद में व्यय किया जाना है।
	18-3456007890302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	16,782.95	16,782.95	
	18-3456007960302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	1,048.93	1,048.93	
	18-2408011010405	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	एन०एफ०एस०ए० अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन	41,754.00	0.00	41,754.00	
3	18-3456001910101	राज्य स्कीम	निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित	0.00	150.00	150.00	ग्राम पंचायतों/नगर पंचायतों/नगर पालिकाओं/नगर परिषदों एवं नगर निगमों के सदस्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता मद में व्यय किया जाना है।
	18-3456001920101	राज्य स्कीम	निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति	0.00	255.00	255.00	
	18-3456001930101	राज्य स्कीम	निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित	0.00	450.00	450.00	
	18-3456001980101	राज्य स्कीम	निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति	0.00	750.00	750.00	
4	18-5475000510102	राज्य स्कीम	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय का आधुनिकीकरण	0.00	182.82	182.82	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का आधुनिकीकरण किया जाना है।
5	18-5475000510103	राज्य स्कीम	जिला आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केन्द्र की स्थापना के निमित्त भवन निर्माण	0.00	2,848.00	2,848.00	जिला आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केन्द्र की स्थापना हेतु भवन निर्माण किया जाना है।
6	18-5475000510104	राज्य स्कीम	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन गोदामों के पहुँच पथ का निर्माण	0.00	1,000.00	1,000.00	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन गोदामों के पथ का निर्माण किया जाना है।
योग				41,754.00	86,627.40	1,28,381.40	

परिणाम बजट
2018-2019

पर्यावरण एवं वन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	19-2406011010109	राज्य स्कीम	अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	0.00	831.00	831.00	परम्परागत वनभूमि में प्रस्तावित निधि से 3505 हेक्टेयर वनरोपण का सम्पोषण, 3000 हेक्टेयर में भू-जल संरक्षण कार्य तथा 3000 हेक्टेयर में वनरोपण सृजन के लिए अग्रिम कार्य एवं छात्र वृक्षरोपण का कार्य किया जाना है ।
	19-2406017890101	राज्य स्कीम	अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	0.00	1,452.63	1,452.63	
	19-2406017960103	राज्य स्कीम	अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	0.00	272.36	272.36	
2	19-2406011050104	राज्य स्कीम	प्रदूषण नियंत्रण पर्वद	0.00	321.00	321.00	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद को प्रदूषण नियंत्रण हेतु अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करायी जानी है ।
3	19-2406017890102	राज्य स्कीम	नहर तट फार्म	0.00	1,452.63	1,452.63	1724 किमी. नहर/नदी के किनारे रोपित पौधों का सम्पोषण, 850 किमी. में वनरोपण का सृजन तथा उद्यान पौधशाला का कार्य किया जाना है।
	19-2406018000101	राज्य स्कीम	नहर तट फार्म	0.00	1,939.37	1,939.37	
4	19-2406017890103	राज्य स्कीम	पथ तट फार्म	0.00	1,452.63	1,452.63	2099 किमी. पथ किनारे रोपित पौधों का सम्पोषण, 1200 किमी. में नये वनरोपण का सृजन, कृषि वानिकी योजना, हर परिसर हरा परिसर, शहरी वानिकी के कार्य के साथ मुख्यमंत्री निजी पौधशाला की स्थापना एवं उद्यानों का उन्नयन कार्य किया जाना है ।
	19-2406018000105	राज्य स्कीम	पथ तट फार्म	0.00	9,523.37	9,523.37	
5	19-2406021100121	राज्य स्कीम	वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	0.00	100.00	100.00	राज्य के 12 वन्यप्राणी आश्रयणियों में वन प्राणियों के अधिवास का संरक्षण एवं विकास कार्य किया जाना है।
6	19-2406021100223	राज्य स्कीम	एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास	549.63	0.00	549.63	वन्य प्राणियों के सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किया जाना है ।
	19-2406021100323	राज्य स्कीम	एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास	0.00	366.42	366.42	
7	19-2406021100224	राज्य स्कीम	बाघ परियोजना	493.19	0.00	493.19	बाल्मीकि व्याघ्र अभयारण्य में बाघों के संरक्षण एवं उनके अधिवास के सम्बर्द्धन के लिए कार्य किया जाना है ।
	19-2406021100324	राज्य स्कीम	बाघ परियोजना	0.00	328.79	328.79	
8	19-2406021100226	राज्य स्कीम	गज परियोजना	221.95	0.00	221.95	राज्य के अंतर्गत हाथियों के अधिवास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए वनों के अंदर कार्य किया जाना है ।
	19-2406021100326	राज्य स्कीम	गज परियोजना	0.00	147.97	147.97	
9	19-2406041010201	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	591.18	0.00	591.18	राज्य के अधिसूचित वनों में जन सहयोग के माध्यम से उनके पुनर्वास का कार्य किया जाना है ।
	19-2406041010301	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	0.00	394.12	394.12	

परिणाम बजट
2018-2019

पर्यावरण एवं वन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	19-2406041010203	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	690.00	0.00	690.00	योजना अंतर्गत कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर पौधा लगाने तथा उच्च गुणवत्ता के पौधे प्राप्त करने हेतु पौधशाला स्थापित करने का कार्य किया जाना है ।
	19-2406041010303	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	0.00	460.00	460.00	
11	19-2406041010204	राज्य स्कीम	समेकित वन प्रबंधन	86.25	0.00	86.25	प्राकृतिक वनों में अग्नि से सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षात्मक कार्यों हेतु ढाँचागत सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है ।
	19-2406041010304	राज्य स्कीम	समेकित वन प्रबंधन	0.00	57.50	57.50	
12	19-4406010700101	राज्य स्कीम	सड़क और पुल	0.00	300.00	300.00	भीमबांध से कुंडा स्थान राज्य के वनपथों का निर्माण किया जाना है ।
13	19-4406010700102	राज्य स्कीम	भवन	0.00	5,204.80	5,204.80	राजगीर में जू-सफारी का निर्माण तथा आवश्यकतानुसार अन्य प्रमंडलों में विभागीय भवन का निर्माण किया जाना है।
योग				2,632.20	24,604.59	27,236.79	

**परिणाम बजट
2018-2019**

स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20-2210011100224	राज्य स्कीम	रिजनल जेनियाट्रिक सेन्टर (बुजुर्गों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम)	153.44	0.00	153.44	रिजनल जेनियाट्रिक सेन्टर (बुजुर्गों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) स्थापित किया जाना है ।
	20-4210011100219	राज्य स्कीम	रिजनल जेनियाट्रिक सेन्टर (बुजुर्गों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम)	260.00	0.00	260.00	
	20-4210011100319	राज्य स्कीम	रिजनल जेनियाट्रिक सेन्टर (बुजुर्गों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम)	0.00	165.32	165.32	
2	20-2210012000111	राज्य स्कीम	एम्बुलेंस परिचालन	0.00	1.00	1.00	राज्य में विभिन्न श्रेणी के एम्बुलेंस का परिचालन किया जाना है ।
3	20-2210012000209	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	37,444.94	0.00	37,444.94	आशा नियुक्ति, आशा प्रशिक्षण, सामान्य प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना, दवा, उपकरण, पल्स पोलियो, प्रतिरक्षण एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय किया जाना है ।
	20-2210012000309	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.00	16,401.66	16,401.66	
	20-2210031100203	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	56,167.41	0.00	56,167.41	
	20-2210031100303	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.00	25,050.00	25,050.00	
4	20-2210017890201	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	13,298.88	0.00	13,298.88	एनआरएचएम अन्तर्गत अनुसूचित जाति क्षेत्र में विकास संबंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाना है ।
	20-2210017890301	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.00	6,111.07	6,111.07	
5	20-2210017960219	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	856.18	0.00	856.18	एनआरएचएम अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोजना में विकास संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाना है ।
	20-2210017960319	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.00	481.89	481.89	

परिणाम बजट
2018-2019

स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	20-2210022000202	राज्य स्कीम	औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	1,347.10	0.00	1,347.10	कान्फ्रेंस, कार्यशाला, मशीनें एवं उपस्कर, व्यवसायिक सेवायें, सामग्री एवं दवा भंडार सहायक अनुदान-वेतनादि पर व्यय किया जाना है ।
	20-2210022000302	राज्य स्कीम	औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	0.00	477.68	477.68	
	20-2210042000203	राज्य स्कीम	औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	1,097.86	0.00	1,097.86	
	20-2210042000303	राज्य स्कीम	औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	0.00	500.00	500.00	
7	20-2210037890201	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	20,548.32	0.00	20,548.32	एनआरएचएम अन्तर्गत अनुसूचित जाति से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के सुगम संचालन हेतु वेतन एवं वेतनादि के अलावा मद में व्यय किया जाना है ।
	20-2210037890301	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.00	9,166.29	9,166.29	
8	20-2210037960202	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1,684.27	0.00	1,684.27	एनआरएचएम अन्तर्गत जनजातीय उपयोजना से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के सुगम संचालन हेतु वेतन एवं वेतनादि के अलावा मद में व्यय किया जाना है ।
	20-2210037960302	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.00	772.91	772.91	
9	20-2210052000101	राज्य स्कीम	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान,	0.00	101.00	101.00	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसंपत्तियों का निर्माण एवं अन्य कार्य किया जाना है ।

**परिणाम बजट
2018-2019**

स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	20-2211000010204	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	11,700.00	0.00	11,700.00	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मुख्यालय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनादि मद में भुगतान किया जाना है ।
	20-2211000010304	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	3,524.00	3,524.00	
	20-2211000030206	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	2,917.00	0.00	2,917.00	
	20-2211000030306	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	2,155.00	2,155.00	
	20-2211000040202	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	22.00	0.00	22.00	
	20-2211000040302	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	11.00	11.00	
	20-2211001010205	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	28,300.00	0.00	28,300.00	
	20-2211001010305	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	7,333.49	7,333.49	
	20-2211001020202	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	1,261.00	0.00	1,261.00	
	20-2211001020302	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	651.00	651.00	
11	20-2230031020102	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण	0.00	500.00	500.00	बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण पर व्यय किया जाना है ।
12	20-2235601100204	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य विभाग)	10,500.00	0.00	10,500.00	असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के बीमा राशि का भुगतान किया जाना है ।
	20-2235601100304	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य विभाग)	0.00	2,198.69	2,198.69	

परिणाम बजट
2018-2019

स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	20-4210010510103	राज्य स्कीम	जिला चि० पदा० के कार्यालय एवं आवासीय भवनों का नि	0.00	500.00	500.00	जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाना है ।
14	20-4210010510104	राज्य स्कीम	शहरी क्षेत्र में राजकीय	0.00	99.96	99.96	राजवंशी नगर अस्पताल एवं अन्य राजकीय औषधालय के भवनों का निर्माण कराया जाना है ।
15	20-4210011100110	राज्य स्कीम	इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना	0.00	500.00	500.00	इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान हेतु विभिन्न मशीन उपकरण का क्रय किया जाना है ।
16	20-4210011100111	राज्य स्कीम	मेडिकल कॉलेज अस्पताल	0.00	897.00	897.00	मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मशीन एवं उपस्कर एवं अन्य निर्माण संबंधी कार्य किया जाना है।
17	20-4210011100113	राज्य स्कीम	जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार	0.00	3,500.00	3,500.00	जिला अस्पताल का जीर्णोद्धार एवं आठ नये अनुमंडलीय अस्पताल के नये भवन का निर्माण कराया जाना है ।
18	20-4210011100117	राज्य स्कीम	मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर अस्पताल भवनों का निर्माण	0.00	2,000.00	2,000.00	मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर अस्पताल के भवनों का निर्माण कराया जाना है ।
19	20-4210020510109	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य उपकेन्द्र/ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण	0.00	2,100.00	2,100.00	राज्य अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण कराया जाना है ।
20	20-4210021030101	राज्य स्कीम	रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार	0.00	3,500.00	3,500.00	रेफरल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया जाएगा।
21	20-4210030500103	राज्य स्कीम	नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु	0.00	31,500.00	31,500.00	सात निश्चय अन्तर्गत नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान के निर्माण पर व्यय किया जाना है ।
22	20-4210031050111	राज्य स्कीम	डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल	0.00	2,500.00	2,500.00	डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल के विभिन्न भवनों का निर्माण किया जाना है ।
23	20-4210031050112	राज्य स्कीम	ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० स्कूल	0.00	36,500.00	36,500.00	सात निश्चय अन्तर्गत ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० संस्थान के निर्माण पर व्यय किया जाना है ।
24	20-4210031050119	राज्य स्कीम	बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज (निश्चय)	0.00	12,000.00	12,000.00	सात निश्चय अन्तर्गत बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज के निर्माण पर व्यय किया जाना है ।
25	20-4210037890101	राज्य स्कीम	मेडिकल कॉलेजों हेतु	0.00	13,500.00	13,500.00	राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज के निर्माण एवं उनके लिए मशीन उपकरण का निर्माण किया जाना है ।
योग				1,87,558.40	1,84,698.96	3,72,257.36	

परिणाम बजट
2018-2019

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21-2202011020001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	0.00	3,168.00	3,168.00	प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता हेतु सहायक अनुदान-वेतन मद में राशि का भुगतान किया जाना है।
2	21-2202021100002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	सैनिक विद्यालय	0.00	200.00	200.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत सैनिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति, पोशाक एवं अन्य मदों में व्यय की जानी है।
	21-2202028000001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	सैनिक विद्यालय तिलैया	0.00	22.00	22.00	
3	21-2202021100003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	माध्यमिक, बहुदेशीय अल्प संख्यक विद्यालय	0.00	7,200.00	7,200.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत अल्प संख्यक विद्यालयों को सहायता राशि सहायक अनुदान वेतन में बहुत सारे उद्देश्यों यथा अल्प संख्यक छात्रों में छात्रवृत्ति प्रोत्साहन आदि हेतु भुगतान किया जाना है।
4	21-2202021100006	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	सिमुलतला आवासीय विद्यालय	0.00	848.00	848.00	समुलतल्ला आवासीय विद्यालय मेधावी छात्रों के आवास एवं उनके अध्ययन के लिए माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत राशि का भुगतान किया जाना है।
5	21-2202021100007	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता	0.00	33,000.00	33,000.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों को वेतन सहायक हेतु अनुदान दिया जाना है।
6	21-2202028000003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन	0.00	880.00	880.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत सैनिक विद्यालय की स्थापना एवं संचालन हेतु गैर योजना मद में राशि का व्यय किया जाना है।
7	21-2202031020001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पटना विश्वविद्यालय	0.00	32,398.00	32,398.00	विविध विश्वविद्यालय के विकास एवं शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतनादि एवं पेंशन का भुगतान किया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	21-2202031020002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	मगध विश्वविद्यालय	0.00	1,08,618.00	1,08,618.00	विभिन्न विश्वविद्यालय के विकास एवं शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतनादि एवं पेंशन का भुगतान किया जाना है।
	21-2202031020003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर (बिहार विश्वविद्यालय)	0.00	66,147.00	66,147.00	
	21-2202031020004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	0.00	29,064.00	29,064.00	
	21-2202031020005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	0.00	35,181.00	35,181.00	
	21-2202031020008	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	0.00	40,761.00	40,761.00	
	21-2202031020009	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	भागलपुर विश्वविद्यालय	0.00	48,157.00	48,157.00	
	21-2202031020011	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	0.00	58,447.00	58,447.00	
	21-2202031020012	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	0.00	9,945.00	9,945.00	
	21-2202031020016	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	मौलाना मजहूरूल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय	0.00	410.00	410.00	
	21-2202031020024	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	0.00	4,000.00	4,000.00	
	21-2202031020025	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ	0.00	4,000.00	4,000.00	
	21-2202031020027	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	0.00	3,500.00	3,500.00	
	21-2202031040003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वित्त संपोषित महाविद्यालय	0.00	12,500.00	12,500.00	
9	21-2202031030003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राजकीय महिला महाविद्यालय	0.00	1,220.96	1,220.96	राजकीय महिला कॉलेज, गदनीबाग एवं गुलजारबाग के लिये स्थापना मद में राशि व्यय किया जाना है।
10	21-2202038000001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बिहार कॉलेज सेवा आयोग	0.00	20.00	20.00	राज्य के महाविद्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों के नियत वेतन भुगतान किया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	21-2202038000003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	ग्रामीण महाविद्यालय (बिरोली) सोसाइटी	0.00	140.00	140.00	ग्रामिण क्षेत्रों में महाविद्यालय के स्थापना पर व्यय किया जाना है।
12	21-2202038000004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	विश्वविद्यालय सेवा आयोग	0.00	20.00	20.00	विश्वविद्यालय सेवा आयोग मद में सहायक अनुदान दिया जाना है।
13	21-2202051030003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	गैर-सरकारी संस्कृत विद्यालय	0.00	15,000.00	15,000.00	गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों के नियत वेतन का भुगतान किया जाना है।
14	21-2202052000002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	गैर सरकारी मदरसा	0.00	27,500.00	27,500.00	गैर सरकारी मदरसा में कार्यरत कर्मियों को सहायक अनुदान-वेतन मद में दिया जाना है।
15	21-2202052000004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड	0.00	70.00	70.00	बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों के नियत वेतन का भुगतान किया जाना है।
16	21-2202800040008	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	ए०एन० सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना	0.00	260.00	260.00	ए.एन.सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान को सहायक अनुदान-वेतन मद में राशि दिया जाना है।
17	21-2202800040009	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	हिन्दी ग्रंथ अकादमी	0.00	193.01	193.01	विभिन्न भाषा के विकास एवं उनके सांस्कृतिक विरासत हेतु विभिन्न अकादमियों को उनके कर्मियों के नियत वेतन भुगतान हेतु तथा भवनों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु अनुदान दिया जाना है।
	21-2202800040012	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	मैथिली अकादमी	0.00	47.00	47.00	
	21-2202800040015	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	मगही अकादमी	0.00	60.00	60.00	
	21-2202800040016	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बंगला अकादमी	0.00	31.25	31.25	
	21-2202800040017	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	संस्कृत अकादमी	0.00	70.93	70.93	
	21-2202800040018	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	0.00	926.20	926.20	
	21-2202800040019	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	भोजपुरी अकादमी	0.00	110.00	110.00	
18	21-2202800040011	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	ललित नारायण मिश्र इंस्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमे	0.00	230.00	230.00	ललित नारायण मिश्र इंस्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेज को सहायक अनुदान दिया जाना है।

**परिणाम बजट
2018-2019**

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	21-2202808000010	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त	0.00	2.70	2.70	योग्य एवं कुशल अध्यापकों को उनके कर्तव्य निष्ठता, विद्वता, सौम्यता आदि का आधार बनाकर पुरस्कृत किया जाना है।
	21-2202808000011	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राजकीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक - शिक्षिकाओं को पुर	0.00	3.75	3.75	
20	21-2205001050002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	सिन्हा लाइब्रेरी, पटना - सहायक अनुदान	0.00	42.00	42.00	विभिन्न पुस्तकालयों के विकास, विविध खर्च तथा कर्मियों के वेतन भुगतान किया जाना है।
	21-2205001050003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	श्री कृष्ण सेवासदन, मुंगेर - सहायक अनुदान	0.00	26.00	26.00	
	21-2205001050004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्रमंडलीय पुस्तकालय - सहायक अनुदान	0.00	35.00	35.00	
	21-2205001050005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	जिला केंद्रीय पुस्तकालय - सहायक अनुदान	0.00	48.00	48.00	
	21-2205001050006	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	अनुमंडलीय पुस्तकालय - सहायक अनुदान	0.00	18.00	18.00	
	21-2205001050007	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	विशिष्ट पुस्तकालय - सहायक अनुदान	0.00	28.00	28.00	
	21-2205001050009	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	खुदाबख्श खॉ ओरियंटल उर्दू लाइब्रेरी,	0.00	4.00	4.00	
	21-2205001050011	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रष्टिठान कलकत्ता एवं	0.00	45.00	45.00	
21	21-2202010010101	राज्य स्कीम	प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	0.00	20.00	20.00	प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत चिन्हित विद्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है।
22	21-2202010010105	राज्य स्कीम	शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक	0.00	500.00	500.00	प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आयोजित शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव पर आने वाले खर्च का वहन किया जाना है।
23	21-2202010010106	राज्य स्कीम	जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार	0.00	550.01	550.01	प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला शिक्षक के नियोजन में शिकायत निवारण हेतु अपीलीय प्राधिकार को राशि दिया जाना है ।

परिणाम बजट
2018-2019

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	21-2202010010107	राज्य स्कीम	बिहार बाल भवन को अनुदान	0.00	400.00	400.00	प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत बिहार बाल भवन को अनुदान दिया जाना है। इससे वैसे छात्र लाभान्वित होंगे जो सरकारी छात्रावास में रहकर अध्ययन करते हैं।
25	21-2202011020102	राज्य स्कीम	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में	0.00	4,000.00	4,000.00	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को 25 प्रतिशत को मुफ्त शिक्षा के लिए अनुदान दिया जाना है।
26	21-2202011090101	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री पोशाक योजना	0.00	25,000.00	25,000.00	मुख्यमंत्री पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र/छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाना है।
	21-2202017890102	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री पोशाक योजना	0.00	6,000.00	6,000.00	
27	21-2202011090102	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	0.00	15,000.00	15,000.00	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाना है।
28	21-2202011090103	राज्य स्कीम	मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	0.00	3,000.00	3,000.00	छात्र/छात्राओं को अपने राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं अन्य महत्वपूर्ण जगहों की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक, मध्य एवं कन्या विद्यालय को प्रति वर्ष 20,000/- रु० शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु उपलब्ध कराया जाना है।
29	21-2202011090105	राज्य स्कीम	प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति	0.00	12,500.00	12,500.00	प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराया जाना है।

**परिणाम बजट
2018-2019**

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	21-2202011110101	राज्य स्कीम	सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	0.00	5,500.01	5,500.01	नये विद्यालय भवनों का निर्माण, अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शौचालय, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा 6 से 14 उम्र वाले सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। नियोजित शिक्षकों के वेतनमान के फलस्वरूप उनका वेतन भी सर्व शिक्षा अभियान मद से कराया जाता है साथ ही इस अभियान द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करायी जाना है।
	21-2202011110201	राज्य स्कीम	सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	5,10,653.23	0.00	5,10,653.23	
	21-2202011110301	राज्य स्कीम	सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	0.00	1,18,410.18	1,18,410.18	
	21-2202017890203	राज्य स्कीम	सर्व शिक्षा अभियान	1,49,346.77	0.00	1,49,346.77	
	21-2202017890308	राज्य स्कीम	सर्वशिक्षा अभियान(एस०एस०ए०)	0.00	1,00,940.97	1,00,940.97	
	21-2202017960309	राज्य स्कीम	सर्व शिक्षा अभियान	0.00	19,059.03	19,059.03	
31	21-2202011110302	राज्य स्कीम	सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	0.00	5,00,000.00	5,00,000.00	सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत सभी शिक्षकों का ससमय वेतन भुगतान हो सके, इसके लिए राज्य सरकार ने केन्द्रांश और राज्यांश में 60:40 के अनुपात से राशि व्यय करने हेतु केन्द्रांश की प्रत्यांशा में राज्यांश मद में व्यय की जाएगी जिसका समायोजन केन्द्र से प्राप्त राशि से कर ली जाएगी।
32	21-2202011120203	राज्य स्कीम	प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)	1,30,287.74	0.00	1,30,287.74	सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पोषणयुक्त आहार के लिए कक्षा 1 से 8 तक के सभी कोटि के छात्र/छात्राओं को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाना है। जिससे सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता की भावना विकसित होगी तथा उनमें स्वस्थ मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का विकास सुनिश्चित होगा।
	21-2202011120303	राज्य स्कीम	प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)	0.00	77,000.00	77,000.00	
	21-2202017890306	राज्य स्कीम	प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)	0.00	9,858.49	9,858.49	
33	21-2202021030101	राज्य स्कीम	बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड	0.00	500.00	500.00	बिहार मुक्त विद्यालयी परियोजना अन्तर्गत मैट्रिक, इन्टर विद्यालय में स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने हेतु राशि व्यय की जानी है।

परिणाम बजट
2018-2019

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
34	21-2202021070105	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना	0.00	15,000.00	15,000.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवम में अध्ययनरत सामान्य कोटि के बालकों को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जानी है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहुँच सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण होगा।
35	21-2202021070106	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	0.00	15,900.04	15,900.04	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवम में अध्ययनरत सभी जाति के बालिकाओं को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जानी है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहुँच सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण होगा।
	21-2202027890102	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री बालिका साईकिल योजना	0.00	1,500.00	1,500.00	
36	21-2202021070107	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	0.00	10,000.00	10,000.00	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी कोटि के छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 9 से 12 तक के छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु 1000/- वार्षिक उपलब्ध कराया जाना है।
37	21-2202021070108	राज्य स्कीम	अन्य विद्यालय	0.00	16,200.00	16,200.00	मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को उच्च शिक्षा के लिए उन्मुख करने हेतु रु० 10,000/- प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाना है।
38	21-2202021090105	राज्य स्कीम	आई०सी०टी० परियोजना	0.00	100.00	100.00	कक्षा 09 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध करायी जानी है।
39	21-2202021090109	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	0.00	4,000.00	4,000.00	कक्षा 07 से कक्षा 12 तक अध्ययनरत छात्राओं में स्वच्छता अभियान के तहत मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सेनेट्री नैपकिन उपलब्ध कराने हेतु 150/- रुपये प्रति छात्रा की दर से राशि दी जानी है।
40	21-2202021090110	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना	0.00	500.00	500.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत बच्चों को बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास, पर्यटन स्थल एवं भौगोलिक क्षेत्रों से अवगत कराने हेतु मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना अन्तर्गत प्रति विद्यालय 20,000/- रुपये की दर से राशि दी जानी है।

**परिणाम बजट
2018-2019**

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
41	21-2202021090207	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	9,000.00	0.00	9,000.00	नया माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने , भवन, वर्ग कक्ष एवं शौचालय का निर्माण तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा बच्चों को माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक के मानदेय का भुगतान किया जाना है।
	21-2202021090307	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	0.00	1,000.00	1,000.00	
42	21-2202021100110	राज्य स्कीम	आई०सी०टी० परियोजना	0.00	400.00	400.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास प्रदान करने एवं उन्हें कम्प्यूटरीकृत करने हेतु कम्प्यूटर शिक्षकों के मानदेय एवं कम्प्यूटरीकरण मद में राशि का भुगतान किया जाना है।
43	21-2202021100211	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	16,000.00	0.00	16,000.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत विद्यालयों को आदर्श बनाने एवं इसके अनुश्रवण तथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) को वाहन उपलब्ध कराने एवं अन्य मदों पर राशि व्यय की जानी है।
	21-2202021100311	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	0.00	15,666.66	15,666.66	
44	21-2202027890101	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री बालक साईकिल योजना	0.00	2,500.00	2,500.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवम में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के बालकों को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहुँच सकें इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 13,860 बालकों को साईकिल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
45	21-2202027890104	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	0.00	2,000.00	2,000.00	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालिकाओं को नवमी वर्ग में अध्ययन हेतु पोशाक क्रय हेतु राशि दी जानी है ।
46	21-2202031020115	राज्य स्कीम	राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	0.00	11,500.01	11,500.01	राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाना है।
47	21-2202031020117	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना	0.00	150.00	150.00	चाणक्य विधि महाविद्यालय, पटना को भवन निर्माण एवं स्थापना के लिये अनुदान दिया जाना है।
48	21-2202031020118	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान हेतु	0.00	1.00	1.00	चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना को स्थापना एवं आधारभूत संरचना/भवन निर्माण हेतु सहायक अनुदान दिया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
49	21-2202031020126	राज्य स्कीम	आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	0.00	500.00	500.00	आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु एवं तकनीकी शिक्षा विद्यार्थियों को सुलभ करने हेतु राशि व्यय की जानी है।
50	21-2202031020323	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	2,516.43	2,516.43	उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आयोजित कर छात्रों को जीवकोपार्जन हेतु व्यावसायिक एवं अन्य श्रोतो से जोड़ना है। जिनमें किये गये व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।
51	21-2202031070104	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	0.00	3,600.00	3,600.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत गैर योजना मद में +2 इंटर स्तरीय अध्ययनरत बालिकाओं को पोशाक उपलब्ध करायी जानी है।
52	21-2202031120101	राज्य स्कीम	बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम	0.00	14,800.00	14,800.00	मुख्यमंत्री के सात निश्चय अन्तर्गत मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक आभाव से निपटने के लिए राज्य सरकार उन प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु बेलट्रॉन या अन्य को राशि दी जानी है।
53	21-2202042000203	राज्य स्कीम	अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	100.00	0.00	100.00	18 वर्ष से उपर पुरुष एवं महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षुओं को बोद्धिक विकास में बढ़ोतरी हेतु सहायक अनुदान मद में राशि दी जानी है।
	21-2202042000303	राज्य स्कीम	अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	41.94	41.94	
54	21-2202042000204	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - साक्षर भारत	15.00	0.00	15.00	18 वर्ष से उपर पुरुष एवं महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाने पर राशि व्यय की जानी है।
	21-2202042000304	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - साक्षर भारत	0.00	6.30	6.30	
55	21-2202047890101	राज्य स्कीम	प्रौढ़ शिक्षा	0.00	25,493.85	25,493.85	20 वर्ष से उपर के पुरुष एवं महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाने पर राशि व्यय की जानी है।
56	21-2202800010102	राज्य स्कीम	राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	0.00	600.00	600.00	मुख्यालय पटना द्वारा प्रशिक्षण व्यय, सामग्री एवं पूर्तियाँ, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ में मशीन तथा उस्कर तथा सहायक अनुदान मद में राज्य शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय को सहायक अनुदान दिया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
57	21-2202800030504	राज्य स्कीम	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान विकास (वाह्य संपोषित परियोजना)	0.00	9,000.00	9,000.00	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के विकास हेतु राशि व्यय की जानी है।
	21-4202012020510	राज्य स्कीम	राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के भवन (वाह्य संपोषित परियोजना)	0.00	21,000.00	21,000.00	
58	21-2202800040106	राज्य स्कीम	ए०एन० सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना	0.00	25.00	25.00	ए०एन० सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना के विकास हेतु राशि व्यय की जानी है।
59	21-2202800040121	राज्य स्कीम	बिहार राज्य भाषा अकादमी	0.00	50.00	50.00	बिहार राष्ट्रभाषा अकादमी को सहायक अनुदान दिया जाना है।
60	21-4202012020103	राज्य स्कीम	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निम	0.00	4,695.65	4,695.65	यह वाह्य संपोषित परियोजना है जिसमें राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के भवन हेतु राशि आवंटित की जानी है।
61	21-4202012020109	राज्य स्कीम	राजकीय उच्च विद्यालय के भवन	0.00	3,000.00	3,000.00	उच्च विद्यालय भवन सद्दुकरण योजना के तहत पुराने भवनों जो जर्जर हो चुके हैं शौचालय एवं पेशाब घर का आभाव है तथा अन्य सुविधायें का विलोप है, के निर्माण हेतु बिहार सरकार कृत संकल्पित है और ऐसे भवनों का सद्दुकरण किया जाना है।
62	21-4202012030106	राज्य स्कीम	राजकीय महिला महाविद्यालय	0.00	10.00	10.00	महिला महाविद्यालय के विकास हेतु राशि व्यय की जानी है।
63	21-4202012030108	राज्य स्कीम	राजकीय महाविद्यालय	0.00	2,000.00	2,000.00	राजकीय महाविद्यालय के विकास हेतु राशि व्यय की जानी है।
64	21-4202012030207	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	6,000.00	0.00	6,000.00	उच्चतर शिक्षान्तर्गत महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विकास हेतु राशि व्यय की जानी है।
65	21-4202017890101	राज्य स्कीम	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	0.00	7,304.35	7,304.35	बिहार राज्य में प्रखंड स्तर पर दलित/महादलित के लिए आदर्श विद्यालय के स्थापना पर व्यय की जानी है।
योग				8,21,402.74	16,33,897.72	24,55,300.46	

**परिणाम बजट
2018-2019**

गृह विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	22-2055001150102	राज्य स्कीम	पुलिस प्रशासन एवं ढांचागत सुदृढीकरण एवं उन्नयन हेतु	0.00	3,000.00	3,000.00	पुलिस प्रशासन के आधारभूत संरचना को सुदृढीकरण हेतु लघु कार्य यथा कम्प्यूटर, थाना/ओपीओ एवं जिला मुख्यालय तथा पुलिस के विभिन्न इकाईयों में वीओएचओएफओ संचार व्यवस्था को डिजिटल पद्धति में बदलने हेतु डिजिटल वीओएचओएफओ सेट एवं अन्य उपकरणों का क्रय किया जाना है।
2	22-2055001150203	राज्य स्कीम	पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम	2,477.00	0.00	2,477.00	सीओसीओटीओएनओएसओ परियोजना हेतु आधारभूत संरचना, कम्प्यूटर, उपस्कर आदि का क्रय किया जाना है।
3	22-2070001080102	राज्य स्कीम	अग्निशामक उपकरणों का क्रय	0.00	1,000.00	1,000.00	राज्य के 867 थानों में एक-एक अद्द बड़ी अग्निशामक वाहन का क्रय पाँच चरणों में किया जाना है। प्रथम चरण हेतु 175 बड़ी अग्निशामक वाहनों का क्रय किया जाना है।
4	22-4055000500101	राज्य स्कीम	थाना/चौकी के भू-अर्जन हेतु	0.00	3,000.00	3,000.00	पुलिस लाईन गोपालगंज एवं पुलिस लाईन मधुबनी के भवन निर्माण हेतु भू-अर्जन लिए राशि विमुक्त किया जाना है।
5	22-4055000510101	राज्य स्कीम	पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण	0.00	26,669.99	26,669.99	27 थाना भवनों/ओपीओ, 2 पुलिस लाईन, महिला सिपाहियों के प्रशिक्षण हेतु बुनियादी सुविधाओं के निर्माण, बीओएमओपीओ-15 के निर्माण एवं चालू योजनाओं को पूर्ण करने के लिए राशि विमुक्त किया जाना है।
6	22-4070000510101	राज्य स्कीम	भवन निर्माण के लिए बिहार अग्निशाम सेवा	0.00	1,500.00	1,500.00	15 अग्निशामक भवनों का निर्माण किया जाना है एवं चालू योजनाओं को पूर्ण करने हेतु राशि विमुक्त किया जाना है।
7	22-4070000510103	राज्य स्कीम	केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं क	0.00	2,000.00	2,000.00	मंडल कारा, भभुआ का निर्माण एवं राज्य के सभी काराओं में महिला कक्षपालों के लिए शौचालय एवं स्नानागार निर्माण किया जाना है।
8	22-4070000510108	राज्य स्कीम	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के लिए भवन निर्माण	0.00	100.00	100.00	एल्बर्ट एक्का स्मारक भवन का निर्माण एवं कटिहार जिला के सैनिक विश्राम गृह का जीर्णोद्धार किया जाना है।
9	22-4070000510113	राज्य स्कीम	गृह रक्षा वाहिनी के लिए भवन निर्माण	0.00	1,000.00	1,000.00	गृह रक्षा वाहिनी वैशाली, हाजीपुर में प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण किया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

गृह विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	22-4070000510115	राज्य स्कीम	राज्य के प्रक्षेत्रीय/जिला/अनुमंडल प्रोवेशन कार्यालयों के कार्यालय भवन के निर्माण (गृह विभाग)	0.00	500.00	500.00	9 प्रक्षेत्रीय कार्यालय का भवन निर्माण किया जाना है ।
11	22-4070000520101	राज्य स्कीम	काराओं के संयंत्रों हेतु	0.00	1,600.00	1,600.00	राज्य के काराओं में बंदियों के परियोजनार्थ कलर टी०वी०, अतिरिक्त सी०सी०टी०भी० कैमरा, कम्प्यूटर का क्रय एवं टेलीफोन बुथ का अधिष्ठापन किया जाना है ।
योग				2,477.00	40,369.99	42,846.99	

परिणाम बजट
2018-2019

उद्योग विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	23-2851001020106	राज्य स्कीम	उद्योग मित्र	0.00	140.00	140.00	प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को सूचना, सहायता, मार्गदर्शन एवं मदद और सरकार के विभिन्न संवर्धनात्मक स्कीमों के बारे में मार्गदर्शन के लिये एवं मौजूदा उद्यमी तथा उद्यम स्थापित करने और चलाने के लिये औपचारिक प्रक्रिया, अनुदान, बैंक ऋण आदि के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना तथा विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कौशल उन्नयन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला के आयोजन पर व्यय किया जाना है।
2	23-2851001030103	राज्य स्कीम	हस्तकरघा विकास की योजना	0.00	329.00	329.00	हस्तकरघा प्रक्षेत्र 68“ लूम, एन०एच०डी०सी०, विस्कोटेक्स, शीप एण्ड ऊल हेतु पुल फण्ड/वफर फंड भागलपुर मेगा हैण्डलूम कलस्टर अन्तर्गत डिजाइन स्टूडियो एवं प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना, डिजाइन रिसर्च एवं मार्केट लिंकेज की स्थापना। छः बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों में एक वर्षीय बुनाई एवं डिजाइन में प्रशिक्षण पर व्यय किया जाना है।
	23-2851007890104	राज्य स्कीम	हस्तकरघा विकास की योजना	0.00	200.00	200.00	
	23-2851007960101	राज्य स्कीम	हथकरघा विकास की योजना	0.00	5.00	5.00	
3	23-2851001030113	राज्य स्कीम	शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण	0.00	700.00	700.00	उपेन्द्र महारथी शिल्प द्वारा शिल्पोत्सव, राज्य पुरस्कार, अखिल भारतीय हस्तशिल्प कार्यशाला, प्रशिक्षण, सेमिनार, हस्तशिल्प मेला का आयोजन, क्राफ्ट एक्सचेंज प्रोग्राम, परिसर का सौन्दरीकरण, हस्तशिल्प बिक्री केन्द्र का निर्माण, म्युजियम का सौन्दर्यीकरण एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण/ जिर्णोद्धार कार्य किया जाना है साथ ही विपणन, प्रशिक्षण/सेमिनार एवं कार्यशाला के माध्यम से 1000 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित किया जाना है।
4	23-2851001040101	राज्य स्कीम	हस्तशिल्प का विकास	0.00	1,250.00	1,250.00	भारतीय अन्तराष्ट्रीय व्यापार मेला, राज्य स्तरीय मेला/बिहार उत्सव/सोनपुर मेला/महिला उद्यमी संघ द्वारा आयोजित मेला/हैंडलूम महोत्सव/सेमिनार/हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प मेला/पाषाण शिल्प सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र, पत्थरकटी गया का सुदृढ़ीकरण की योजना कार्य पर व्यय किया जाना है साथ ही लगभग 200 हस्तशिल्पियों को निःशुल्क स्टॉल के माध्यम से राज्य एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विपणन एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

उद्योग विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	23-2851001050101	राज्य स्कीम	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान	0.00	420.00	420.00	बिहार के खादी संस्था/समितियों को न्यू मॉडल आधुनिक चरखा, लूम एवं कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराया जाना है। खादी बोर्ड के नये भवन के निर्माण पर व्यय होना है। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग के नये शो-रूम के सौदर्यीकरण किया जायेगा। खादी और ग्रामोद्योग के उत्कृष्ट उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विक्री हेतु जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय पर खादी मेला एवं प्रदर्शनी आयोजित किया जाना है।
	23-2851007890109	राज्य स्कीम	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना - बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान	0.00	1,160.00	1,160.00	
	23-2851007960102	राज्य स्कीम	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता	0.00	20.00	20.00	
6	23-2851001070101	राज्य स्कीम	पिछड़ी जातियों के लिए वि	0.00	1,865.00	1,865.00	मलवरी एवं अंडी परियोजना से संबंधित कीट पालकों को उपस्कर क्रय, सिंचाई सुविधा, कीटपालन घर बनाने हेतु आर्थिक सहायता दी जायेगी। तसर विकास परियोजनान्तर्गत वन भूमि और निजी भू-खण्ड पर लगाये गये तसर खाद्य पौधों का रख-रखाव, कीटपालन उपस्कर का कीटपालकों के बीच वितरण, ग्रेनेज की स्थापना एवं सामान्य सुलभ केन्द्र की स्थापना की जानी है। कार्यशाला, सेमिनार आदि कर योजना का प्रचार-प्रसार किया जाना है।
	23-2851007890105	राज्य स्कीम	पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत	0.00	360.00	360.00	
7	23-2851001080101	राज्य स्कीम	विद्युत करघा योजना	0.00	543.00	543.00	राज्य में विद्युत करघा प्रक्षेत्र में वस्त्र बुनाई के लागत व्यय में कमी आ रही है, उनके आय वृद्धि में सहायक सिद्ध हो रही है। पावर टेक्स योजना के तहत विद्युतकरघा बुनकरों को लाभांशित किया जाना है।
	23-2851007890101	राज्य स्कीम	विद्युत करघा योजना	0.00	5.00	5.00	
	23-2851007960116	राज्य स्कीम	विद्युत करघा योजना	0.00	2.00	2.00	
8	23-2851007960106	राज्य स्कीम	रेशम का विकास	0.00	25.00	25.00	तसर विकास परियोजनान्तर्गत वन भूमि और निजी भू-खण्ड पर लगाये गये तसर खाद्य पौधों का रख-रखाव, कीटपालन उपस्कर का कीटपालकों के बीच वितरण, ग्रेनेज की स्थापना एवं सामान्य सुलभ केन्द्र की स्थापना की जायेगी। कार्यशाला, सेमिनार आदि कर योजना का प्रचार-प्रसार किया जाना है।
9	23-2852087960101	राज्य स्कीम	आर्थिक सहायता	0.00	300.00	300.00	कोशल विकास कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जन जातीय युवकों/युवतियों को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निदेशालय द्वारा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।

**परिणाम बजट
2018-2019**

उद्योग विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	23-2852800010110	राज्य स्कीम	विभागीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रकाशन योजना	0.00	50.00	50.00	औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016/बिहार स्टार्टअप नीति, 2017/अन्य विभागीय योजनाओं के सम्बंध में भावी उद्यमियों एवं मौजूदा उद्यमियों को बुकलेट, पुस्तिका, बुलेटिन, प्रोजेक्ट प्रोफाइल, औद्योगिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन आदि का प्रकाशन कर सेमिनार/मेला में वितरित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार, राज्य तथा राज्य से बाहर समय-समय पर आयोजित होने वाले मेला/एक्सपो इत्यादि में उपलब्ध कराये गये स्टॉल/स्पेस के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार, सेमिनार, कार्यशाला, रोड शो पर व्यय किया जाना है।
11	23-2852800010111	राज्य स्कीम	निवेश आयुक्त का कार्यालय	0.00	500.00	500.00	निवेश आयुक्त मुंबई कार्यालय की स्थापना पर व्यय किया जाना है।
12	23-2852801020135	राज्य स्कीम	इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	0.00	2,666.00	2,666.00	कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवकों/युवतियों को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निदेशालय द्वारा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाना है।
13	23-2852801020142	राज्य स्कीम	प्रोजेक्ट एवं फिजिविलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य	0.00	900.00	900.00	राज्य सरकार द्वारा पी०एम०ए० के रूप में आई०एल० एण्ड एफ०एस०-सी०डी०आई० लिमिटेड, दाराशौ एण्ड कम्पनी लिमिटेड-सुमन प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट प्रा० लि०, एस पी ए कैपिटल-हेबे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा० लि० एवं एस आर ई आई एण्ड एफ०जी०ए०पी०एल० एवं अन्य एजेंसीयों को पी० एम० ए० के रूप में नामित करने के फलस्वरूप निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाना है।
	23-2852807890104	राज्य स्कीम	प्रोजेक्ट एवं फिजिविलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य	0.00	100.00	100.00	
	23-2852807960107	राज्य स्कीम	प्रोजेक्ट एवं फिजिविलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य (परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य)	0.00	50.00	50.00	
14	23-2852801020147	राज्य स्कीम	बिहार के औद्योगिक विकास अभियान के	0.00	500.00	500.00	बिहार के औद्योगिक विकास अभियान के अन्तर्गत पूंजी निवेश प्रोत्साहन हेतु गोष्ठियों का आयोजन/प्रचार-प्रसार किया जाना है।
15	23-2852801020150	राज्य स्कीम	सेन्ट्रल इस्टीमेट आफ प्लासि	0.00	300.00	300.00	महिला छात्रावास/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं प्रशिक्षण दिया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

उद्योग विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	23-2852801020160	राज्य स्कीम	प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट-प्रोडक्सन सुविधाओं की या	0.00	28,475.00	28,475.00	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016/औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति/अनुदान तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत अनुदान राशि के लंबित दावों का भुगतान किया जाना है।
	23-2852807890105	राज्य स्कीम	प्री प्रोडक्शन एवं प्रोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना	0.00	1,500.00	1,500.00	
	23-2852807960122	राज्य स्कीम	प्री प्रोडक्शन एवं प्रोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना	0.00	25.00	25.00	
17	23-2852801020163	राज्य स्कीम	व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण	0.00	5,157.00	5,157.00	28 जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यालय भवनों का निर्माण एवं अन्य सरकारी भवन तथा लेदर पार्क का निर्माण किया जाना है।
	23-2852807890101	राज्य स्कीम	व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण	0.00	2,635.00	2,635.00	
18	23-2852801020164	राज्य स्कीम	बिहार फाउंडेशन	0.00	200.00	200.00	स्थापनात्मक व्यय एवं विभिन्न राज्यों में बिहार चैप्टर की स्थापना/ अप्रवासी बिहार से सम्पर्क स्थापित करने सम्बन्धी व्यय का वहन किया जाना है ।
19	23-2852807890102	राज्य स्कीम	इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	0.00	1,600.00	1,600.00	राज्य के अनुसूचित जाति के युवा/युवतियों को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर/प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर इन्जेक्शन मोल्डिंग/प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर ब्लो मोल्डिंग/मोल्ड मेकिंग टेक्निशियन्स मेसेनिस्ट/पाइप एण्ड प्रोफाइल एक्स्ट्रूजन, मशीन ऑपरेटर / सर्टिफिकेट कोर्स इन टूल एण्ड ड्राई मेकिंग/सर्टिफिकेट कोर्स आन0सी0एन0सी0लेथ/सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एडवास वेल्डिंग टेक्नालाजी/इन्स्पेक्शन एण्ड क्वालिटी कंट्रोल/ एसी0 एण्ड फ्रिज रिपेयरिंग/सर्टिफिकेट इन फुटवियर कटिंग एण्ड टेक्नालाजी में आवासीय-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाना है।
20	23-2852807960123	राज्य स्कीम	व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत सुविधाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव- बिह	0.00	108.00	108.00	अनुसूचित जन जातीय के विकास हेतु उद्योग केन्द्र को निर्माण/जिर्णोद्धार/मरम्मत कार्य किया जाना है।
21	23-4851001020102	राज्य स्कीम	टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर	0.00	200.00	200.00	मोडुलर सेड/टूल रूम का निर्माण।
22	23-4851001070103	राज्य स्कीम	रेशम- भवन	0.00	100.00	100.00	अग्रपरियोजना केन्द्र/अन्य रेशम केन्द्रों में भवन का निर्माण/जिर्णोद्धार किया जाना है ।

परिणाम बजट
2018-2019

उद्योग विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23-4851001900102	राज्य स्कीम	भेनचर कैपिटल में निवेश	0.00	10.00	10.00	स्टार्ट-अप हेतु नयी उद्यमियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराया जाना है ।
24	23-4851007890103	राज्य स्कीम	बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि० (कम्पेड)	0.00	1,000.00	1,000.00	नीरा आधारित उद्योग के संचालन एवं विकास हेतु भवन/शेड निर्माण एवं मशीनरी की स्थापना किया जाना है ।
25	23-4885020500101	राज्य स्कीम	औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन	0.00	100.00	100.00	उद्योगों की स्थापना हेतु भू-अर्जन का कार्य किया जाना है।
योग				0.00	53,500.00	53,500.00	

परिणाम बजट
2018-2019

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	24-2220601060101	राज्य स्कीम	क्षेत्रीय प्रचार-योजना	0.00	7,730.20	7,730.20	विशेष प्रचार अभियान में इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रिन्ट मिडिया, रेडियो इन्टरनेट, सोशल मिडिया, आउटडोर पब्लिसिटी, फिल्म का निर्माण एवं प्रदर्शन प्रकाशन विकास एवं निवेश के लिए वातावरण का निर्माण, सजावटी विज्ञापन प्रेस संबंधी कार्यक्रम, प्रदर्शनी, रोड शो, होर्डिंग एवं फ्लैक्स निर्माण मीडिया का प्रशिक्षण, गीत एवं नाट्य, मास मीडिया, आपदा के समय प्रचार-प्रसार एवं वैसे सभी कार्यक्रम जिससे विकास एवं निवेश का वातावरण बनाया जा सके। सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रचार-प्रसार। सूचना भवन की सफाई एवं सुरक्षा हेतु। इस योजना के अंतर्गत मुख्यालय/ बिहार सूचना केन्द्र, नई दिल्ली एवं सभी नव निर्मित जिला सूचना भवन का सुसज्जीकरण एवं फर्नीशिंग किया जाना है।
2	24-2220601060106	राज्य स्कीम	बिहार संवाद समिति	0.00	500.00	500.00	2. बिहार संवाद समिति नीति नियमावली के तहत अनुदान दिया जाना है।
3	24-2220607890101	राज्य स्कीम	क्षेत्रीय प्रचार योजना अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	0.00	1,601.97	1,601.97	3. होर्डिंग/फ्लैक्स, नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत, फिल्म प्रदर्शन, प्रदर्शनी एवं अन्य उचित माध्यमों से सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रमों का कमजोर वर्गों एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जाना है।
4	24-2220607960101	राज्य स्कीम	क्षेत्रीय प्रचार योजना	0.00	100.12	100.12	होर्डिंग/फ्लैक्स, नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत, फिल्म प्रदर्शन, प्रदर्शनी एवं अन्य उचित माध्यमों से सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रमों का अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में प्रचार-प्रसार किया जाना है।
5	24-2235601100103	राज्य स्कीम	बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना	0.00	50.00	50.00	बिहार पत्रकार बीमा योजना अन्तर्गत वरिष्ठ पत्रकारों को बीमा से अच्छादित किया जाना है।
6	24-2235602000115	राज्य स्कीम	पत्रकार पेंशन योजना	0.00	30.00	30.00	बिहार पत्रकार पेंशन योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन से अच्छादित किया जाना है।
योग				0.00	10,012.29	10,012.29	

परिणाम बजट
2018-2019

सूचना प्रावैधिकी विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	25-2230030010101	राज्य स्कीम	कौशल विकास मिशन	0.00	300.00	300.00	केन्द्र सरकार के नीति के अन्तर्गत इस योजना का अनुश्रवण श्रम संसाधन विभाग के द्वारा किया जा रहा है तथा इसका क्रियान्वयन सूचना प्रावैधिकी विभाग में भी किया जाना है, जिसके तहत कुल पाँच वर्षों में राज्य के छः लाख बेरोजगार युवाओं को कम्प्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।
2	25-2852072020106	राज्य स्कीम	ज्ञान सिटी परियोजना	0.00	1,500.00	1,500.00	सूचना प्रावैधिकी से संबंधित आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने यथा आईटी० पार्क एण्ड एस०टी०पी०आई० के साथ-साथ आईटी० रोड मैप अन्तर्गत एंजल फंड, आईटी० ईको-सिस्टम का निर्माण आईटी० इंक्यूबेशन सेन्टर, आई०आई०आई०आई० के निर्माण कार्य किया जाना है।
3	25-2852072020107	राज्य स्कीम	सूचना प्रावैधिकी संबंधी प्रचार-प्रसार योजना	0.00	1,200.00	1,200.00	सूचना प्रावैधिकी को अत्याधिक सुलभ एवं सुविधाजनक बनाये जाने हेतु इसका प्रचार-प्रसार एवं इससे संबंधित प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। साथ- ही-साथ मानव विकास मिशन योजनान्तर्गत भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।
4	25-2852072020108	राज्य स्कीम	स्टेट डाटा सेन्टर	0.00	2,000.00	2,000.00	राज्य में केन्द्र सरकार के सहयोग से स्थापित स्टेट डाटा सेन्टर को निर्वाध गति से संचालन किया जाना है।
5	25-2852072020109	राज्य स्कीम	ई-शासन राज्य योजना	0.00	2,829.02	2,829.02	राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/ बोर्डों/ निगम/ कार्यालयों के लिए कम्प्यूटराइजेशन का कार्य किया जाना है।
6	25-2852072020113	राज्य स्कीम	निश्चय-विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में निःशुल्क वाई फाई	0.00	5,200.00	5,200.00	बिहार राज्य के युवाओं को इन्टरनेट के माध्यम से प्रतिदिन विश्व के आयाम पर नई-नई जानकारीयों प्राप्त होगी, जो उन्हें रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगा ।
7	25-3451000900118	राज्य स्कीम	सचिवालय का स्थानीय नेटवर्क	0.00	1,000.00	1,000.00	सेकलैन योजना के तहत द्वितीय चरण का कार्य किया जाना है।
8	25-4859020040101	राज्य स्कीम	बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान)	0.00	6,000.00	6,000.00	बीस्वान 2.0 नेक्स्ट जेनरेशन परियोजना के परिचालन किया जाना है।
योग				0.00	20,029.02	20,029.02	

परिणाम बजट
2018-2019

श्रम संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	26-2210011020103	राज्य स्कीम	कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन विभाग	0.00	5.00	5.00	डॉक्टर एवं पारामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय किया जाना है।
2	26-2230011010106	राज्य स्कीम	बिहार बाल श्रमिक आयोग का गठन	0.00	216.64	216.64	बाल श्रमिक आयोग की स्थापना कॉन्फ्रेंस कार्यशाला का आयोजन एवं अन्य पर व्यय किया जाना है।
3	26-2230011010108	राज्य स्कीम	श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु	0.00	1,083.02	1,083.02	दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान के निर्माण एवं उपकरण, टेबुल, कुर्सी पर व्यय एवं कॉन्फ्रेंस कार्यशाला का आयोजन किया जाना है।
4	26-2230011010109	राज्य स्कीम	कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण	0.00	1,500.00	1,500.00	श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न पक्षों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण, कम्प्यूटर, प्रिंटर, सी०सी०टी०वी० कैमेरा इत्यादि का क्रय, तथा माननीय श्रम न्यायालय एवं माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण हेतु इजलास का निर्माण किया जाना है।
5	26-2230011030101	राज्य स्कीम	ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन	0.00	37.70	37.70	8442 श्रमिकों को लाभान्वित किया जाना है।
	26-2230017890101	राज्य स्कीम	ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन	0.00	15.30	15.30	
6	26-2230011030103	राज्य स्कीम	बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण	0.00	281.64	281.64	800 बाल श्रमिकों को लाभान्वित किया जाना है।
	26-2230017890104	राज्य स्कीम	बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण	0.00	17.00	17.00	
	26-2230017960102	राज्य स्कीम	बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण	0.00	4.25	4.25	

परिणाम बजट
2018-2019

श्रम संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	26-2230011120101	राज्य स्कीम	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	0.00	14.00	14.00	बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के संबंध में भारत सरकार ने पूर्व की योजना को संशोधित करते हुए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ बंडेड लेबर 2016 अधिसूचित किया है, जो दिनांक-17.05.2016 से लागू है। संशोधित योजना में विमुक्ति के पश्चात् पुनर्वास मद की पूर्ण राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तावित राशि नयी स्कीम के लागू होने के पूर्व विमुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए उपबंधित है। पुरानी योजना में 140 बंधुआ मजदूरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
	26-2230011120201	राज्य स्कीम	बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	120.00	0.00	120.00	
	26-2230011120301	राज्य स्कीम	बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	0.00	84.00	84.00	
	26-2230017890102	राज्य स्कीम	बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम	0.00	5.00	5.00	
	26-2230017890305	राज्य स्कीम	बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	0.00	30.00	30.00	
	26-2230017960103	राज्य स्कीम	बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम	0.00	1.00	1.00	
	26-2230017960304	राज्य स्कीम	बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	0.00	6.00	6.00	
8	26-2230011140102	राज्य स्कीम	अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	0.00	230.00	230.00	280 मृत प्रवासी मजदूरों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
	26-2230017890103	राज्य स्कीम	अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	0.00	70.00	70.00	
9	26-2230021010101	राज्य स्कीम	नियोजन सेवा का विस्तार	0.00	159.90	159.90	राज्य के नियोजनालयों के आधारभूत संरचना हेतु फर्निचर, टेबल, कुर्सी, गोदरेज, सेल्फ इत्यादी के क्रय पर व्यय किया जायेगा। राज्य के नियोजनालयों द्वारा ई भान के माध्यम से बेरोजगार युवकों/युवतियों का ऑनलाइन निबंधन पर व्यय किया जाना है।
	26-2230021010110	राज्य स्कीम	नियोजन सेवा हेतु ई प्रोसेस	0.00	55.00	55.00	

**परिणाम बजट
2018-2019**

श्रम संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	26-2230021010111	राज्य स्कीम	नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम	0.00	30.00	30.00	राज्य के विभिन्न नियोजनालयों में स्थापित सी०आई०सी० में बेरोजगार युवक/युवतियों के अध्ययन के लिए समाचार पत्र / पत्रिकाएँ एवं पुस्तकों इत्यादि के क्रय पर व्यय किया जायेगा। राज्य के नियोजनालयों के माध्यम से प्रमंडल स्तरीय/जिला स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय नियोजन मेला कार्यक्रम पर व्यय किया जायेगा। नियोजन पक्ष के पदाधिकारियों / कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर व्यय किया जायेगा।
11	26-2230021010113	राज्य स्कीम	निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता	0.00	39.08	39.08	बेरोजगार निःशक्त जनों के लिए स्वरोजगार हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है ।
12	26-2230021010115	राज्य स्कीम	राज्य के नियोजनालय को जन-निजी भागदारी में संचालन	0.00	411.75	411.75	राज्य के पाँच नियोजनालयों यथागया, मोतिहारी, कटिहार, सितामढ़ी एवं दरभंगा में आउट सोर्सिंग एजेंन्सी के माध्यम से एन०सी०एस० पोर्टल एवं वेंडर पोर्टल पर स्टैक होल्डर का ऑनलाइन निबंधन, बेरोजगार युवक/युवतियों का मुल्यांकन, मार्गदर्शन , मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार मेला आयोजित करने एवं मेला के माध्यम से चयनित आवेदकों का ट्रेकिंग किये जाने पर व्यय किया जाना है।
13	26-2230021010214	राज्य स्कीम	नेशनल कैरियर सर्विस	1,000.00	0.00	1,000.00	राज्य के सभी नियोजनालयों में आई०टी० इक्वूपमेंट, रिफर्विसिंग एवं नियोजन मेला के आयोजन साथ ही साथ मॉडल कैरियर सेंटर पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर के संचालन पर व्यय किया जाना है ।
	26-2230021010314	राज्य स्कीम	नेशनल कैरियर सर्विस	0.00	666.67	666.67	
14	26-2230030030103	राज्य स्कीम	प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण	0.00	20.00	20.00	बिहार के स्थापित औ० प्र० संस्थान एवं प्रस्तावित औ० प्र० संस्थानों के पदाधिकारियों / तकनीकी कर्मचारियों को दक्षता विकास हेतु न्यूनतम 100 पदाधिकारी एवं कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाना है।
15	26-2230030030105	राज्य स्कीम	पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारम्भ	0.00	100.00	100.00	पूर्व से स्थापित 85 सामान्य औ० प्र० संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करना। 08 औ० प्र० संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारम्भ किया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

श्रम संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	26-2230030030109	राज्य स्कीम	मशीनों का आधुनिकीकरण	0.00	4,000.00	4,000.00	स्थापित 121 औ० प्र० संस्थान के (नये औ० प्र० संस्थान सहित) एवं 24 प्रस्तावित नये औ० प्र० संस्थान/महिला औ० प्र० संस्थान के बेहतर प्रशिक्षण हेतु आधुनिक मशीन/उपकरणों को उपलब्ध कराना है।
17	26-2230030030112	राज्य स्कीम	स्थापित महिला औ० प्र० सं० में नया व्यवसाय प्रारंभ	0.00	50.00	50.00	पूर्व से स्थापित 30 महिला औ० प्र० संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करना। 04 महिला औ० प्र० संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ किया जाना है।
18	26-2230030030118	राज्य स्कीम	नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.00	4,000.00	4,000.00	इस योजनान्तर्गत पूर्व से स्थापित 54 औ० प्र० संस्थानों का स्थापना व्यय तथा 16 औ० प्र० संस्थान खोले जाने हैं।
19	26-2230030030126	राज्य स्कीम	मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम	0.00	500.00	500.00	प्रशिक्षणार्थियों के बेहतर प्रशिक्षण हेतु औ० प्र० संस्थान में कम्प्यूटर लैब की स्थापना करना तथा कार्यालयों का कम्प्यूटीरीकरण एवं कम्प्यूटर लैब की स्थापना तथा डिजिटल कॉन्टेन्ट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना है।
20	26-2230030030129	राज्य स्कीम	बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	23,111.22	23,111.22	राज्य में कौशल विकास के उन्नयन हेतु स्थापित बिहार कौशल विकास मिशन का स्थापना व्यय एवं इस मिशन के माध्यम से राज्य के 500000 युवा/युवतियों के कौशल क्षमता को संवर्द्धन किया जाना है।
	26-2230037890101	राज्य स्कीम	बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	10,136.20	10,136.20	
	26-2230037960121	राज्य स्कीम	बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	379.19	379.19	
21	26-2230030030233	राज्य स्कीम	कौशल विकास मिशन	2,875.00	0.00	2,875.00	कौशल विकास योजनान्तर्गत एल० डब्लू ई० के अंतर्गत 03 औ० प्र० संस्थान एवं औ० प्र० संस्थान मढौरा को मॉडल अआई० टी० आई० के रूप में विकसित किया जाना है।
	26-2230030030333	राज्य स्कीम	कौशल विकास मिशन	0.00	733.33	733.33	
22	26-2230031010101	राज्य स्कीम	नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.00	1,000.00	1,000.00	इस योजनान्तर्गत पूर्व से स्थापित 23 महिला औ० प्र० संस्थानों का स्थापना व्यय तथा 08 औ० प्र० संस्थान खोले जाने हैं।
23	26-2235012020107	राज्य स्कीम	विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन	0.00	493.22	493.22	400 बाल श्रमिकों को लाभान्वित किया जाना है।

**परिणाम बजट
2018-2019**

श्रम संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	26-2235022000102	राज्य स्कीम	असंगठित मजदूरों एवं शिल्पकारों की सामाजिक सुरक्षा	0.00	1,050.00	1,050.00	असंगठित क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार को दुर्घटना मृत्यु/सामान्य मृत्यु/पूर्ण या आंशिक अपंगता प्राप्त होने पर अनुदान देते हुए व्यय किया जाएगा।
	26-2235027890110	राज्य स्कीम	असंगठित मजदूरों एवं	0.00	400.00	400.00	
	26-2235027960124	राज्य स्कीम	असंगठित मजदूरों एवं शिल्पकारों की सामाजिक सुरक्षा	0.00	50.00	50.00	
25	26-4250000500101	राज्य स्कीम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू-अर्जन के लिए	0.00	2,000.00	2,000.00	नये स्थापित औ० प्र० संस्थानों एवं प्रस्तावित 16 औ० प्र० संस्थानों/08 महिला औ० प्र० संस्थानों के भवन निर्माण हेतु कुल 05 औ० प्र० संस्थानों के भवन सतत लीज पर लिया जाना है।
योग				3,995.00	52,986.11	56,981.11	

विधि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	27-2014001140105	राज्य स्कीम	बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउंसिल/एसोसिएशन को अनुदान	0.00	10.00	10.00	बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउंसिल/एसोसिएशन के निर्माण एवं पुस्तकालय हेतु अनुदान दिया जाना है।
योग				0.00	10.00	10.00	

परिणाम बजट
2018-2019

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30-2202021070109	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	0.00	5,100.00	5,100.00	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक प्रथम श्रेणी एवं बिहार मदरसा बोर्ड से फोकानियों परीक्षा से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/ छात्राओं एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्राओं एवं बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिया जाना है ।
2	30-2202021070210	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	100.00	0.00	100.00	प्री- मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट-कम- मीन्स छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रशासनिक व्यय हेतु राशि दी जानी है।
3	30-2202031070106	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को लोक सेवा	0.00	500.00	500.00	अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु कोचिंग की व्यवस्था किया जाना है ।
4	30-2225041020101	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक कल्याण अंतरपूर्ति योजना	0.00	100.00	100.00	राज्य में चलाई जा रही अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के अतिरिक्त अन्य आकस्मिक योजनाओं में राशि का व्यय किया जाना है ।
	30-2225042770105	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक कल्याण अंतरपूर्ति योजना	0.00	100.00	100.00	
	30-4225042770102	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक कल्याण अंतरपूर्ति योजना	0.00	100.00	100.00	
5	30-2225042770101	राज्य स्कीम	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	2,200.00	2,200.00	केन्द्रीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निर्धारित कोटे से अवशेष बचे अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत छात्रवृत्ति उपलब्ध कराया जाना है ।
6	30-2225042770103	राज्य स्कीम	बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना	0.00	2,500.00	2,500.00	बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में शैक्षणिक सुधार हेतु मुलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाना है ।
7	30-2250000030101	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों को प्रशिक्षण	0.00	800.00	800.00	अल्पसंख्यक युवक/ युवतियों को स्वरोजगार हेतु तकनीकी प्रशिक्षण दिलाया जाना है ।
8	30-2250001010101	राज्य स्कीम	मुस्लिम परित्यक्ता को सहायता के रूप	0.00	200.00	200.00	800 मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायतार्थ अनुदान दिया जाना है ।
9	30-2250008000107	राज्य स्कीम	वक्फ सम्पत्ति के रख-रखाव सुरक्षा तथा संवर्द्धन हेतु	0.00	1,000.00	1,000.00	वक्फ सम्पत्ति के रख-रखाव, सुरक्षा तथा संवर्द्धन हेतु अनुदान दिया जाना है ।

परिणाम बजट
2018-2019

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	30-2250008000108	राज्य स्कीम	वक्फ सम्पत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड को रिवोल्विंग फंड	0.00	4,000.00	4,000.00	अंजुमन इस्लामियों हाल, पटना के पुर्नउद्धार एवं वक्फ सम्पत्ति के विकास हेतु वक्फ बोर्डों को रिवोल्विंग फंड के रूप में अनुदान दिया जाना है।
11	30-4225040510101	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक भवन सह- हज- हाउस के निर्माण वास्ते	0.00	100.00	100.00	अल्पसंख्यक भवन-सह हज हाउस के साज-सज्जा एवं अतिरिक्त कार्य हेतु राशि व्यय किया जाना है।
12	30-4225042770101	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण	0.00	200.00	200.00	जिलों में निर्मित अल्पसंख्यक छात्रावास के आधुनिकीकरण हेतु राशि व्यय की जानी है।
13	30-4250000510207	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	10,300.00	0.00	10,300.00	अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाना है।
	30-4250000510307	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	0.00	2,500.00	2,500.00	
14	30-5465011900104	राज्य स्कीम	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सापूंजी के रु	0.00	10,800.00	10,800.00	सुशासन कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के उद्देश्य से कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने हेतु राशि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध कराई जायेगी।
योग				10,400.00	30,200.00	40,600.00	

परिणाम बजट
2018-2019

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33-2052000920122	राज्य स्कीम	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी	0.00	6,932.51	6,932.51	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण तथा राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था तथा मानव संसाधन को दक्ष, प्रभावी एवं जिम्मेवार बनाना, लोक सेवाओं की कार्य क्षमता, अभिप्रेरणा एवं कार्यकुशलता का विकास, हेल्प लाईन 'जिज्ञासा' के माध्यम से जनता को बेहतर सुविधा प्रदान कराना, सुशासन केन्द्र स्थापित करना, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण, लोक संविदना अभियान का संचालन तथा चल-अचल सम्पत्तियों की विवरणी वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है।
योग				0.00	6,932.51	6,932.51	

परिणाम बजट
2018-2019

योजना एवं विकास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	35-2052000900103	राज्य स्कीम	योजना यंत्र का सुदृढीकरण	0.00	700.00	700.00	विभागीय मुख्यालय के लिए आधारभूत संरचना का विकास कार्य किया जाना है।
2	35-2053000940109	राज्य स्कीम	योजना यंत्र का सुदृढीकरण जिला स्तरीय योजना	0.00	1,000.00	1,000.00	जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में योजना का सूत्रण एवं निर्माण किया जाना है।
3	35-2070000010105	राज्य स्कीम	बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण	0.00	200.00	200.00	बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण पर व्यय किया जाना है।
4	35-2235012020505	राज्य स्कीम	आपात कालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना, विश्व बैंक	0.00	83.00	83.00	बिहार कोसी बाढ़ समुत्थान योजना के तहत सड़क, पुल निर्माण, गृह निर्माण एवं शौचालय निर्माण की योजना का कार्यान्वयन। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत सड़क एवं पुल का निर्माण पर व्यय किया जाना है।
	35-2235017890501	राज्य स्कीम	आपातकालीन कोशी पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	0.00	16.00	16.00	
	35-2235017960501	राज्य स्कीम	आपात कालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	0.00	1.00	1.00	
5	35-2235602000117	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	0.00	23,400.00	23,400.00	मुख्यमंत्री के निश्चय के अंतर्गत 20-25 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवकों को सहायता भत्ता दिया जाएगा ।
	35-2235607890106	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	0.00	4,800.00	4,800.00	
	35-2235607960102	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	0.00	300.00	300.00	
6	35-3451001010101	राज्य स्कीम	बिहार राज्य योजना बोर्ड	0.00	200.00	200.00	बिहार राज्य योजना बोर्ड हेतु राशि का व्यय किया जाना है।
7	35-3454022040119	राज्य स्कीम	योजना कार्यों का मूल्यांकन	0.00	200.00	200.00	केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के योजना कार्यों का मूल्यांकन किया जाना है ।
8	35-3454022040120	राज्य स्कीम	भारत सांख्यिकीय सुदृढीकरण परियोजना	0.00	100.00	100.00	भारत सांख्यिकीय सुदृढीकरण परियोजना हेतु राशि का व्यय किया जाना है ।
9	35-3454022050101	राज्य स्कीम	समग्र सांख्यिकी विकास योजना	0.00	3,569.00	3,569.00	समग्र सांख्यिकी विकास योजना हेतु राशि का व्यय किया जाना है ।
	35-3454027890101	राज्य स्कीम	समग्र सांख्यिकी विकास योजना	0.00	688.00	688.00	
	35-3454027960103	राज्य स्कीम	समग्र सांख्यिकी विकास योजना	0.00	43.00	43.00	
10	35-3475000040101	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री नवप्रवर्तन प्रोत्साहन योजना	0.00	100.00	100.00	नवप्रवर्तन के प्रोत्साहन हेतु कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार का आयोजन एवं सहायक अनुदान दिया जाएगा ।

परिणाम बजट
2018-2019

योजना एवं विकास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	35-4070000510107	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना	0.00	55,112.16	55,112.16	माननीय सदस्य विधान सभा/ परिषद के अनुसंसा पर स्थानीय क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है।
	35-4070007960101	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना	0.00	903.27	903.27	
12	35-4070000510109	राज्य स्कीम	योजना तंत्र का सुदृढीकरण जिला	0.00	10,818.85	10,818.85	राज्य के सभी जिलों में जिला योजना कार्यालय, सांख्यिकी भवन एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन हेतु कार्यालय भवन का निर्माण किया जाना है।
13	35-4070000510210	राज्य स्कीम	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी०ए०डी०पी०)	4,600.00	0.00	4,600.00	सीमावर्ती जिलों में आधारभूत संरचना का विकास यथा पथ, पुलिया एवं शौचालय निर्माण, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्पोर्ट्स, कृषि से संबंधित प्रक्षेत्रों में योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है।
	35-4070000510310	राज्य स्कीम	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी०ए०डी०पी०)	0.00	1,840.00	1,840.00	
	35-4070007890302	राज्य स्कीम	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी०ए०डी०पी०)	0.00	1,226.67	1,226.67	
14	35-4070007890103	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	0.00	13,225.57	13,225.57	माननीय सदस्य विधान सभा/ परिषद के अनुसंसा पर स्थानीय क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है।
15	35-4235600510104	राज्य स्कीम	कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी (गृह विभाग हेतु)	0.00	3,000.00	3,000.00	1192 कब्रिस्तानों की घेराबंदी का कार्य सम्पन्न कराया जाना है।
16	35-4515001010105	राज्य स्कीम	पंचायत सरकार भवनों का निर्माण (पंचायती राज विभाग)	0.00	20,000.00	20,000.00	पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाना है।
17	35-4515001010501	राज्य स्कीम	पंचायती राज भवन (वाह्य संपोषित)	0.00	14,000.00	14,000.00	राज्य के 12 जिलों में 330 पंचायत सरकार भवनों का भी निर्माण कराया जाना है।
18	35-4515001020303	राज्य स्कीम	एलडब्ल्यूई जिलों के लिए एसीए	0.00	100.00	100.00	वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त सहायता दी जानी है।
योग				4,600.00	1,55,626.52	1,60,226.52	

परिणाम बजट
2018-2019

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	36-2215011020106	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	0.00	41,500.00	41,500.00	गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के 4500 वार्डों में गृह जल संयोजन के साथ पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण पर व्यय किया जाना है ।
	36-2215017890104	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	0.00	8,000.00	8,000.00	
	36-2215017960105	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	0.00	500.00	500.00	
2	36-2215020030102	राज्य स्कीम	बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण	0.00	50.00	50.00	प्रशिक्षण -सह- शोध केन्द्र (प्रांजल), पटना को सहायक अनुदान दिया जाना है ।
3	36-4215011020101	राज्य स्कीम	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	0.00	500.00	500.00	4 निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाना है ।
4	36-4215011020103	राज्य स्कीम	ग्रामीण जलापूर्ति योजना (	0.00	2,040.00	2,040.00	मुख्यमंत्री चापाकल योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 6000 चापाकलों का निर्माण पर व्यय किया जाना है ।
	36-4215017890111	राज्य स्कीम	ग्रामीण जलापूर्ति योजना-	0.00	500.00	500.00	
	36-4215017960107	राज्य स्कीम	ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्ल्स, कूप, नलकूप)	0.00	60.00	60.00	
5	36-4215011020116	राज्य स्कीम	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना का ि	0.00	2,734.00	2,734.00	आर्सेनिक प्रभावित वार्डों / बसावटों में दो बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन और फ्लोराईड प्रभावित क्षेत्रों में 1500 पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाना है ।
6	36-4215011020119	राज्य स्कीम	निदेशन, प्रशासन एवं स्थापना	0.00	800.00	800.00	नवसृजित कार्यालयों यथा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय, पूर्णियाँ, अधीक्षण अभियन्ता (मो०) का कार्यालय, पटना, अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, रूपांकण अंचल, पटना, सासाराम एवं बेगुसराय तथा प्रमण्डलीय कार्यालय (मोनेटरिंग), पटना, रूपांकण प्रमण्डल, पटना, अरवल, शिवहर, लखीसराय, सुपौल एवं किशनगंज के स्थापना पर व्यय किया जाना है ।
7	36-4215011020124	राज्य स्कीम	अन्वेषण एवं सर्वेक्षण	0.00	10.00	10.00	स्रोत की सुनिश्चितता के लिए भू-गर्भीय अन्वेषण द्वारा भू-जल की उपलब्धता की जाँच पर व्यय किया जाना है ।

परिणाम बजट
2018-2019

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	36-4215011020125	राज्य स्कीम	जलगुणवत्ता की मॉनिटरिंग एवं प्रयोगशाला का उन्नयन	0.00	40.00	40.00	राज्य / जिलों के प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण किया जाना है ।
9	36-4215011020132	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	0.00	92,312.22	92,312.22	आर्सेनिक / फ्लोराईड / लौह प्रभावित क्षेत्रों के 6000 वार्डों में गृह जल संयोजन के साथ पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जाना है ।
	36-4215017890114	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	0.00	16,921.44	16,921.44	
	36-4215017960119	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	0.00	666.34	666.34	
10	36-4215011020230	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	30,000.00	0.00	30,000.00	राज्य के गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में 1000 पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाना है ।
	36-4215011020330	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	0.00	32,000.00	32,000.00	
	36-4215017890212	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	9,000.00	0.00	9,000.00	
	36-4215017890312	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	0.00	7,600.00	7,600.00	
	36-4215017960217	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	1,000.00	0.00	1,000.00	
	36-4215017960317	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	0.00	400.00	400.00	
11	36-4215011020231	राज्य स्कीम	ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम (आरडब्लूएसएस-एलआईएस)	15,000.00	0.00	15,000.00	ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम (विश्व बैंक सम्पोषित) पर व्यय किया जाना है ।
12	36-4215021060104	राज्य स्कीम	शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा	0.00	1,000.00	1,000.00	मुख्यमंत्री चापाकल योजना अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में 2500 चापाकलों का निर्माण पर व्यय किया जाना है ।
योग				55,000.00	2,07,634.00	2,62,634.00	

**परिणाम बजट
2018-2019**

ग्रामीण कार्य विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	37-2515000010108	राज्य स्कीम	ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों की	0.00	18,000.00	18,000.00	विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों के स्थापना आदि में व्यय का वहन किया जायगा
2	37-2515008000116	राज्य स्कीम	बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी	0.00	1,000.00	1,000.00	पथों एवं पुलों का निर्माण बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (ब्राडा) के माध्यम से कराया जाता है। इस अभिकरण के स्थापना एवं रख-रखाव पर व्यय किया जायेगा। बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के लिए सहायक अनुदान से क्षमता संवर्द्धन किया जायेगा।
3	37-4515001030101	राज्य स्कीम	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	0.00	11,005.00	11,005.00	विभाग में बड़े पैमाने पर पथों एवं पुलों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके लिये डी०पी०आर० तैयार किये जाते हैं। इस राशि से नयी योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार किया जायेगा। पथों के निर्माण के क्रम में माननीय न्यायालयों के आदेश पर भूमि मुआवजा इत्यादि पर व्यय किया जाना है एवं इस कार्य में लगे तकनीकी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर सक्षमता से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना है।
4	37-4515001030105	राज्य स्कीम	ग्राम विकास की परियोजनाएं	0.00	45,931.00	45,931.00	120 कि०मी० नये पथों तथा 4900 मीटर पुलों का निर्माण किया जायेगा, जिससे गाँवों को सम्पर्कता मिल सके।
5	37-4515001030113	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना	0.00	20,000.00	20,000.00	285 कि०मी० नये पथों का निर्माण किया जायेगा।
6	37-4515001030119	राज्य स्कीम	ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना	0.00	1,03,563.51	1,03,563.51	ग्रामीण टोलों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु 1294 कि०मी० पथों का निर्माण किया जाना है।
7	37-4515001030216	राज्य स्कीम	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	4,08,566.00	0.00	4,08,566.00	पी०एम०जी०एस०वाई० के योजनान्तर्गत 5800 कि०मी० सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा।
	37-4515001030316	राज्य स्कीम	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	0.00	1,20,000.00	1,20,000.00	
8	37-4515001030518	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (विव बैंक सम्पोषित)	0.00	50,000.00	50,000.00	मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत 714 कि०मी० नये पथों का निर्माण किया जायेगा।
9	37-4515001030519	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (एनडीबी) (ब्रिक्स बैंक सम्पोषित)	0.00	10,100.00	10,100.00	मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 144 कि०मी० नये पथों का निर्माण किया जायेगा।
10	37-4515007890104	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना	0.00	1,51,935.52	1,51,935.52	इस राशि से 2150 कि०मी० पथों का निर्माण किया जायेगा, जिससे अनुसूचित जाति के टोलों/बसावटों को सम्पर्कता प्रदान हो सके।

परिणाम बजट
2018-2019

ग्रामीण कार्य विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	37-4515007960109	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना	0.00	9,495.97	9,495.97	इस राशि से 135 कि०मी० नये पथों का निर्माण किया जायेगा। जिससे अनुसूचित जनजाति के टोलों/बसवटों को सम्पर्कता प्रदान हो सके।
योग				4,08,566.00	5,41,031.00	9,49,597.00	

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	38-2039000010109	राज्य स्कीम	समेकित उत्पाद प्रबंधन प्रणाली	0.00	100.00	100.00	समेकित उत्पाद प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत विभाग द्वारा यह राशि बिहार स्टेट बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि०, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना को उपलब्ध कराया जाना है ।
योग				0.00	100.00	100.00	

परिणाम बजट
2018-2019

आपदा प्रबंधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	39-2235012000003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	शीत लहर से बचाव हेतु उपाय	0.00	50.00	50.00	शीतलहर से बचाव हेतु अलाव जलाने के निमित्त जिलों को राशि दी जानी है।
2	39-2235012000004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कटाव से विस्थापितों को हुई भूमि की क्षति के लिए	0.00	1,000.00	1,000.00	कटाव से विस्थापितों को पुनर्वासित करने हेतु जिलों को राशि आवंटित की जानी है।
3	39-2235602000008	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घा	0.00	600.00	600.00	राज्य में घटित गैर प्राकृतिक आपदा की घटनाओं हेतु जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में अनुग्रह अनुदान की राशि दी जानी है।

परिणाम बजट
2018-2019

आपदा प्रबंधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	39-2245011010001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	निःसहायो एवं विकलांगों को नगद अनुदान	0.00	500.00	500.00	राज्य आपदा स्प्रिंस कोष की कर्णांकित राशि से प्राकृतिक आपदा आने पर जिलों /विभागों द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में राशि उपलब्ध करायी जानी है।
	39-2245011010002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	खाद्यान्न की आपूर्ति	0.00	500.00	500.00	
	39-2245011010003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	0.00	8.00	8.00	
	39-2245011010004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	0.00	1.00	1.00	
	39-2245011010005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	अन्य कार्य	0.00	50.00	50.00	
	39-2245011020001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल	0.00	50.00	50.00	
	39-2245011040001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	चारे की पूर्ति	0.00	50.00	50.00	
	39-2245011050001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पशुओं के लिए दवा	0.00	10.00	10.00	
	39-2245012820002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मत	0.00	50.00	50.00	
	39-2245021010001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	निःसहायो एवं विकलांगों को नगद अनुदान	0.00	13,153.00	13,153.00	
	39-2245021010002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	खाद्यान्न की आपूर्ति	0.00	14,153.00	14,153.00	
	39-2245021010003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	0.00	2,000.00	2,000.00	
	39-2245021010004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	0.00	100.00	100.00	
	39-2245021010005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान	0.00	1,000.00	1,000.00	
	39-2245021010006	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	0.00	1,000.00	1,000.00	

परिणाम बजट
2018-2019

आपदा प्रबंधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
	39-2245021010007	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्र आदि के लिए अनुदान	0.00	1,000.00	1,000.00	राज्य आपदा स्प्रिंस कोष की कर्णांकित राशि से प्राकृतिक आपदा आने पर जिलों /विभागों द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में राशि उपलब्ध करायी जानी है।
	39-2245021010012	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	विभिन्न पंचायतों में भूखमरी से	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021010014	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	शीत लहर एवं पाला से बचाव हेतु नगद दान	0.00	10.00	10.00	
	39-2245021010016	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान	0.00	5,430.00	5,430.00	
	39-2245021020001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पेयजल की आपूर्ति	0.00	100.00	100.00	
	39-2245021040001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	चारे की पूर्ति	0.00	250.00	250.00	
	39-2245021050001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पशुओं के लिए दवा	0.00	50.00	50.00	
	39-2245021060001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	क्षतिग्रस्त सड़को-पुलों की मरम्मत तथा प्रत्यास्थापन	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021090001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, नालों एवं मल प्रवाह प्रणाली	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021120002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	जनसंख्या का निष्क्रमण	0.00	5,500.00	5,500.00	
	39-2245021120003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	आपदा प्रभावितों की खोज एवं बचाव कार्य हेतु बचाव	0.00	500.00	500.00	
	39-2245021120004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	संचार उपकरणों का क्रय	0.00	500.00	500.00	
	39-2245021130001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापन	0.00	400.00	400.00	
	39-2245021130003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/	0.00	100.00	100.00	
	39-2245021140001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए)	0.00	4,081.00	4,081.00	

परिणाम बजट
2018-2019

आपदा प्रबंधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
	39-2245021140002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वार्षिक फसलों के लिए सहायता	0.00	1.00	1.00	राज्य आपदा स्प्रिंस कोष की कर्णांकित राशि से प्राकृतिक आपदा आने पर जिलों /विभागों द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में राशि उपलब्ध करायी जानी है।
	39-2245021140003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कृषि फसलों के लिए सहायता	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021140004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बागवानी की फसलों के लिए सहायता	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021140005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पेरिनियल (शाश्वत) फसलों के लिए सहायता	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021150001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	भूमि से रेत /गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021150002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	मत्स्य प्रक्षेत्र से गाद बालू	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021160001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	खराब ट्यूबवेलों /पम्पसेटों आदि की मरम्मत के लिए	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021170001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बाढ़/सुखाड़ ग्रस्त पशुओं का बदलाव	0.00	100.00	100.00	
	39-2245021170002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	दुधारू पशुओं का बदलाव	0.00	20.00	20.00	
	39-2245021170003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	जीवनोंपयोगी पशुओं का बदलाव	0.00	125.00	125.00	
	39-2245021180001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मती/नये नावों का निर्माण	0.00	500.00	500.00	
	39-2245021190001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पारम्परिक हस्तशिल्प बुनकरों को करधा उपकरणों की	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021190002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	सूत एवं अन्य सामग्रियों के क्रय हेतु सहायता	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021190003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	हस्तकरधा बुनकरों को सहायता अनुदान	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021960001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	0.00	1.00	1.00	

परिणाम बजट
2018-2019

आपदा प्रबंधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
	39-2245028000007	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त साहाय्य सामग्री के परिवहन तथा हथालन पर होने वाले व्यय	0.00	38.87	38.87	राज्य आपदा स्प्रिंस कोष की कर्णांकित राशि से प्राकृतिक आपदा आने पर जिलों /विभागों द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में राशि उपलब्ध करायी जानी है।
	39-2245028000008	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली हेतु	0.00	200.00	200.00	
	39-2245061010001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह अनुदान	0.00	20.00	20.00	
	39-2245061010002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान	0.00	5.00	5.00	
	39-2245061010003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	खाद्यान्न की आपूर्ति	0.00	5.00	5.00	
	39-2245061010004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	0.00	5.00	5.00	
	39-2245061130001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	भूकम्प से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत-पुनर्स्थापन	0.00	5.00	5.00	
5	39-2245021010010	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान	0.00	300.00	300.00	राज्य में घटित वज्रपात की घटनाओं हेतु जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में अनुग्रह अनुदान की राशि दी जानी है।
6	39-2245021010015	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य के बाहर की घटनाओं में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों परिवारों को अनुग्रह अनुदान	0.00	10.00	10.00	राज्य के बाहर में घटित घटनाओं में मृत वैसे व्यक्तियों, जो राज्य के निवासी हैं को अनुग्रह अनुदान की राशि जिलों को दी जानी है।
7	39-2245801020005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	0.00	2,715.00	2,715.00	आपदा प्रबंधन से संबंधित जागरूकता एवं क्षमता निर्माण हेतु राशि दी जानी है।
8	39-2245801020006	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्राकृतिक आपदा राहत वितरण कार्यक्रमों का प्रबंधन	0.00	5.00	5.00	प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत वितरण कार्यक्रम के प्रबंधन हेतु राशि दी जानी है।
9	39-2245808000003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बिहार कृषि संकटग्रस्त किसान सहायता योजना	0.00	15.00	15.00	संकटग्रस्त किसानों की मृत्यु होने पर जिलों को उनके अधियाचना के आधार पर राशि दी जाती है।

परिणाम बजट
2018-2019

आपदा प्रबंधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	39-2245020010101	राज्य स्कीम	बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था	0.00	230.00	230.00	बाढ़ प्रवण 28 जिलों के लिए 9 नोडल जिलों द्वारा 500-500 व्यक्तियों के आवासन हेतु अतिरिक्त टेंट क्रय किया जाना है। लाईफ जैकेट, राहत शिविरों में उपयोग हेतु बत्तनों एवं महाजाल का क्रय किया जाना है तथा उन्हें सुरक्षित रखने हेतु आवश्यकतानुसार बक्सा आदि का क्रय किया जाना है।
11	39-2245021120104	राज्य स्कीम	संचार उपकरणों का क्रय	0.00	759.00	759.00	एस०डी०आर०एफ० एवं जिलों हेतु 40 एफ०आर०पी० एवं 305 इम्प्लेटेबल मोटरबोट क्रय किया गया है आवश्यकतानुसार एस०डी०आर०एफ० हेतु अतिरिक्त मोटरबोटों का क्रय किया जाना है एवं उनके रख-रखाव में राशि का व्यय किया जाना है। सभी जिला पदाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों /प्रमंडलों हेतु कुल 85 अदद सेटलाईट फोन का क्रय बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जा रहा है। उनके रख-रखाव में राशि का व्यय किया जाना है।
12	39-2245800010204	राज्य स्कीम	राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढ़ीकरण	131.90	0.00	131.90	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं अति बाढ़ प्रवण 15 जिलों के जिला आपदा प्रबंधनों प्राधिकरणों के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि का व्यय किया जाना है। एवं समुदाय से आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया जाना है।
13	39-2245801020104	राज्य स्कीम	राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स	0.00	3,000.00	3,000.00	गठित राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स के संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों एवं बी०एम०पी० से प्रतिनियुक्त कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान, उनके मूवमेंट तथा बचाव एवं राहत कार्य हेतु आवश्यक सामग्रियों आदि का क्रय किया जाना है।
14	39-2245801020105	राज्य स्कीम	जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	0.00	300.00	300.00	जागरूकता एवं क्षमता निर्माण के अंतर्गत 36 जिलों में आपातकालीन संचालन केन्द्र का निर्माण पूर्ण कुछ जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना है, तथा उन्हें आवश्यक उपस्कर/संसाधनों की व्यवस्था कर चालू किया जाना है तथा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना पर व्यय किया जाना है।
15	39-2245801020211	राज्य स्कीम	सतत आपदा जोखिम न्यूनीकरण	59.45	0.00	59.45	दो जिला में सतत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये राशि का व्यय किया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

आपदा प्रबंधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	39-2245808000102	राज्य स्कीम	जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	0.00	550.00	550.00	जागरूकता एवं क्षमता निर्माण अंतर्गत गोताखोर, समुदाय, अनुसूचित जाति, मोटरवोट चालक का प्रशिक्षण एवं दियारा पंचायत के युवकों को प्रशिक्षण दिया जाना है, कार्यशाला एवं विज्ञापन प्रकाशन पर व्यय किया जाना है। तथा विभाग द्वारा तैयार किए गये बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप के क्रियान्वयन पर व्यय किया जाना है।
17	39-4250000510104	राज्य स्कीम	वेयर हाउस	0.00	200.00	200.00	28 बाढ़ प्रवण जिलों में वेयर हाउस निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा रहा है। गैर बाढ़ प्रवण 10 जिलों में भी वेयर हाउस का निर्माण कराया जाना है।
योग				191.35	61,317.87	61,509.22	

परिणाम बजट
2018-2019

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	40-2029000010102	राज्य स्कीम	जोतों की चकबंदी	0.00	1,208.24	1,208.24	150 ग्रामों में धारा-26 (क) के तहत अनाधिसूचित करने का लक्ष्य रखा गया है।
2	40-2029000030101	राज्य स्कीम	क्षमता बर्द्धन	0.00	40.00	40.00	राज्य के चौमुखी विकास हेतु राजस्व प्रशासन के विभागीय/ क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों के कौशल वृद्धि का कार्य किया जाना है।
3	40-2029001020101	राज्य स्कीम	सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण	0.00	2,062.00	2,062.00	सर्वे और बंदोबस्त कार्य में नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जाना है।
4	40-2029001030206	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)	9,659.58	0.00	9,659.58	कुल 12 घटकों में विभाजित एनएलआरएमपी के अंतर्गत चल रहे कार्य को पूर्ण किया जाना है।
5	40-4047000500104	राज्य स्कीम	सड़क निर्माण हेतु भूमि क	0.00	30.00	30.00	सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत सम्पर्क विहिन ग्राम/टोलों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाना है।
6	40-4047000500106	राज्य स्कीम	भूमि बैंक योजना	0.00	1.00	1.00	जिला मुख्यालय एवं अनुमण्डल मुख्यालय में भूमि बैंक की स्थापना की जानी है।
7	40-4047000500107	राज्य स्कीम	पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्रय	0.00	15.00	15.00	सुयोग्य श्रेणी के परिवारों यथा पिछड़ा वर्ग-1 एवं पिछड़ा वर्ग-2 के वास रहित परिवारों के एमवीआर पर रैयती भूमि क्रय करके 5 डिसमिल प्रति परिवार वास भूमि उपलब्ध कराया जाना है।
8	40-4047000510104	राज्य स्कीम	भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के	0.00	1.00	1.00	इस योजनान्तर्गत राज्य के अनुमंडलों में भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के लिए न्यायालय/कार्यालय कक्ष का निर्माण किया जाना है।
9	40-4047007890106	राज्य स्कीम	गृह विहिन परिवारों के लिए रैयती भूमि का क्रय	0.00	2,586.57	2,586.57	अनुसूचित जातियों के गृहविहीन परिवारों के लिए वास भूमि हेतु एमवीआर पर रैयती भूमि का क्रय कर 5 डिसमिल प्रति परिवार वास भूमि उपलब्ध कराया जाना है।
10	40-4047007960101	राज्य स्कीम	गृह विहिनों के लिए वास भूमि	0.00	161.66	161.66	टीएसपीओ योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के वास रहित परिवारों को वास भूमि एमवीआर पर क्रय करके 5 डिसमिल प्रति परिवार वास भूमि उपलब्ध कराया जाना है।

**परिणाम बजट
2018-2019**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	40-3454010010402	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	कृषि गणना	432.04	0.00	432.04	कृषि गणना केन्द्रीय प्रक्षेत्र की स्कीम है जिसके अंतर्गत ऑपरेशनल होल्डिंग को गणना की इकाई मानकर राज्य के सभी ऑपरेशनल होल्डिंगों के लिए ऑकडे एकत्रित किये जाते है। इस योजना का शत-प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तृतीय चरण के अन्तर्गत आदान सर्वेक्षण 2016-17 का क्षेत्रीय एवं अन्य कार्यों का सम्पादन किया जाना है।
योग				10,091.62	6,105.47	16,197.09	

परिणाम बजट
2018-2019

पथ निर्माण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	41-3054031030002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	अन्य अनुरक्षण व्यय	0.00	57,500.00	57,500.00	कुल 8083 कि०मी० वृहद् जिला पथों एवं राज्य उच्च पथों का संधारण कार्य किया जाना है।
2	41-3054800030101	राज्य स्कीम	प्रशिक्षण एवं शोध	0.00	50.00	50.00	पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है।
3	41-5054030520101	राज्य स्कीम	मशीनें एवं उपस्कर	0.00	20.00	20.00	हॉट मिक्स प्लान्ट से संबंधित इकाईयों की स्थापना, अन्य मशीन एवं उपस्कर का क्रय किया जाना है।
4	41-5054031010101	राज्य स्कीम	पुल	0.00	37,507.02	37,507.02	7 अर्द्ध वृहद् पुलों के साथ-साथ 40 विभिन्न पुल-पुलियों का निर्माण कार्य किया जाना है।
5	41-5054031010103	राज्य स्कीम	पुल (नाबार्ड)	0.00	1,13,671.00	1,13,671.00	2 अर्द्ध मेगा पुलों के निर्माण के साथ-साथ 282 कि०मी० पथांश का निर्माण कार्य किया जाना है।
6	41-5054031010104	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	0.00	150.00	150.00	ग्रामीण सम्पर्कता पहुँच पथ एवं पुलियों के अवशेष कार्य को पूर्ण किया जाना है।
7	41-5054033370102	राज्य स्कीम	वृहद्-सड़के	0.00	1,00,000.00	1,00,000.00	1105 कि०मी० पथांश का निर्माण एवं भू-अर्जन कार्य तथा 3 अर्द्ध मेगा परियोजनाओं (पुल/पहुँच पथ) का कार्यान्वयन किया जाना है।
	41-5054037890101	राज्य स्कीम	वृहद् सड़के	0.00	94,472.96	94,472.96	
8	41-5054033370508	राज्य स्कीम	सड़क (एशियन विकास बैंक सम्पोजित)	0.00	1,50,000.00	1,50,000.00	201 कि०मी० पथांश का निर्माण कार्य एवं कच्ची दरगाह- विदुपुर के बीच पुल निर्माण का 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाना है।
9	41-5054043370201	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क परियोजना-वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क सम्पर्क परियोजना	41,500.00	0.00	41,500.00	605 कि०मी० पथांश का निर्माण कार्य किया जाना है।
	41-5054043370301	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क परियोजना-वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क सम्पर्क परियोजना	0.00	10,000.00	10,000.00	
योग				41,500.00	5,63,370.98	6,04,870.98	

परिणाम बजट
2018-2019

ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	42-2203001120106	राज्य स्कीम	डेवलपमेंट मैनेजमेंट इन्स्टीच्यूट	0.00	22,823.00	22,823.00	आईओआरओएमओ के तर्ज पर राज्य में विकास प्रबंधन संस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट इन डेवलपमेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई, इस संस्थान में विकास कार्यक्रमों में लगे अधिकारियों एवं पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था पर व्यय किया जाना है।
2	42-2215021050103	राज्य स्कीम	लोहिया स्वच्छता योजना	0.00	25,000.00	25,000.00	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत सभी बी.पी.एल. परिवारों एवं चिन्हित श्रेणी के ए.पी.एल. परिवारों यथा- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वासभूमि के साथ भूमिहीन मजदूर, लघु एवं सीमान्त किसान, महिला प्रधान परिवार एवं शारीरिक रूप से विकलांग को घरेलू शौचालय के उपयोग एवं हाथ धोने हेतु जल संधारण की व्यवस्था के साथ घरेलू शौचालय का निर्माण किया जाना है। चिन्हित श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के ए.पी.एल. परिवार जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाता है, को राज्य सरकार द्वारा लोहिया स्वच्छता योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन दिया जाना है।
	42-2215021050202	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	1,44,982.00	0.00	1,44,982.00	
	42-2215021050302	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	0.00	24,164.33	24,164.33	
	42-2215027890204	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	1,99,351.00	0.00	1,99,351.00	
	42-2215027890304	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	0.00	33,225.00	33,225.00	
	42-2215027960206	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	18,123.00	0.00	18,123.00	
	42-2215027960306	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	0.00	3,020.00	3,020.00	
3	42-2216031050104	राज्य स्कीम	इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग	0.00	13,494.02	13,494.02	आवास योजना के अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग पर व्यय किया जाना है।
4	42-2216031050106	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	0.00	25.00	25.00	1250 महादलित इंदिरा आवास के लाभुको को दो माह के अंदर आवास के निर्माण कराने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप रु० 2000/-प्रति लाभुक की दर से अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराने पर व्यय किया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	42-2216031050202	राज्य स्कीम	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	4,46,337.24	0.00	4,46,337.24	भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित लक्ष्य परिवारों को आवास निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराया जाना है।
	42-2216031050302	राज्य स्कीम	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	0.00	1,24,266.26	1,24,266.26	
	42-2216037890202	राज्य स्कीम	इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	50,150.00	0.00	50,150.00	
	42-2216037890302	राज्य स्कीम	इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	0.00	13,963.00	13,963.00	
	42-2216037960202	राज्य स्कीम	इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	5,015.00	0.00	5,015.00	
	42-2216037960302	राज्य स्कीम	इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	0.00	1,396.00	1,396.00	
6	42-2216037890103	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	0.00	50.00	50.00	166 अनु०जाति/जनजाति के इंदिरा आवास लाभुकों को रु० 30000/-प्रति लाभुक की दर से मरम्मत हेतु राशि उपलब्ध कराया जाना है।
7	42-2501010010104	राज्य स्कीम	बिजनेस प्रोसेस रिइंजिनियरिंग	0.00	200.00	200.00	विभागीय योजनाओं की नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु बिजनेस प्रोसेस रिइंजिनियरिंग के माध्यम से योजनाओं से जुड़े राज्य कार्यालयों के आधुनिकीकरण पर व्यय किया जाना है।
8	42-2501060010101	राज्य स्कीम	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-मुख्यालय स्थापना	0.00	300.00	300.00	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जाना है।

**परिणाम बजट
2018-2019**

ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	42-2501061010202	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	45,490.00	0.00	45,490.00	इस योजना अन्तर्गत सशक्तीकरण हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराने का प्रावधान है, साथ ही राज्य के युवाओं के कौशल विकास एवं नियोजन के दिशा में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस योजना के तहत क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रम पर केन्द्रांश के रूप में सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे विषय शीर्ष में बजट प्रावधानित राशि का समान्य मद, अनुसूचित जाति मद एवं अनुसूचित जनजाति मद में क्रमशः 50, 29 एवं 21 प्रतिशत व्यय किया जाता है। साथ ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जाना है।
	42-2501061010302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	0.00	7,482.33	7,482.33	
	42-2501067890202	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	24,296.00	0.00	24,296.00	
	42-2501067890302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	0.00	2,947.00	2,947.00	
	42-2501067960202	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	17,594.00	0.00	17,594.00	
	42-2501067960302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	0.00	2,134.00	2,134.00	
10	42-2505017010102	राज्य स्कीम	मुख्यालय स्थापना ।	0.00	600.00	600.00	राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जाना है।
11	42-2505021010201	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	1,76,398.00	0.00	1,76,398.00	1700.00 लाख श्रम दिवस की उपलब्धि प्राप्त किया जाना है।
	42-2505021010301	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	0.00	41,746.75	41,746.75	
	42-2505027890201	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	1.00	0.00	1.00	
	42-2505027890301	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	0.00	1.00	1.00	
	42-2505027960201	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	1.00	0.00	1.00	
	42-2505027960301	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	0.00	1.00	1.00	
12	42-2515000030101	राज्य स्कीम	बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	0.00	437.14	437.14	ग्रामीण विकास कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों/पदाधिकारियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण आदि पर व्यय किया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	42-2515001020218	राज्य स्कीम	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	3,920.00	0.00	3,920.00	चयनित कलस्टरों के विकास पर राशि व्यय की जानी है !
	42-2515001020318	राज्य स्कीम	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	0.00	653.33	653.33	
14	42-2515001020516	राज्य स्कीम	बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना (बाह्य सम्पोजित परियोजना)	0.00	1,999.00	1,999.00	सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों एवं सेवाओं के संवितरण के सुदृढीकरण हेतु विभागीय क्षमतावर्द्धन एवं निःशक्त वृद्ध एवं विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल संबंधित सेवाओं की स्थापना एवं विस्तारीकरण हेतु बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना (बाह्य सम्पोजित) के अन्तर्गत व्यय किया जाना है।
	42-4515001020502	राज्य स्कीम	बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना (बाह्य सम्पोजित परियोजना)	0.00	1.00	1.00	
15	42-2515001020517	राज्य स्कीम	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-विश्व बैंक सम्पोजित-ग्रामीण विकास विभाग हेतु	0.00	30,100.00	30,100.00	विश्व बैंक सम्पोजित बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के क्रियान्वयन पर एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मद में लिए गए योजनाओं पर सहायक अनुदान मदों में व्यय किया जाना है।
	42-2515007890510	राज्य स्कीम	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-विश्व बैंक सम्पोजित-ग्रामीण विकास विभाग हेतु	0.00	12,470.00	12,470.00	
	42-2515007960517	राज्य स्कीम	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-विश्व बैंक सम्पोजित-ग्रामीण विकास विभाग हेतु	0.00	430.00	430.00	
16	42-3454022060102	राज्य स्कीम	विशिष्ट पहचान योजना (यू०आई०डी०)	0.00	2,020.00	2,020.00	राज्य के शेष बचे लोगों का शत प्रतिशत आधार पंजीकरण पूर्ण करने हेतु संबंधित एजेंसी के मानदेय पर व्यय किया जाना है ।
17	42-4515001030102	राज्य स्कीम	प्रखंड लघु निर्माण कार्य	0.00	15,100.00	15,100.00	राज्य के भूमिहीन प्रखण्डों के नये प्रखण्ड भवन निर्माण हेतु भूअर्जन पर व्यय किया जाना है।
योग				11,31,658.24	3,80,049.16	15,11,707.40	

परिणाम बजट
2018-2019

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	43-2203000040101	राज्य स्कीम	बिहार काउन्सिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी,	0.00	2,200.00	2,200.00	बिहार काउंसिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (बी०सी०एस०टी०) इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर-प्लेनेटेरियम, पटना के संचालन, बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, पटना के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा साइंस सिटी के परामर्शी को भुगतान किया जाना है।
2	43-2203001050106	राज्य स्कीम	प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	0.00	200.00	200.00	नवस्थापित एवं पूर्व स्थापित पोलिटेकनिक संस्थानों में पुस्तक एवं जर्नल्स का क्रय तथा इंटरनेट की व्यवस्था की जानी है।
3	43-2203001120101	राज्य स्कीम	स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	0.00	250.00	250.00	नवस्थापित एवं पूर्व स्थापित अभियंत्रण महाविद्यालयों में पुस्तक एवं जर्नल्स का क्रय तथा इंटरनेट की व्यवस्था की जानी है।
4	43-2203001120105	राज्य स्कीम	कौशल विकास मिशन	0.00	1,500.00	1,500.00	बिहार कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत विभाग के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु युवाओं को विभिन्न इम्प्लेएबल स्किल में प्रशिक्षण दिया जाना है।
5	43-4202021040102	राज्य स्कीम	पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनी की महाविद्यालय	0.00	605.00	605.00	राज्य में पूर्व स्थापित तथा नवस्थापित अभियंत्रण महाविद्यालयों के कर्मशाला/प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण/ सुदृढ़ीकरण तथा चण्डी (नालन्दा) में स्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालय के द्वितीय चरण के भवनों के निर्माण कार्य किया जाना है।
	43-4202021050102	राज्य स्कीम	पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनी की महाविद्यालय	0.00	1,295.00	1,295.00	
6	43-4202021040109	राज्य स्कीम	पोलिटेक्नीक (निश्चय)	0.00	4,000.00	4,000.00	सात निश्चय के तहत स्थापित नये पोलिटेकनिकों के प्रयोगशाला/कर्मशाला के लिए मशीनें/उपकरण/ उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन किया जाना है।
7	43-4202021050106	राज्य स्कीम	अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)	0.00	3,500.00	3,500.00	सात निश्चय के तहत स्थापित नये अभियंत्रण महाविद्यालयों के प्रयोगशाला/कर्मशाला के लिए मशीनें/ उपकरण/ उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन किया जाना है।
योग				0.00	13,550.00	13,550.00	

परिणाम बजट
2018-2019

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	44-2225010010004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वैधिक सहायता	0.00	1.00	1.00	अनु० जाति के व्यक्तियों को मुकदमा लड़ने हेतु सहायता दी जानी है।
2	44-2225011970001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.00	15.00	15.00	32 हजार अनु० जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है।
	44-2225011970002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	छात्रवृत्ति/वाजीफा	0.00	15.00	15.00	
	44-2225011980001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.00	50.00	50.00	
	44-2225012770007	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.00	200.00	200.00	
3	44-2225012770002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	छात्रावासों का संधारण	0.00	998.78	998.78	6000 अनु० जाति छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जाना है।
	44-2225022770003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास	0.00	171.74	171.74	
4	44-2225012770003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	आवासीय विद्यालय	0.00	12,464.63	12,464.63	लगभग 30 हजार अनु० जाति छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जाना है।
	44-2225022770004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	आवासीय विद्यालय	0.00	2,072.52	2,072.52	
5	44-2225012770008	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पुस्तक अधिकोष की स्थापना	0.00	16.00	16.00	मेडिकल/अभियंत्रण/कृषि महाविद्यालयों में पुस्तक अधिकोष की स्थापना पर व्यय की जानी है।
6	44-2225012770011	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	छात्रवृत्तियां और वृत्तियां	0.00	1,080.00	1,080.00	लगभग 1 हजार अनु० जाति/जनजाति व्यक्तियों को लाभ दिया जाना है।
7	44-2225012770012	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र	0.00	274.61	274.61	संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण पर व्यय किया जाना है।
8	44-2225022770001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	छात्रवृत्तियां और वृत्तियां	0.00	14.00	14.00	मेडिकल/अभियंत्रण/कृषि महाविद्यालयों में पुस्तक अधिकोष की स्थापना, परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति एवं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति दिया जाना है।
9	44-2225022770013	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	खड़िया एवं अन्य आदिम जातियों के कल्याण के निमित्त विशेष योजनाएं	0.00	12.39	12.39	मुर्गेर, जमुई एवं लखीसराय में अनु० जनजाति यथा खड़िया की स्थापना पर व्यय किया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	44-2225022820001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केंद्रों का	0.00	165.03	165.03	आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों में अतःवासी रोगियों को चिकित्सा सहायता दिया जाना है।
11	44-2070000010106	राज्य स्कीम	अम्बेदकर फाउण्डेशन	0.00	50.00	50.00	अनु०जाति एवं अनु०जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक, समाजिक एवं शैक्षणिक विकास पर व्यय किया जाना है।
12	44-2225010010101	राज्य स्कीम	निर्देशन और प्रशासन	0.00	50.00	50.00	कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाना है।
13	44-2225011020101	राज्य स्कीम	परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अं	0.00	50.00	50.00	लगभग 1 लाख अनु०जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है।
	44-2225017930401	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	44-2225011020115	राज्य स्कीम	महादलित विकास हेतु	0.00	28,000.00	28,000.00	महादलित परिवारों के उत्थान पर व्यय किया जाना है एवं विकास मित्र को साईकिल/महादलित को प्रशिक्षण दिया जाना है।
15	44-2225011020316	राज्य स्कीम	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी०एम०ए०जी०वाई)	0.00	5.00	5.00	गया जिला में 50 प्रतिशत से उपर अनु० जाति जनसंख्या वाले 225 गाँव को आदर्श ग्राम बनाने के कार्यक्रम पर व्यय किया जाना है।
16	44-2225011970101	राज्य स्कीम	छात्रवृत्ति/वजीफा	0.00	7,710.73	7,710.73	35 लाख 20 हजार प्री-मैट्रिक एवं प्रवेशिकोत्तर स्तर के अनु० जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है।
	44-2225012770107	राज्य स्कीम	शिक्षा	0.00	20,059.55	20,059.55	
17	44-2225011980101	राज्य स्कीम	छात्रवृत्ति/वजीफा	0.00	14,391.00	14,391.00	लगभग 85 हजार अनु०जाति के छात्र/छात्राओं को बिहार विधालय समिति की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से पास होने पर 10000/- एवं 8000/- प्रोत्साहन अनुदान दिया जाना है।
	44-2225012770219	राज्य स्कीम	प्रोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	6,000.00	0.00	6,000.00	
	44-2225012770319	राज्य स्कीम	प्रोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	5,800.00	5,800.00	
18	44-2225012770101	राज्य स्कीम	शिक्षा	0.00	1,650.00	1,650.00	अनु०जाति कल्याण छात्रवासों में कोटस की व्यवस्था किया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	44-2225012770221	राज्य स्कीम	नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु०	1,220.00	0.00	1,220.00	लगभग 4 हजार अनु० जाति के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जानी है।
	44-2225012770321	राज्य स्कीम	नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु०	0.00	1,220.00	1,220.00	
20	44-2225012770222	राज्य स्कीम	अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	5,000.00	0.00	5,000.00	लगभग 16 हजार अनु० जाति के छात्राओं को बिहार विद्यालय समिति के 10+2 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से पास होने पर 15000/- एवं 10000/-का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाना है।
21	44-2225021020201	राज्य स्कीम	अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास-संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त	1,800.00	0.00	1,800.00	अनु० जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं आधार भूत संरचना विकास के लिए राशि उपलब्ध कराया जाना है ।
	44-2225021020202	राज्य स्कीम	अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	1,800.00	0.00	1,800.00	
	44-2225027960228	राज्य स्कीम	विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूहों के विकास	300.00	0.00	300.00	
22	44-2225021970101	राज्य स्कीम	छात्रवृत्ति/वजीफा	0.00	1,438.00	1,438.00	वर्ग 1 से 4 तक 50/-, वर्ग 5 से 6 तक 100/- एवं वर्ग 7 से 10 तक 150/प्रति माह की दर से 3 लाख 50 हजार प्री-मैट्रिक एवं प्रवेशिकोत्तर स्तर के अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है।
	44-2225021980101	राज्य स्कीम	छात्रवृत्ति/वजीफा	0.00	5,317.12	5,317.12	
23	44-2225022770101	राज्य स्कीम	शिक्षा	0.00	3,217.60	3,217.60	9वीं एवं 12वीं छात्र/छात्राओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था किया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	44-2225022770214	राज्य स्कीम	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला स्कीम	715.00	0.00	715.00	लगभग 3 हजार अनुसूचित जनजाति के छात्रों को बिहार विद्यालय समिति के 10+2 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से पास होने पर 15000/- तथा 10000/-का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाना है।
25	44-2225022770216	राज्य स्कीम	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	300.00	0.00	300.00	8 हजार अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय समिति की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से पास होने पर 10000/- एवं 8000/- प्रोत्साहन हेतु दिया जाना है।
26	44-2225027960125	राज्य स्कीम	थरूहट क्षेत्र विकास	0.00	2,761.00	2,761.00	थरूहट विकास के अन्तर्गत शिक्षा, सिंचाई, पेयजल, कला प्रक्षेत्र, युवा विकास एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि पर व्यय किया जाना है।
27	44-4425001080164	राज्य स्कीम	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम	0.00	400.00	400.00	अजाविनि को सहायता दी जानी है।
28	44-2225027960427	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	वनबन्धु कल्याण योजना	10.00	0.00	10.00	अनुसूचित जातियों एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के बहुमुखी विकास पर व्यय किया जाना है।
योग				22,145.00	1,09,670.70	1,31,815.70	

**परिणाम बजट
2018-2019**

गन्ना उद्योग विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	45-2401001080109	राज्य स्कीम	ईख विकास	0.00	4,717.95	4,717.95	मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रस्तावित राशि से त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम, गन्ना किसानों को चयनित प्रभेदों के गन्ना बीज का अनुदानित दर पर वितरण, आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन, समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम, कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार इत्यादि एवं विषय शीर्ष- 13 01 कार्यालय व्यय, 13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान, 26 01 विज्ञापन और प्रकाशन में प्रस्तावित 175.00 लाख रु० की राशि से ईख विकास योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं प्रचार-प्रसार हेतु राशि का व्यय किया जाना है।
	45-2401007890108	राज्य स्कीम	ईख विकास	0.00	909.48	909.48	
	45-2401007960129	राज्य स्कीम	ईख विकास	0.00	56.84	56.84	
2	45-2852082010103	राज्य स्कीम	आर्थिक सहायता	0.00	3,735.00	3,735.00	पैराई वर्ष 2014-15 के बकाये ईख मूल्य भुगतान हेतु मिलों द्वारा लिये गये 190.08 करोड़ रुपये ऋण पर सरकार के स्तर से वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए भुगतये सूद का भुगतान एवं राज्य में प्रोत्साहन पैकेज के रूप में चीनी मिलों के डिस्टीलरियों की स्थापना, क्षमता विस्तार, इथेनॉल उत्पादन, विद्युत इकाई की स्थापना एवं जी०पी०एस० के अनुदान हेतु राशि व्यय की जानी है।
	45-2852087890101	राज्य स्कीम	आर्थिक सहायता	0.00	720.00	720.00	
	45-2852087960102	राज्य स्कीम	आर्थिक सहायता (गन्ना उद्योग विभाग)	0.00	45.00	45.00	
योग				0.00	10,184.27	10,184.27	

**परिणाम बजट
2018-2019**

पर्यटन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	46-3452011900103	राज्य स्कीम	होटल प्रबंधन संस्थान, बोध गया	0.00	100.00	100.00	आई०एच०एम० बोधगया के संचालन हेतु पठन/पाठन सामग्रियों/उपकरणों का क्रय, गाईडों, पर्यटन कर्मियों एवं विभिन्न ट्रेवल-ट्रेड से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण तथा आई०एच०एम०, बोधगया से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों को वेतन भुगतान हेतु इस राशि का व्यय किया जाना है।
2	46-3452800030101	राज्य स्कीम	बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	1,000.00	1,000.00	बिहार मानव कौशल विकास मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यटन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2021 तक कुल दो लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस हेतु इस राशि का व्यय किया जाना है।
3	46-3452801040103	राज्य स्कीम	पर्यटकीय विकास	0.00	1,200.00	1,200.00	बिहार राज्य में अवस्थित विभिन्न पर्यटक स्थलों एवं विभिन्न महोत्सवों के व्यापक प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्र-पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुद्रित बोशर, सी०डी० आदि के माध्यम से करने हेतु इस राशि का व्यय किया जाना है। पर्यटन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को विभाग के चयनित वास्तुविद् द्वारा तैयार किया जाता है, तथा पर्यटन विभाग द्वारा पंचवर्षीय रोडमैप का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके एवज में कन्सलटेंट्स फी के भुगतान हेतु इस राशि को व्यय किया जाना है।
4	46-5452011010104	राज्य स्कीम	पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	0.00	10,801.21	10,801.21	इस मद के अन्तर्गत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक एवं विभिन्न परिपथों से जुड़े स्थलों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य किया जाना है। इसके तहत प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं में सिख रिसर्च सेन्टर, फेज - 2 पटना, भिजीटर सेंटर, धराउत, जहानाबाद, हांडी साहब गुरुद्वारा एवं नारियल घाट का विकास, पटना, राजगीर रोपवे, रोहतासगढ़ किला पर रोपवे, मुंडेश्वरी पर्वत पर रोपवे, डुंगेश्वरी, ब्रह्म्योणी एवं प्रेतशीला पर्वत पर रोपवे, वाणावर रोपवे, जहानाबाद, ककोलत जल प्रपात का विकास तथा हवेन सांग मेमोरियल हॉल के पास सांस्कृतिक ग्राम हेतु भू-अर्जन, आदि अनेकों परियोजनाओं के लिये इस राशि का व्यय किया जाना है।

परिणाम बजट
2018-2019

पर्यटन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग				0.00	13,101.21	13,101.21	

परिवहन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	47-5055000510101	राज्य स्कीम	जिला परिवहन कार्यालय का निर्माण	0.00	3,500.00	3,500.00	भागलपुर, पटना, सिवान, मधुबनी, किशनगंज, दरभंगा, शिवहर, भोजपुर, जमुई, नवादा, गया तथा जहानाबाद सहित कुल 12 जिला परिवहन कार्यालय के नये भवन का निर्माण तथा उनमें से कतिपय के लिए भूमि को लीज पर लिया जाना है।
2	47-5055000510102	राज्य स्कीम	ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट	0.00	200.00	200.00	निर्माण एजेंसी आई०डी०ए० को भुगतान किया जाना है।
3	47-5055000510103	राज्य स्कीम	वे ब्रीज का निर्माण (धर्मकांटा)	0.00	600.00	600.00	6 चेक पोस्ट पर धर्मकांटा का निर्माण किया जाना है जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल चार हजार वर्गमीटर होगा।
योग				0.00	4,300.00	4,300.00	

परिणाम बजट
2018-2019

नगर विकास एवं आवास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	48-2015001090001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर	0.00	500.00	500.00	राज्य के कार्यरत 140 नगर निकायों में आम चुनाव/उप चुनाव के लिए राशि व्यय की जायेगी।
2	48-2215011010007	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बिहार राज्य जल परिषद्	0.00	4,100.00	4,100.00	बिहार राज्य जल परिषद् के कर्मियों का वेतनादि एवं पम्पिंग प्लान्ट आदि का अनुरक्षण तथा विद्युत विपत्र का भुगतान किया जाना है।
3	48-2217010010002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार	0.00	134.70	134.70	नव गठित पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार की स्थापना तथा कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जायेगा।
4	48-2217010530001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क	0.00	500.00	500.00	बुद्ध स्मृति पार्क एवं पटना के अन्य पार्कों का विकास एवं रख-रखाव तथा विद्युत विपत्र के भुगतान किया जाना है।
5	48-2217031920013	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी	0.00	525.00	525.00	राज्य के 42 नगर परिषदों एवं 88 नगर पंचायतों में बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार नगरपालिका सेवा/अन्य विभागों के सेवा प्राप्त पदाधिकारियों के वेतनादि का भुगतान किया जाना है।
	48-2217031930012	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी	0.00	1,000.00	1,000.00	
6	48-2217800010005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	भू-संपदा विनियमन प्राधिकरण	0.00	72.00	72.00	मुख्यालय स्थित नगर निवेशन संगठन के स्थाई कर्मियों का वेतनादि भुगतान किया जायेगा।
7	48-2217801910010	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर	0.00	25,564.24	25,564.24	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के कार्यरत 140 नगर निकायों को बुनियादी कार्यों के निष्पादन हेतु सहायक अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जानी है।
	48-2217801920001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों	0.00	19,765.46	19,765.46	
	48-2217801930001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वित्त आयोग की अनुशंसा के	0.00	15,693.30	15,693.30	
8	48-2217801910013	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा	0.00	49,358.18	49,358.18	राज्य के कार्यरत 140 नगर निकायों को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतनादि/पेशन, मुख्यमंत्री निश्चय योजना यथा मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना मद में व्यय करने हेतु सहायक अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जानी है।
	48-2217801920005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के	0.00	33,318.43	33,318.43	
	48-2217801930005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर	0.00	21,522.39	21,522.39	

**परिणाम बजट
2018-2019**

नगर विकास एवं आवास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	48-2217801910015	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर प्रबंधकों हेतु	0.00	39.45	39.45	राज्य के विभिन्न नगर निकायों में पदस्थापित नगर प्रबंधकों को मानदेय का भुगतान किया जाना है।
	48-2217801920008	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर प्रबंधकों हेतु	0.00	118.34	118.34	
	48-2217801930007	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर प्रबंधकों हेतु	0.00	102.56	102.56	
10	48-2217801910016	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पेशाकर के आलोक में अनुदान	0.00	1,962.43	1,962.43	राज्य के कार्यरत 140 नगर निकायों को पेशाकर मद में वार्षिक्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि का वितरण जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा। जिससे नगर निकायों में विकास का कार्य किया जाना है।
	48-2217801920009	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पेशाकर के आलोक में अनुदान	0.00	1,439.68	1,439.68	
	48-2217801930008	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पेशाकर के आलोक में अनुदान	0.00	1,031.89	1,031.89	
11	48-2251000900005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर विकास एवं आवास विभाग	0.00	870.24	870.24	नगर विकास एवं आवास विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतनादि भुगतान किया जाना है।
12	48-2215011910101	राज्य स्कीम	पेय जलापूर्ति के लिए स्थान	0.00	3,000.00	3,000.00	इसके कार्यान्वयन के बाद राज्य के 12 नगर निगमों, 43 नगर परिषदों एवं 86 नगर पंचायतों के निवासियों को शुद्ध पेयजल की सुविधा प्रदान की जानी है।
	48-2215011920101	राज्य स्कीम	पेय जलापूर्ति के लिए नगर	0.00	1,500.00	1,500.00	
	48-2215011930101	राज्य स्कीम	पेय जलापूर्ति के लिए नगर प	0.00	500.00	500.00	
	48-2215017890101	राज्य स्कीम	पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों	0.00	2,400.00	2,400.00	
	48-2215017890102	राज्य स्कीम	पेयजलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	0.00	1,300.00	1,300.00	
	48-2215017890103	राज्य स्कीम	पेयजलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	0.00	500.00	500.00	
	48-2215017960102	राज्य स्कीम	पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों	0.00	600.00	600.00	
	48-2215017960103	राज्य स्कीम	पेयजलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	0.00	200.00	200.00	

परिणाम बजट
2018-2019

नगर विकास एवं आवास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	48-2215021910102	राज्य स्कीम	नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00	1,200.00	1,200.00	राज्य के 12 नगर निगमों, 43 नगर परिषदों एवं 86 नगर पंचायतों के निवासियों के लिए जल निकासी हेतु नाला निर्माण पर व्यय किया जाना है।
	48-2215021920102	राज्य स्कीम	नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00	1,800.00	1,800.00	
	48-2215021930102	राज्य स्कीम	नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00	1,200.00	1,200.00	
	48-2215027890101	राज्य स्कीम	नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय	0.00	800.00	800.00	
14	48-2215027890303	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एन०आर०सी०पी०)	0.00	1,000.00	1,000.00	पटना में 11 एवं बक्सर, बाढ़, मोकामा, सुलतानगंज, नवगछिया एवं भागलपुर में सिवरेज योजना निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पटना में गंगा नदी तट का विकास किया जाना है।
	48-2215027960305	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एन०आर०सी०पी०)	0.00	500.00	500.00	
15	48-2217011910106	राज्य स्कीम	नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	0.00	29.00	29.00	नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता का भुगतान किया जाना है।
	48-2217031910102	राज्य स्कीम	नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	0.00	167.00	167.00	
	48-2217031920102	राज्य स्कीम	नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	0.00	327.00	327.00	
	48-2217031930102	राज्य स्कीम	नगर पंचायतों के निर्वाचित	0.00	277.00	277.00	
16	48-2217011910109	राज्य स्कीम	नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान	0.00	1,400.00	1,400.00	इसके कार्यान्वयन से सभी संबंधित नगर निकायों में नागरिक सुविधाएं बहाल होगी। इसके तहत पार्क, घाट, जलाशय, पोखर, लाईट इत्यादि का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया जाना है, साथ ही मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान की राशि भी आवंटित की जानी है।
	48-2217011910116	राज्य स्कीम	नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें	0.00	3,200.00	3,200.00	
	48-2217031920105	राज्य स्कीम	नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान	0.00	4,000.00	4,000.00	
	48-2217031930104	राज्य स्कीम	नगर क्षेत्र में नागरिक	0.00	3,249.89	3,249.89	

परिणाम बजट
2018-2019

नगर विकास एवं आवास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	48-2217011910115	राज्य स्कीम	परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों	0.00	2,300.00	2,300.00	पटना नगर निगम क्षेत्र में पथों का निर्माण/जीर्णोद्धार किया जाना है।
	48-2217017890102	राज्य स्कीम	परिवहन के लिए शहरी स्थानीय	0.00	2,700.00	2,700.00	
18	48-2217017890205	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	3,600.00	0.00	3,600.00	राज्य के सभी शहरी क्षेत्र में आवासित आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाना है।
	48-2217017890305	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	3,640.00	3,640.00	
	48-2217017960201	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	150.00	0.00	150.00	
	48-2217017960301	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	75.00	75.00	
	48-2217030510203	राज्य स्कीम	सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	27,500.00	0.00	27,500.00	
	48-2217030510303	राज्य स्कीम	सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	2,570.00	2,570.00	
	48-2217037890205	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	3,600.00	0.00	3,600.00	
	48-2217037890305	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	3,640.00	3,640.00	
	48-2217037960203	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	150.00	0.00	150.00	
	48-2217037960303	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	75.00	75.00	
19	48-2217030510201	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत अभियान	15,000.00	0.00	15,000.00	राज्य के सभी शहरी निकायों में शौचालय विहीन प्रत्येक परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाना है तथा कचड़ा प्रबंधन हेतु योजना कार्यान्वित की जानी है।
	48-2217030510301	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत अभियान	0.00	14,000.00	14,000.00	

परिणाम बजट
2018-2019

नगर विकास एवं आवास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	48-2217030510202	राज्य स्कीम	शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरुत)	48,000.00	0.00	48,000.00	इसके तहत राज्य के एक लाख से अधिक आवादी वाले 27 नगर निकायों यथा- नगर निगम, पटना, बिहारशरीफ, आरा, बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया, भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, दरभंगा, नगर परिषद्- दानापुर, जहानाबाद, सासारम, हाजीपुर, बेतिया, बगहा, डेहरी डालमीया नगर, औरंगाबाद, मोतिहारी, सहरसा, किशनगंज, सिवान, छपरा, बक्सर एवं जमालपुर तथा नगर पंचायत- बोधगया में जलापूर्ति, हरित पार्क, सिवरेज इत्यादि का निर्माण कराया जाना है।
	48-2217030510302	राज्य स्कीम	शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरुत)	0.00	8,000.00	8,000.00	
21	48-2217030510204	राज्य स्कीम	स्मार्ट सिटी मिशन योजना	32,000.00	0.00	32,000.00	भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है।
	48-2217030510304	राज्य स्कीम	स्मार्ट सिटी मिशन योजना	0.00	21,000.00	21,000.00	
22	48-2217031910113	राज्य स्कीम	भू अर्जन	0.00	1,600.00	1,600.00	बिहार राज्य में अवस्थित विभिन्न पर्यटक स्थलों एवं विभिन्न महोत्सवों के व्यापक प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्र-पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुद्रित बोशर, सीडीआदि के माध्यम से करने हेतु इस राशि का व्यय किया जाना है। पर्यटन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को विभाग के चयनित वास्तुविद् द्वारा तैयार किया जाता है, तथा पर्यटन विभाग द्वारा पंचवर्षीय रोडमैप का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके एवज में कन्सलटेंसी फी के भुगतान हेतु इस राशि को व्यय किया जाना है।
23	48-2217031920101	राज्य स्कीम	नगर परिषदों को प्रशासनिक एवं तकनीकी	0.00	300.00	300.00	इसके कार्यान्वयन से राज्य के नवसृजित नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन का निर्माण कराया जाना है।
	48-2217031930101	राज्य स्कीम	नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी	0.00	450.00	450.00	
24	48-2217031930103	राज्य स्कीम	परिवहन के लिए शहरी स्थानीय	0.00	12,920.00	12,920.00	पटना नगर निगम को छोड़कर राज्य के 140 अन्य नगर निकायों में पथों का निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य किया जाना है।
	48-2217037890102	राज्य स्कीम	परिवहन के लिए शहरी स्थानीय	0.00	17,300.00	17,300.00	
	48-2217037960101	राज्य स्कीम	परिवहन के लिए शहरी स्थानीय	0.00	780.00	780.00	

परिणाम बजट
2018-2019

नगर विकास एवं आवास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	48-2217050010101	राज्य स्कीम	ई-गवर्नेंस/नगरीय सुधार कार्यक्रमों एवं इसके समतुल्य कार्यक्रमों हेतु	0.00	200.00	200.00	राज्य के नगर निकायों/मुख्यालय को कम्प्यूटरीकृत करने/जी०आई०एस० मैपिंग हेतु राशि का व्यय किया जाना है।
26	48-2217050010102	राज्य स्कीम	योजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं	0.00	100.00	100.00	संबंधित नगर निकायों का अनुश्रवण/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना किया जाना है।
27	48-2217050010104	राज्य स्कीम	निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों का आधुनिकीकरण हेतु	0.00	200.00	200.00	इसके अन्तर्गत निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों का आधुनिकरण कराया जाएगा।
28	48-2217050010105	राज्य स्कीम	अभियंत्रण कोषांग हेतु	0.00	800.00	800.00	अभियंत्रण कोषांग के अभियंताओं का वेतनादि का भुगतान किया जाना है।
29	48-2217050010107	राज्य स्कीम	शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्र	0.00	200.00	200.00	राज्य के प्रमुख शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जाना है।
30	48-2217800010501	राज्य स्कीम	बिहार नगरीय विकास परियोजना- बाह्य संपोषित	0.00	1,000.00	1,000.00	गया एवं भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों को शुद्ध एवं स्वच्छ जल उपलब्ध कराये जाने पर राशि व्यय की जानी है।
31	48-3475001080202	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	6,600.00	0.00	6,600.00	बिहार के सभी नगर निकायों में बी०पी०एल० परिवारों के युवक/युवतियों के कौशल प्रशिक्षण पर राशि व्यय की जानी है।
	48-3475001080302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	0.00	2,115.00	2,115.00	
	48-3475007890202	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	840.00	0.00	840.00	
	48-3475007890302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	0.00	840.00	840.00	
	48-3475007960202	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	60.00	0.00	60.00	
	48-3475007960302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	0.00	45.00	45.00	
योग				1,37,500.00	3,03,618.18	4,41,118.18	

परिणाम बजट
2018-2019

जल संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	49-2705000010204	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	331.30	0.00	331.30	कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 3300 हेक्टेयर क्षेत्र में फिल्टर चैनल का निर्माण एवं कृषक प्रशिक्षण, फसल प्रत्यक्षण आदि का कार्य कराया जाना है ।
	49-2705000010304	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	5,500.00	5,500.00	
2	49-4700800050101	राज्य स्कीम	सर्वेक्षण और खाज (स्थापना)	0.00	1,000.00	1,000.00	सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य किया जाना है । इन्द्रपुरी जलाशय का (डी०पी०आर०) विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करना । पटना में प्रस्तावित एस०टी०पी०एस० हेतु परामर्शी सेवा पर व्यय किया जाना है ।
3	49-4700800510102	राज्य स्कीम	नदी बेसीनों को जोड़ने की योजना	0.00	100.00	100.00	सिंचाई शोध संस्थान, खगौल, पटना के नए भवन के निर्माण एवं अन्य योजनाओं के विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०) पर खर्च किया जाना है ।
4	49-4700800510104	राज्य स्कीम	सिंचाई सृजन परियोजनायें (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	0.00	6,966.00	6,966.00	बलवा बराज से 6600 हेक्टेयर, मंडई वीयर से 3757 हेक्टेयर, निकुष पम्प नहर से 2786 हेक्टेयर एवं दनवार झील ड्रेनेज एवं सिंचाई परियोजना से 3800 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना है । चन्दन जलाशय के पुनर्स्थापन कार्य से कुल 16699 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास किया जाना है । निकुष पम्प नहर योजना, बडुआ जलाशय चौसा शाखा नहर एवं इसके पम्प हाउस के निर्माण पर राशि व्यय की जानी है । सोन नहर परियोजना के तहत आरा मुख्य नहर पर कार्य किया जाना है ।
5	49-4700800510105	राज्य स्कीम	सिंचाई सृजन परियोजनायें (कार्य)	0.00	45,312.34	45,312.34	पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली पूर्वी गंडक नहर प्रणाली (फेज-2), पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली, उतरी कोयल जलाशय, बटाने जलाशय, कुंदर बराज, बटेश्वर स्थान पम्प नहर प्रणाली, कुंडघाट जलाशय, ढाढर डायवर्सन परियोजना एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से कुल 126838 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना है ।
6	49-4700800510207	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	12,325.70	0.00	12,325.70	दुर्गावती जलाशय योजना से 15400 हेक्टेयर एवं पुनपुन बराज योजना से 4680 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित किया जाना है ।
	49-4700800510309	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	100.00	100.00	

परिणाम बजट
2018-2019

जल संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	49-4700807890102	राज्य स्कीम	सिंचाई सृजन परियोजनायें	0.00	29,423.68	29,423.68	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली, बथाने जलाशय, पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर, कुंदर बराज, दरियापुर वीयर सिंचाई योजना एवं कुछ अन्य योजनाओं के पुर्नस्थापित कार्य कार्यान्वित किया जाना है, जिससे 257558 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पुर्नस्थापित की जानी है।
8	49-4711010510110	राज्य स्कीम	बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य)	0.00	20,000.00	20,000.00	342 अद्द बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन कर प्रमुख नदियों यथा गंडक, कोशी, बूढ़ी गंडक, गंगा इत्यादि पर तटबंधों को सुरक्षित किया जाना है। इसके अलावे कई आक्रम्य स्थलों पर नदियों के किनारों का कटाव रोका जाना है। इसके द्वारा बड़े जगह एवं बड़ी आबादी के जान माल को सुरक्षित किया जाना है।
	49-4711017890104	राज्य स्कीम	बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य)	0.00	10,000.00	10,000.00	
	49-4711017960101	राज्य स्कीम	बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य)	0.00	2,463.98	2,463.98	
9	49-4711010510111	राज्य स्कीम	बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	0.00	5,300.00	5,300.00	नाबार्ड स्कीम के तहत 14 अद्द तटबंध सड़क योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा 82.29 कि०मी० तटबंध सड़क का निर्माण किया जाना है साथ ही 101.58 कि०मी० तटबंध उंचीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना है।
10	49-4711010510209	राज्य स्कीम	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	60,000.00	0.00	60,000.00	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफ०एम०पी० कार्यक्रम) के तहत 11 अद्द योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा कुल 25 कि०मी० नये तटबंधों का निर्माण किया जाना है। साथ ही वर्तमान तटबंधों का उंचीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किया जाना है।
	49-4711010510309	राज्य स्कीम	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	0.00	40,000.00	40,000.00	
11	49-4711010510212	राज्य स्कीम	सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य	12,500.00	0.00	12,500.00	प्रस्तावित 15 अद्द योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा संरचनाओं यथा स्पर, स्टडस, रिबेटमेंट इत्यादि का सुदृढ़ीकरण किया जाना है।
योग				85,157.00	1,66,166.00	2,51,323.00	

परिणाम बजट
2018-2019

लघु जल संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50-2702020050101	राज्य स्कीम	सर्वेक्षण और जांच	0.00	332.00	332.00	राज्य के हर जिले एवं प्रखंड में ऑटोमेटिक ग्राउण्ड वाटर लेवल टेलिमीट्री सिस्टम की स्थापना किया जाना है।
	50-2702027890102	राज्य स्कीम	सर्वेक्षण और जांच	0.00	64.00	64.00	
	50-2702027960102	राज्य स्कीम	सर्वेक्षण एवं जांच	0.00	4.00	4.00	
2	50-2702020160101	राज्य स्कीम	बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	0.00	8.30	8.30	12000 अदद् निजी नलकूपों की स्थापना कर 33600 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना है।
	50-2702027890101	राज्य स्कीम	बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	0.00	1.60	1.60	
3	50-2702031030104	राज्य स्कीम	निजी नलकूप	0.00	8,258.50	8,258.50	726 अदद् पुराने राजकीय नलकूपों का पुनर्स्थापन कर 31110 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापना की जानी है।
	50-2702037890101	राज्य स्कीम	निजी नलकूप	0.00	1,592.00	1,592.00	
4	50-2702037960101	राज्य स्कीम	निजी नलकूप	0.00	99.50	99.50	726 अदद् पुराने राजकीय नलकूपों का पुनर्स्थापन कर 31110 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापना की जानी है।
5	50-4702001010101	राज्य स्कीम	लघु सिंचाई	0.00	6,215.04	6,215.04	91 अदद् सतही सिंचाई योजनाओं को पूर्ण कर 22263 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना है।
	50-4702007890101	राज्य स्कीम	लघु सिंचाई योजना	0.00	1,198.08	1,198.08	
	50-4702007960103	राज्य स्कीम	लघु सिंचाई	0.00	74.88	74.88	
6	50-4702001020101	राज्य स्कीम	नलकूप योजनाओं के अधूरे	0.00	1,703.16	1,703.16	आर०आई०डी०एफ० के अन्तर्गत 92 अदद् राजकीय नलकूपों का जीर्णोद्धार कार्य कर 7675 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापना की जानी है।
	50-4702007890103	राज्य स्कीम	नलकूप योजनाओं के अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	0.00	328.32	328.32	
	50-4702007960104	राज्य स्कीम	नलकूप योजनाओं के अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	0.00	20.52	20.52	
7	50-4702001020102	राज्य स्कीम	नई/अधूरी मध्यम सिंचाई	0.00	4,980.00	4,980.00	104 अदद् पुरानी सतही एवं उद्वह सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार कर 26332 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापना की जानी है।
	50-4702007890104	राज्य स्कीम	नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	0.00	960.00	960.00	
	50-4702007960105	राज्य स्कीम	नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	0.00	60.00	60.00	
योग				0.00	25,899.90	25,899.90	

**परिणाम बजट
2018-2019**

समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51-2210061010113	राज्य स्कीम	बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना	0.00	1,000.00	1,000.00	एड्स पीड़ितों को सहायता दिया जाना है ।
2	51-2235021010106	राज्य स्कीम	निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण	0.00	200.00	200.00	राज्य के निराश्रित वृद्धों का पुनर्वास कराना।
3	51-2235021010111	राज्य स्कीम	विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों के	0.00	10.00	10.00	8 प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन पर व्यय किया जाना है ।
4	51-2235021010112	राज्य स्कीम	आयुक्त निःशक्तता के लिए	0.00	70.00	70.00	राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय का स्थापना।
5	51-2235021010119	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	0.00	200.00	200.00	विकलांगों के निमित्त सभी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान किया जाना है ।
	51-2235027890111	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	0.00	100.00	100.00	
6	51-2235021010121	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	0.00	50.00	50.00	50 निःशक्तजन को विवाह के प्रोत्साहन हेतु रु० 1,00,000/- का अनुदान दिया जाना है ।
7	51-2235021020105	राज्य स्कीम	समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत मैनेजमेंट इनफोर	0.00	1,150.00	1,150.00	आईसीडीएस० निदेशालय, 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय, 544 बाल विकास परियोजना कार्यालय में मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम लागू करने पर व्यय किया जाना है ।
8	51-2235021020116	राज्य स्कीम	परवरिश	0.00	1,500.00	1,500.00	13026 बालको को लाभान्वित किया जाना है ।
9	51-2235021020117	राज्य स्कीम	आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के	0.00	7,969.79	7,969.79	आंगनवाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने पर व्यय किया जाना है ।
	51-2235027890103	राज्य स्कीम	आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों	0.00	2,656.60	2,656.60	
10	51-2235021020222	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	63,407.41	0.00	63,407.41	38 जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं 544 बाल विकास परियोजना कार्यालय के स्थापना पर व्यय किया जाना है ।
	51-2235021020322	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	0.00	16,258.19	16,258.19	
11	51-2235021020223	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	5,500.00	0.00	5,500.00	राज्य बाल संरक्षण समिति की स्थापना, पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह, राज्य दत्तक ग्रहण संस्थान एवं खुला आश्रय की स्थापना पर व्यय किया जाना है ।

परिणाम बजट
2018-2019

समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	51-2235021020224	राज्य स्कीम	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला) (किशोरी बालिकाओं के लिए योजना) (एस०ए०ज	28,901.28	0.00	28,901.28	11-14 वर्ष की स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं के पोषाहार एवं प्रशिक्षण पर व्यय किया जाना है ।
	51-2235021020324	राज्य स्कीम	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला) (किशोरी बालिकाओं के लिए योजना) (एस०ए०ज	0.00	7,172.90	7,172.90	
	51-2235027890312	राज्य स्कीम	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला) (किशोरी बालिकाओं के लिए योजना) (एस०ए०ज	0.00	2,115.34	2,115.34	
13	51-2235021020225	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आइ०एस०एस०एन०आई०पी० सहित)	7,200.00	0.00	7,200.00	2-6 वर्ष के बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु एवं गर्भवती/धातृ महिलाओं पर व्यय किया जाना है ।
	51-2235021020325	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आइ०एस०एस०एन०आई०पी० सहित)	0.00	1,900.00	1,900.00	
14	51-2235021020226	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	60.00	0.00	60.00	राष्ट्रीय क्रेच मिशन अन्तर्गत क्रेचों का संचालन पर व्यय किया जाना है ।
	51-2235021020326	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	0.00	20.00	20.00	
15	51-2235021020323	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	0.00	1,833.33	1,833.33	राज्य बाल संरक्षण समिति की स्थापना, पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह, राज्य दत्तक ग्रहण संस्थान एवं खुला आश्रय की स्थापना पर व्यय किया जाना है ।
16	51-2235021020327	राज्य स्कीम	आंगनवाड़ी सेवाएँ (आईसीडीएस)	0.00	22,855.44	22,855.44	आई०सी०डी०एस निदेशालय, 37 जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं 544 बाल विकास परियोजना कार्यालय के स्थापना पर व्यय किया जाना है ।
17	51-2235021030105	राज्य स्कीम	महिला विकास निगम सहायक अनुदान	0.00	500.00	500.00	महिला विकास निगम (राज्य एवं जिला स्तरीय) के स्थापना पर व्यय किया जाना है ।
18	51-2235021030109	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	0.00	4,392.27	4,392.27	86966 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जाना है ।

परिणाम बजट
2018-2019

समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	51-2235021030110	राज्य स्कीम	नारी शक्ति योजना	0.00	5,000.00	5,000.00	38 जिलों में महिला हेल्प लाइन संचालन एवं 21 जिलों में अल्पावास गृह को संचालन किया जाना है तथा 17 अल्पावास गृह का निर्माण किया जाना है । जिससे 425 लाभान्वित होंगे एवं 5 कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण किया जाना है । जिससे 250 लाभान्वित होंगे ।
20	51-2235021030111	राज्य स्कीम	कन्या सुरक्षा योजना	0.00	3,500.00	3,500.00	245000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जाना है ।
21	51-2235021030219	राज्य स्कीम	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	210.00	0.00	210.00	महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन के कार्यान्वयन हेतु महिला विकास निगम को कोष उपलब्ध कराया जाना है ।
	51-2235021030319	राज्य स्कीम	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	0.00	78.75	78.75	
	51-2235027890313	राज्य स्कीम	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	0.00	26.25	26.25	
22	51-2235021030225	राज्य स्कीम	मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना)	4,291.44	0.00	4,291.44	राज्य के सभी जिलों में मातृत्व लाभ कार्यक्रम के कोष पर व्यय किया जाना है ।
	51-2235021030325	राज्य स्कीम	मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना)	0.00	1,430.00	1,430.00	
23	51-2235021040106	राज्य स्कीम	बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	0.00	1,700.00	1,700.00	9179 कुष्ठ रोगी को उनके भरण पोषण हेतु 1500/- रु० प्रतिमाह अनुदान दिया जाना है ।
24	51-2235021040107	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	0.00	1,020.00	1,020.00	राज्य को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराना तथा निराश्रित वृद्धों का पुनर्वास कराया जाना है ।
25	51-2235021040504	राज्य स्कीम	बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना (विश्व बैंक सम्पोजित)	0.00	6,800.00	6,800.00	सभी 101 अनुमण्डल कार्यालयों में बुनियाद केन्द्र की स्थापना एवं संचालन पर व्यय किया जाना है।
26	51-2235021060106	राज्य स्कीम	बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के	0.00	1,500.00	1,500.00	राज्य बाल संरक्षण इकाई एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के स्थापना पर व्यय किया जाना है ।

परिणाम बजट
2018-2019

समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	51-2235021060107	राज्य स्कीम	बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना	0.00	200.00	200.00	बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना पर व्यय किया जाना है।
28	51-2235022000103	राज्य स्कीम	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	0.00	3,230.00	3,230.00	1,61,000 गरीब परिवार के मृतकों को अन्त्येष्टि क्रिया हेतु 3000/- रु० का अनुदान दिया जाना है ।
	51-2235027890104	राज्य स्कीम	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	0.00	1,600.00	1,600.00	
29	51-2235022000105	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	0.00	500.00	500.00	2500 मामलों में दुर्घटना या अपराधिक घटना में मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित/निकटस्थ संबंधी को रु० 20,000/- एकमुश्त सहायता दिया जाना है ।
30	51-2235022000106	राज्य स्कीम	प्रदर्शनी सेमिनार, सम्मेलन	0.00	20.00	20.00	8 सेमीनारों के आयोजन पर व्यय किया जाना है ।
31	51-2235027890107	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना	0.00	5,162.45	5,162.45	102216 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जाना है ।
32	51-2235027890108	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	0.00	1,617.75	1,617.75	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना पर किया जाना है ।
33	51-2235027890109	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	0.00	1,610.63	1,610.63	79269 बालिकाओं को लाभान्वित किया जाना है ।
34	51-2235027960123	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	0.00	1,006.90	1,006.90	19936 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जाना है ।
35	51-2235031010201	राज्य स्कीम	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	73,500.00	0.00	73,500.00	41.00 लाख वृद्ध व्यक्ति एवं 1.25 लाख निःशक्त व्यक्ति को रु० 400/- प्रतिमाह की दर से तथा 3.00 लाख 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति को रु० 500/- प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाना है।
	51-2235031010301	राज्य स्कीम	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	0.00	45,969.78	45,969.78	
	51-2235037890201	राज्य स्कीम	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	28,916.09	0.00	28,916.09	
	51-2235037890301	राज्य स्कीम	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	0.00	19,058.48	19,058.48	
	51-2235037960203	राज्य स्कीम	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	7,296.95	0.00	7,296.95	
	51-2235037960303	राज्य स्कीम	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	0.00	500.00	500.00	

**परिणाम बजट
2018-2019**

समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	51-2235031010203	राज्य स्कीम	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	18,500.00	0.00	18,500.00	5.50 लाख विधवा महिला को रू० 400/- प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाना है
	51-2235031010303	राज्य स्कीम	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	0.00	4,000.00	4,000.00	
	51-2235037890202	राज्य स्कीम	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	6,500.00	0.00	6,500.00	
	51-2235037890302	राज्य स्कीम	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	0.00	1,400.00	1,400.00	
37	51-2235031020203	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना	7,386.96	0.00	7,386.96	35859 गरीब, कमाउ व्यक्ति के अकस्मात मृत्यु पर उसके शोक संतप्त परिवार को रू० 20,000/- की एकमुश्त आर्थिक सहायता दिया जाना है ।
38	51-2235601020101	राज्य स्कीम	वृद्धावस्था पेंशन	0.00	2,000.00	2,000.00	0.70 लाख वृद्ध को 400/- रु० प्रतिमाह पेंशन दिया जाना है
	51-2235607890104	राज्य स्कीम	राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना	0.00	1,000.00	1,000.00	
39	51-2235601020104	राज्य स्कीम	बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	0.00	23,600.00	23,600.00	40 प्रतिशत विकलांगता वाले 7.26 लाख निःशक्त व्यक्ति को 400/- प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाना है ।
	51-2235607890103	राज्य स्कीम	बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	0.00	10,000.00	10,000.00	
40	51-2235601020105	राज्य स्कीम	लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	0.00	19,600.00	19,600.00	5.80 लाख विधवा को 400/- प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाना है ।
	51-2235607890102	राज्य स्कीम	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	0.00	7,400.00	7,400.00	
41	51-2235602000119	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री तेजाब पीड़ित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	0.00	200.00	200.00	तेजाब पीड़ित व्यक्ति को रू० 500/- प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य प्रतिकर लाभ दिया जाना है ।

परिणाम बजट
2018-2019

समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2018-2019 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	51-2236021010203	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	70,854.16	0.00	70,854.16	6 माह से 6 वर्ष तक के सभी सामान्य/कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों, गर्भवती/धातु माताओं को 1,14,718 ऑगनबाडी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाना है ।
	51-2236027890204	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	56,270.69	0.00	56,270.69	
	51-2236027890304	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	0.00	26,815.79	26,815.79	
	51-2236027960305	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	0.00	10,546.15	10,546.15	
43	51-4235021020106	राज्य स्कीम	पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह के लिए भवन	0.00	10.00	10.00	भूमि अर्जन पर व्यय किया जाना है ।
44	51-4235021020208	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई० सी०डी०एस०)	17,968.21	0.00	17,968.21	ऑगनबाडी केन्द्रों के भवनों के निर्माण एवं उत्क्रमण तथा पेयजल, शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने पर व्यय किया जाना है।
	51-4235021020308	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई० सी०डी०एस०)	0.00	1,380.01	1,380.01	
योग				3,96,763.19	2,81,436.80	6,78,199.99	
महायोग				36,48,930.34	71,31,363.76	1,07,80,294.10	

Copyright 2018 Finance Department, Govt. of Bihar